SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए

राजस्थान सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 3

(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

राजस्थान सरकार - 2026 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए

राजस्थान सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 3

(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रालेख	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.4	3
लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.6	6
प्रतिवेदन की व्यापकता	1.7	7
अध्याय-II: प्राप्ति लेखापरीक्षा		
खान एवं भूविज्ञान विभाग		
परिचय	2.1	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	9
'संचालन की सहमति' (सीटीओ) प्राप्त किए बिना अथवा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन	2.3	10
ई-रवन्नाओं के दुरुपयोग द्वारा अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों का निर्गमन तथा पट्टा क्षेत्रों/गैप क्षेत्रों के बाहर अवैध खनन	2.4	12
ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने हेतु प्रोसेसिंग शुल्क राशि ₹ 6.97 करोड़ की वसूली का अभाव	2.5	14
प्रीमियम राशि की वसूली का अभाव	2.6	15
खनिजों का अनधिकृत निर्गमन	2.7	16
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) कंपाउंड शुल्क के आरोपण एवं वसूली का अभाव	2.8	18

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रधारक से अधिशुल्क एवं डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली का अभाव	2.9	19
विलंब शुल्क की कम वसूली राशि ₹24.90 लाख	2.10	20
खनन योजनाओं के अनुमोदित हुए बिना अथवा खनन योजनाओं/ सरलीकृत खनन योजनाओं में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का अनधिकृत उत्खनन	2.11	22
अध्याय-III: व्यय लेखापरीक्षा		
पशुपालन विभाग		
'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर' पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा	3.1	25
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग		
पूंजीगत अनुदान की राशि ₹ 61.25 लाख का अनियमित भुगतान	3.2	45

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ
1	विभागों का संक्षिप्त प्रालेख	49
2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के अवधिवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण	53
3	संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले खननपट्टों का विवरण	55
4	उन खनन पट्टों जिनमें पट्टाधारकों द्वारा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन किया गया, का विवरण	57
5	उन खनन पट्टों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनमें पट्टाक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया जबकि पट्टाधारकों द्वारा रवन्ना/ई-रवन्ना का दुरुपयोग करते हुए पट्टाक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से खनिज का प्रेषण किया गया	59
6	उन खनन पट्टों का विवरण जिनके आस पास के क्षेत्र में व गैप ऐरिया में अवैध खनन पाया गया	63
7	3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि में जारी ई-रवन्ना/ट्रांज़िट पास से संबंधित वसूलनीय प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण	64
8	पट्टेधारकों द्वारा जमा नहीं करायी गई प्रीमियम राशि का विवरण	65
9	विलंब शुल्क की कम मांग का विवरण	66
10	खनन पट्टों का विवरण जहाँ खनन पट्टाधारकों ने बिना अनुमोदित खनन योजना के उत्खनन किया	67
11	खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों का विवरण	70
12	आईओएमएमएस के मॉड्यूल्स का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	73
13	प्रत्येक जिले से छः चयनित इकाई कार्यालयों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	78

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ
14	मांग के विरुद्ध दवाओं की अनियमित आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने वाला विवरण	79
15	पहले एक्सपायर, पहले आउट पद्धति की अनुपालना नहीं करने का विवरण	82
16	एक्सपायरी अवधि के पश्चात उपभोग की गयी दवा का विवरण	83
17	अपात्र इकाई कार्यालयों को जारी की गयी दवाइयों का विवरण	84
18	अमानक दवा के उपभोग का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	87

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और लेखापरीक्षा और लेखा नियमावली, 2020 के तहत किए गए राज्य सरकार के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वे हैं, जो वर्ष 2023-24 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके; जहां कहीं आवश्यक हुआ, वहां वर्ष 2023-24 के बाद के प्रकरण भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक, 2017 के अनुरूप की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के 30 विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधान, लागू कानून, नियम, विनियम और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल है और इसमें 'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर' पर एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित राशि ₹ 447.15 करोड़ के 11 अनुच्छेद शामिल है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे उल्लेखित हैः

I सामान्य

यह अध्याय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया और सरकार/विभागों द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेपों के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करता है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा करता है ताकि लेनदेनों की जांच की जा सके तथा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन किया जा सके। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताएं शामिल होती हैं, जो मौके पर ही नहीं निपटाई गई। मार्च 2024 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन का विश्लेषण बताता है कि इन विभागों के लिए सितम्बर 2024 तक 5,486 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित ₹ 67,417.00 करोड़ के 24,545 अनुच्छेद बकाया थे।

II प्राप्ति लेखापरीक्षा

वर्ष के दौरान खान एवं भूविज्ञान विभाग की 23 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

- दस खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा खनिजों के अनधिकृत उत्खनन, अर्थात् आवश्यक सीटीओ प्राप्त किए बिना अथवा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक उत्खनन किए जाने के कारण ₹192.72 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

- 44 खनन पट्टों से 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिजों का अनधिकृत रूप से उत्खनन कर उन्हें आवंटित खनन पट्टों के लिए जारी रवन्नाओं के समर्थन से निर्गमित किया गया एवं पाँच खनन पट्टों में पट्टा क्षेत्रों के आसपास तथा गैप क्षेत्रों में भी अवैध खनन पाया गया। तथापि, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता अवैध खनन का पता लगाने तथा ₹191.10 करोड़ की खनिज लागत की वसूली करने में विफल रहे।

- राज्य सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में संशोधन कर कार्यालय की वेबसाईट द्वारा प्रत्येक ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने हेतु ₹10 का शुल्क निर्धारित किया गया। तथापि, 15 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा खनन पट्टाधारकों/अल्पावधि अनुमति पत्र (एसटीपी) धारकों/डीलर्स से

69.71 लाख ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने के एवज में ₹6.97 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

- खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों के मामलों में सहायक खनि अभियन्ता द्वारा देय प्रीमियम की किस्तों की वसूली हेतु कार्रवाई न किए जाने से ₹14.33 लाख की वसूली नहीं हो सकी। साथ ही, डीएमजीओएमएस के माध्यम से प्रीमियम राशि की निगरानी की प्रभावी व्यवस्था का अभाव था।
- एक खनन पट्टाधारक द्वारा 42,185.77 मीट्रिक टन खनिजों को बिना ई-रवन्ना के निर्गमित किया गया। तथापि, खनि अभियंता द्वारा अनधिकृत निर्गमन का पता नहीं लगाया जा सका, परिणामस्वरूप ₹2.36 करोड़ की मांग कायम नहीं की गई एवं बाद में उस राशि की वसूली का अभाव रहा।
- खनि अभियंता अलवर द्वारा बजरी के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 21.00 लाख रुपये की जुर्माना राशि का आरोपण व वसूली नहीं की गई।
- सहायक खनि अभियंता ने ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रधारक से देय अधिशुल्क एवं डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली हेतु मांग कायम नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.73 लाख की वसूली नहीं हो सकी।
- सहायक खनि अभियंता, ने खनन पट्टे की स्वीकृति अवधि के विस्तार हेतु विलंब शुल्क की वसूली के लिए पट्टा धारक को मांग नोटिस जारी किया, लेकिन मांग की गई राशि ₹24.90 लाख कम थी।
- पांच खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने 15 खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के अनुमोदन के बिना 8.01 लाख मीट्रिक टन खनिजों के उत्खनन के लिए ₹33.22 करोड़ की मांग कायम नहीं की। इसके अतिरिक्त, सात खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक 3.73 लाख मीट्रिक टन खनिजों के अनधिकृत उत्खनन के लिए दस खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध ₹19.41 करोड़ की मांग कायम नहीं की। फलस्वरूप, खनिज लागत ₹52.63 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

III व्यय लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ़्टवेयर' पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य पशुधन संपदा की दृष्टि से समृद्ध है। पशुपालन विभाग राज्य की इस विशाल और बहुमूल्य संपदा के महत्व को बनाए रखने, इसके विकास और स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों में से एक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल और रोग नियंत्रण कार्यक्रम

है। राजस्थान सरकार ने पशुधन को लाभ पहुंचाने के लिए (15 अगस्त 2012) पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना शुरू की थी।

विभाग ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (आरईआईएल) को एक वेब-आधारित एप्लिकेशन "एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर" (आईओएमएमएस) विकसित करने का आदेश जारी किया (12 दिसंबर 2014)। आईओएमएमएस एक वेब-आधारित सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है जो राज्य के पशु स्वास्थ्य संस्थानों को विभिन्न दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, भंडार प्रबंधन एवं वितरण से संबंधित कार्यों से सम्बंधित है। आईओएमएमएस को वर्ष 2015 में ₹ 11.23 लाख की लागत से विकसित किया गया था। सितंबर 2024 तक इस प्रणाली पर ₹ 42.17 लाख (₹ 11.23 लाख विकास पर और ₹ 30.94 लाख रख-रखाव पर) व्यय किये जा चुके हैं।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जिसमें बैक-एंड डाटा/डाटा डंप शामिल है, को संग्रहित कर कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा तकनीकों (CAATs) के माध्यम से इंटरेक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (IDEA) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए विश्लेषण किया गया। डाटा डंप से संभावित विसंगतियों की पहचान करने के बाद चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच फील्ड विज़िट (जनवरी 2025 से फरवरी 2025) के दौरान की गई।

2015 से संचालन होने के बावजूद, विभाग व्यक्तिगत कंप्यूटरों की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी आईटी अवसंरचना की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सका। बुनियादी समर्थन के अभाव में वास्तविक समय में डाटा प्रविष्टि और सिस्टम के उपयोग में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे एप्लिकेशन की सत्यनिष्ठता और उपयोगिता प्रभावित हुई। आईटी प्रशासन के परिप्रेक्ष्य से, विभाग में सूचना सुरक्षा नीति, पासवर्ड प्रोटोकॉल और आपदा से उबरने के मानकों का अभाव था। उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण नियंत्रण कमजोर थे और कोई व्यावसायिक निरंतरता योजना मौजूद नहीं थी। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कोई हेल्प डेस्क उपलब्ध नहीं थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में प्रमुख अनुप्रयोग नियंत्रणों की अनुपस्थिति देखी गई, जिनमें न्यूनतम समाप्ति अवधि के लिए सत्यापन जांच, एफईएफओ (फर्स्ट-एक्सपायरी-फर्स्ट-आउट) प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और दवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच सिस्टम-आधारित मैपिंग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र अपर्याप्त थे और रिपोर्टिंग में परिभाषित समयसीमा या मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभाव था। निम्न गुणवत्ता वाले स्टॉक को ब्लॉक करने और स्वीकृत स्टॉक को अनब्लॉक करने के लिए कोई स्वचालित नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसी प्रकार, शेल्फ-लाइफ सत्यापन और स्वचालित स्टॉक मिलान तंत्र या तो अनुपस्थित थे या अप्रभावी ढंग से लागू किए गए थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों में अवसंरचना सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा सामान्य नियंत्रण, एप्लिकेशन नियंत्रण, व्यापार नियमों की मैपिंग और आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को उजागर किया गया। इन कमजोरियों ने राज्य भर में दवाइयों की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, भंडार प्रबंधन और वितरण

जैसी समग्र प्रक्रियाओं को संभालने में सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि सरकार/विभाग निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

- सभी इकाई कार्यालयों में आवश्यक हार्डवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता में तेजी लाना।
- पासवर्ड नीतियों, बहु स्तरीय प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच मानकों और सिस्टम उपयोग निगरानी के कार्यान्वयन के माध्यम से आईटी सुरक्षा को मजबूत करना।
- संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करें, वास्तविक समय में समस्याओं के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत हेल्प डेस्क और उपयोगकर्ता सहायता प्रणाली बनाएं।
- नियमित बैकअप के साथ एक औपचारिक व्यवसाय निरंतरता और आपदा पुनर्बहाली योजना विकसित और कार्यान्वित करें।
- आईओएमएमएस में अनिवार्य मान्यकरण जांच लागू करना, जैसे न्यूनतम समाप्ति अवधि, एफईएफओ, शेल्फ-लाइफ मानक और मांग-आपूर्ति संरेखण को सुनिश्चित करना।
- आईओएमएमएस को उन्नयन/तकनीकी रूप से रीफ्रेश करना ताकि भंडारपूर्ति के लिए स्वचालित ट्रिगर सुनिश्चित हो, मानवीय हस्तक्षेप कम हो और मांग तथा आपूर्ति की दक्षता बढ़े।
- दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्वचालित नियंत्रण लागू करना, अमानक बैचों को चिह्नित करना और अवरुद्ध करना और अनुमोदित स्टॉक को स्वचालित रूप से जारी करना।

उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग

- विभाग ने 'मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण उद्यमों के लिए विशेष पैकेज' के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में दो उद्यमों को ₹ 61.25 लाख का अनियमित भुगतान किया, जबकि ये उद्यम मेडिकल ऑक्सीजन के स्थान पर औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे थे।

अध्याय–I

सामान्य

अध्याय–I

सामान्य

1.1 परिचय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के 30 विभागों[1] की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकट हुये प्रकरणों से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों तथा परिसंपत्तियों और दायित्वों से संबंधित संव्यवहारों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करने से है कि क्या भारत के संविधान के प्रावधान, लागू कानून, नियम, विनियमन तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है।

इस प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधायिका के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रतिवेदित की जाने वाली सामग्री का स्तर, संव्यवहारों की प्रकृति, मात्रा एवं परिमाण के आनुषंगिक होना चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाने तथा नीतियों एवं निर्देशों को बनाने में भी जो कि संगठनों को उन्नत वित्तीय प्रबंधन की ओर ले जायेंगे, इस प्रकार, बेहतर शासन में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना तथा विस्तार- क्षेत्र के वर्णन के अतिरिक्त गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन की सूचना प्रदान करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रालेख

विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव के द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्त/निदेशक/शासन उप सचिव तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

प्रतिवेदन के इस भाग में शामिल 30 विभागों के संक्षिप्त प्रालेख ***परिशिष्ट–1*** में बताये गये हैं।

वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान राजस्थान सरकार के राजकोषीय संचालन का सारांश **तालिका 1.1** में दिया गया है:

[1] विभागः कृषि; कृषि विपणन; पशुपालन; कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय; नागरिक उड्डयन; सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग; सहकारिता; देवस्थान; ऊर्जा; पर्यावरण; कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण; मत्स्य पालन; खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति; वन; गोपालन; भूजल; उद्यानिकी; इंदिरा गांधी नहर; उद्योग एवं वाणिज्य; सूचना प्रौद्योगिकी और संचार; खान एवं भूविज्ञान; पेट्रोलियम; जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी; सार्वजनिक निर्माण; राजस्थान स्टेट मोटर गैराज; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य उद्यम; पर्यटन; परिवहन एवं सड़क सुरक्षा और जल संसाधन।

तालिका 1.1: राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2022-23	**2023-24**		**2022-23**	**2023-24**
खंड-अ: राजस्व लेखा					
स्व कर राजस्व	87,346.38	94,085.94	सामान्य सेवायें	71,874.89	77,677.64
कर-इतर राजस्व	20,564.43	18,679.58	सामाजिक सेवायें	90,168.36	1,01,883.91
संघीय करों/शुल्कों का भाग	57,230.79	68,063.21	आर्थिक सेवायें	64,436.00	62,669.28
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,846.33	22,447.55	सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.04	0.05
योग खंड-अ राजस्व प्राप्तियां	**194,987.93**	**2,03,276.28**	**योग खंड-अ राजस्व व्यय**	**2,26,479.29**	**2,42,230.88**
खंड-ब: पूंजीगत लेखा व अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	16.20	14.24	पूंजी परिव्यय	19,798.28	26,645.72
			सामान्य सेवायें	542.45	406.94
			सामाजिक सेवायें	8,850.67	9,949.52
			आर्थिक सेवायें	10,405.16	16,289.26
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	419.61	404.74	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	174.78	398.21
लोक ऋण प्राप्तियां[2]	55,647.01	87,154.13	लोक ऋण का पुनर्भुगतान[2]	20,819.20	28,886.38
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां	2,43,204.58	2,85,479.58	लोक लेखा संवितरण	2,34,001.34	2,75,294.50
आरंभिक रोकड शेष	14,669.09	7,671.53	अंतिम रोकड शेष	7,671.53	10,544.81
योग खंड-ब प्राप्तियां	**3,13,956.49**	**3,80,724.22**	**योग खंड-ब संवितरण**	**2,82,465.13**	**3,41,769.62**
महायोग (अ+ब)	**5,08,944.42**	**5,84,000.50**	**महायोग**(अ+ब)	**5,08,944.42**	**5,84,000.50**

स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.3 लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिये गये हैं।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार के स्वायत्तशासी निकायों सहित विभागों के प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त तथा कार्यपद्धतियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा

[2] चल रहे लेनदेन और साधन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर 2022-23: ₹1,04,918.40 करोड़ और 2023-24: ₹1,35,112.20 करोड़।

जारी लेखापरीक्षा तथा लेखाओं पर विनियमन, 2020 तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रारंभ सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम के आंकलन से होता है। जोखिम का आंकलन व्यय की मात्रा, गतिविधियों की महत्ता, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थिति एवं हितधारकों के सरोकारों पर आधारित है। इस प्रक्रिया में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान 30 विभागों की 250 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुये इकाइयों के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया गया। जब कभी भी उत्तर प्राप्त हुए, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया गया या अग्रेतर अनुपालना की सलाह दी गयी। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट होने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

1.5 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहारों की नमूना जांच एवं महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर, राज्य सरकार के विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं।

मार्च 2024 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि इन विभागों के लिए जारी 5,486 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 67,417.00 करोड़ राशि के 24,545 अनुच्छेद सितम्बर 2024 के अन्त में बकाया थे।

1.5.1 30 सितम्बर 2024 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा इनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का विभाग-वार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	कृषि	251	1,297	3,545.25
2	कृषि विपणन	12	37	502.00
3	पशुपालन	83	348	3,623.96
4	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	77	248	256.23
5	नागरिक उड्डयन	8	29	130.00

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	47	90	133.19
7	सहकारिता	94	290	2,436.55
8	देवस्थान	47	166	403.35
9	ऊर्जा	6	10	658.65
10	पर्यावरण	10	58	1,721.77
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	16	54	7.26
12	मत्स्य पालन	7	33	67.51
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	117	644	5,839.88
14	वन	389	1,795	2,716.73
15	गोपालन	24	140	1,730.78
16	भूजल	38	73	472.25
17	उद्यानिकी	56	265	1,205.96
18	इंदिरा गांधी नहर	68	171	448.67
19	उद्योग एवं वाणिज्य	57	226	1,504.60
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	11	62	1,620.21
21	खान एवं भूविज्ञान	367	1,749	5,144.09
22	पेट्रोलियम	3	5	313.45
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1,202	5,042	18,821.77
24	सार्वजनिक निर्माण	1,421	6,979	8,505.48
25	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज	7	26	20.04
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	21	57	41.58
27	राज्य उद्यम	3	4	40.49
28	पर्यटन	17	53	96.82
29	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा	340	1,801	174.01
30	जल संसाधन	687	2,793	5,234.47
योग		**5,486**	**24,545**	**67,417.00**

स्रोतः जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा उन पर प्राप्त उत्तरों के आधार पर सूचना संकलित की गयी।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लंबित अनुच्छेदों की दृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग में सर्वाधिक बकाया है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का अवधिवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-2*** में वर्णित है, जिससे प्रकट होता है कि 4,190 निरीक्षण प्रतिवेदन (कुल बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का 76.38 प्रतिशत) 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

चार्ट 1.1 : बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनो की संख्या

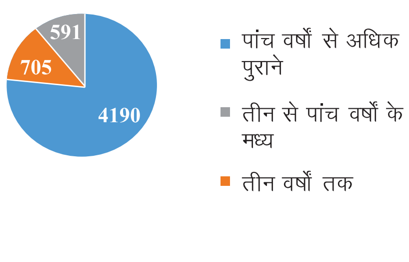

बकाया इस तथ्य का सूचक है कि लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ध्यान में लायी गयी त्रुटियों तथा अनियमितताओं को सुधारने के लिये कार्यालय प्रमुखों तथा विभागों को समय पर प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

1.5.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी करने एवं शीघ्र प्रगति के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[3] का गठन किया। वर्ष 2023-24 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा उनमें निस्तारित अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: लेखापरीक्षा समिति एवं लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	आयोजित लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	कृषि	3	0	0	0
2	कृषि विपणन	3	0	0	0
3	पशुपालन	4	0	0	0
4	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	2	0	0	0
5	नागरिक उड्डयन	2	0	0	0
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	2	0	0	0
7	सहकारिता	0	0	0	0
8	देवस्थान	1	0	0	0
9	ऊर्जा	4	1	0	0
10	पर्यावरण	3	0	0	0
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	1	0	0	0
12	मत्स्य पालन	4	0	0	0
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	0	2	0.05
14	वन	3	2	27	4.01
15	गोपालन	4	0	0	0
16	भूजल	4	0	0	0
17	उद्यानिकी	3	0	0	0
18	इंदिरा गांधी नहर	2	0	0	0
19	उद्योग एवं वाणिज्य	3	0	0	0
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	1	0	0	0
21	खान एवं भूविज्ञान	3	2	123	23.87
22	पेट्रोलियम	3	0	0	0
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	4	0	0	0
24	सार्वजनिक निर्माण	3	0	0	0
25	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज	2	0	0	0
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2	0	0	0
27	राज्य उद्यम	0	0	0	0

[3] राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के शासन सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियां बनायी गयी और सरकार द्वारा निश्चित किया गया था कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, विभागों के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा उप-समितियां भी बनायी गयी।

क्र.सं.	विभाग का नाम	आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	आयोजित लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
28	पर्यटन	2	0	0	0
29	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा	4	0	0	0
30	जल संसाधन	2	0	0	0
योग		**76**	**5**	**152**	**27.93**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान पशुपालन, ऊर्जा, मत्स्य पालन, गोपालन, भूजल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अलावा किसी भी विभाग ने लेखापरीक्षा समिति की न्यनूतम आवश्यक चार बैठकें आयोजित नहीं की। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान सहकारिता एवं राज्य उद्यम विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी। केवल तीन विभागों में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें हुई जहां राशि ₹27.93 करोड़ के 152 अनुच्छेद निस्तारित किये गये। विभाग बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण के लिए लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समिति की अधिक बैठकें आयोजित कर सकते हैं।

1.5.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का उत्तर

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद तीन संबंधित विभागों[4] के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर उनसे यह अनुरोध करते हुये भेजे गये कि वे छः सप्ताह में उनके उत्तर भिजवा दें।

'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर' पर एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित 12 प्रारूप अनुच्छेदों को दिसम्बर 2024 से जुलाई 2025 के मध्य संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रेषित किया गया है। हालांकि, दो[5] प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (सितम्बर 2025)।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चित किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जा चुके हैं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां जो कि लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हों, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका में रखे जाने के तीन माह के अन्दर जनलेखा समिति को प्रस्तुत की जायेगी। 31 जुलाई 2025 तक अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियां बकाया नहीं थी।

[4] खान एवं भूविज्ञान, उद्योग एवं वाणिज्य तथा पशुपालन।

[5] खान एवं भूविज्ञान विभाग के दो अनुच्छेद।

जनलेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

31 जुलाई 2025 तक जनलेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र/ अनुपालन लेखापरीक्षा/स्टैंडअलोन प्रतिवेदनों) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों पर चर्चा की स्थिति **तालिका 1.4** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं चर्चा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि		निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुच्छेदों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	राजस्व क्षेत्र	-	7	-	4
	आर्थिक क्षेत्र	1	11	1	11
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	1	7	1	7
2017-18	राजस्व क्षेत्र	-	7	-	3
	आर्थिक क्षेत्र	2	7	2	7
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	1	5	1	5
2018-19	राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र	1	12	-	-
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	-	5	-	5
2019-20	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 7)	-	7	-	3
	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2)	-	3	-	3
	"राजस्थान में सतही सिंचाई" के परिणामो पर एकल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1	-	1	-
	"राजस्थान में अवैध खनन" पर एकल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1	-	-	-
2020-21	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 1)	-	3	-	2
	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 2)	-	8	-	-
2021-22	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 5)	-	4	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

वर्ष 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

1.7 प्रतिवेदन की व्यापकता

'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर' पर एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित 11 अनुच्छेद इस प्रतिवेदन में शामिल हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹447.15 करोड़ है। इन पर अध्याय-II और अध्याय-III में चर्चा की गई है। विभागों/सरकार ने ₹55.55 करोड़ के

लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया है (अगस्त 2025 तक)। स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा आक्षेपों में से विभागों ने अगस्त 2025 तक ₹6.31 करोड़ वसूल किये जो कि वर्ष 2023-24 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुपालना में की गई वसूली (₹101.61 करोड़) के अतिरिक्त थे। इसके अलावा, संबंधित विभागों ने वर्ष 2023-24 के दौरान गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित आक्षेपों के संबंध में ₹13.79 करोड़ की वसूली की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹121.71 करोड़ थी।

अध्याय–II

प्राप्ति लेखापरीक्षा

अध्याय-II

प्राप्ति लेखापरीक्षा

खान एवं भूविज्ञान विभाग

2.1 परिचय

राज्य सरकार स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग स्तर पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान (डीएमजी), उदयपुर, संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), छः अतिरिक्त निदेशक, खान (एडीएम), छः अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान (एडीजी) और एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान को सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त निदेशक, खान नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते है, प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण खनि अभियंता करता है।

अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण और खनिजों के अवैध उत्खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता उत्तरदायी हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) के नेतृत्व में एक पृथक सतर्कता शाखा है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं पैट्रोलियम विभाग में 136 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[1] थी। इनमें से 23 इकाइयों[2] का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया, जिनमें 34,285 प्रकरणों[3] में से लेखापरीक्षा ने 14,473 प्रकरणों[4] (42.21 प्रतिशत) का चयन एवं जांच की गई। 7,498 प्रकरणों में ₹1,550.79 करोड़

---

[1] सचिव खान एवं पेट्रोलियम, निदेशक खान एवं भूविज्ञान कार्यालय तथा निदेशक पेट्रोलियम कार्यालय के अलावा 133 अन्य इकाईयां शामिल हैं।

[2] खनि अभियंताः अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बिजोलिया, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, सहायक खनि अभियंताः बालेसर, बारां, चूरू, हनुमानगढ़, सलूम्बर, टोंक, खनि अभियंता (सतर्कता) अलवर, सहायक खनि अभियंता (रिट) जयपुर, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) ब्यावर, एडीएम जोधपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर, निदेशक, पेट्रोलियम जयपुर और डीएमजी उदयपुर।

[3] कुल 34,285 प्रकरणः 704 खनन पट्टों की स्वीकृति; 3,576 कार्यरत खानें; 235 गैर कार्यरत खानें, 337 खनन पट्टे निरस्त/समर्पित, 11 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, 119 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 7,263 खदान अनुज्ञप्ति; खनिज के अवैध खनन/परिवहन के 10,440 प्रकरण; राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1,956 के तहत वसूली के 477 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 1,229 प्रकरण; रिफंड का एक प्रकरण; बकाया के 687 प्रकरण, 4,313 अल्पावधि अनुज्ञापत्र एवं 4,893 डीलर्स से सम्बंधित मामले।

[4] कुल 14,473 प्रकरणः 704 खनन पट्टे की स्वीकृति; 719 कार्यरत खानें; 131 गैर कार्यरत खानें 328 खनन पट्टे निरस्त/समर्पित, 11 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, 119 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 1,823 खदान अनुज्ञप्ति; खनिज के अवैध खनन/परिवहन के 3,427 प्रकरण; राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के 259 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 279 प्रकरण; रिफंड का एक प्रकरण; बकाया के 189 प्रकरण, 1,590 अल्पावधि अनुज्ञापत्र एवं 4,893 डीलर्स से सम्बंधित मामले।

की कमियां पायी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में भी समान त्रुटियां ध्यान में लाई गई थी परन्तु ये अनियमिततायें बनी रही तथा लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों और अन्य सम्बन्धित मुद्दों के सारभूत अनुपात ने इंगित किया कि राज्य सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि ऐसी त्रुटियों के गठित होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके। पाई गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में **तालिका 2.1** में दर्शायी गई हैं:

तालिका 2.1: वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी		प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	स्थिर भाटक और अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली		577	91.03
2.	सुरक्षा जमा का जब्त न होना		293	35.61
3.	जुर्माना/ब्याज न लगाया जाना		1,362	25.28
4.	अनधिकृत उत्खनन किये गये खनिजों की लागत की वसूली न होना/कम वसूली होना		272	653.96
5.	डीएमएफटी/आरएसएमईटी निधियों में अंशदान एवं एनजीटी शुल्क की अवसूली/कम वसूली		132	11.33
6.	अन्य अनियमितताएं	राजस्व	4,847	733.57
		व्यय	15	0.01
योग			**7,498**	**1,550.79**

स्रोतः विभाग को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग ने 8,005 प्रकरणों में ₹ 1,386.55 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1,382.79 करोड़ के 7,477 प्रकरण वर्ष 2023-24 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग द्वारा पूर्व वर्षों से संबंधित 521 प्रकरणों में ₹ 2.92 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

राशि ₹ 446.54 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण इस अध्याय में सम्मिलित किये गए हैं; जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

2.3 'संचालन की सहमति' (सीटीओ) प्राप्त किए बिना अथवा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन

दस खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा खनिजों के अनधिकृत उत्खनन, अर्थात् आवश्यक सीटीओ प्राप्त किए बिना अथवा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक उत्खनन किए जाने के कारण ₹ 192.72 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (आरएमएमसी) नियम, 2017 के नियम 34(1) के अनुसार, खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित पूर्व सहमतियाँ, अनुमोदन,

अनुज्ञापत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त किए बिना कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

इन नियमों के नियम 28(2)(iv)(ब) के अनुसार, पट्टाधारक द्वारा सभी खनिजों का उत्पादन खान योजना की सीमाओं के भीतर या लागू कानूनों के तहत अनुमत सीमा के भीतर रखा जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा अथवा लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया जाता है, तो निम्नानुसार वसूली की जाएगीः

- अतिरिक्त उत्खनन 10 प्रतिशत तक है तो अतिरिक्त मात्रा पर एकबारीय अधिशुल्क वसूल किया जाएगा;
- अतिरिक्त उत्खनन 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 25 प्रतिशत तक है तो सम्पूर्ण मात्रा पर दो गुना अधिशुल्क वसूल किया जाएगा; और
- अतिरिक्त उत्खनन 25 प्रतिशत से अधिक है तो खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों में अनुमत मात्रा से अधिक सम्पूर्ण मात्रा को अनधिकृत उत्खनन माना जाएगा और पट्टाधारक ऐसे अतिरिक्त खनिज की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना, अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करने की शक्तियों को प्रभावित किए बिना, प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क का दस गुना के रूप में की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अनुसार, पट्टाधारक को खनन पट्टों से खनिजों के उत्खनन से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त करना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने 10[5] खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2016 से 2023 की अवधि के 2,860 खनन पट्टों में से चयनित 468 खनन पट्टों के अभिलेखों की जाँच (मई 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान) की। जिसमें पाया कि 34 पट्टाधारकों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 25.38 लाख मीट्रिक टन खनिजों का अनधिकृत उत्खनन किया गया था। तथापि, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹192.72 करोड़ की वसूली नहीं कर सके, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

- **सीटीओ प्राप्त किए बिना खनिजों का उत्खनन**

पाँच[6] खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि 17 पट्टाधारकों ने ***परिशिष्ट-3*** में वर्णित अनुसार, मेसनरी स्टोन, बॉल क्ले, रेड ओकर, डोलोमाइट एवं सोप स्टोन आदि जैसे 23.22 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन सीटीओ प्राप्त किए बिना किया था। अतः ये पट्टाधारक अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹185.43 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

---

[5] खनि अभियंताः बाडमेर, भरतपुर, बिजोलिया, बीकानेर, जैसलमेर व नागौर, सहायक खनि अभियंताः बालेसर, झालावाड, सलूम्बर, टोंक।

[6] खनि अभियंताः भरतपुर, बीकानेर व जैसलमेर; सहायक खनि अभियंताः सलूम्बर व टोंक।

- **सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन**

सात[7] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि 17 पट्टाधारकों द्वारा कुल 11.60 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन किया गया, इनमें से, ***परिशिष्ट-4*** में वर्णित अनुसार, मेसनरी स्टोन, चाइना क्ले, बॉल क्ले तथा लाइमस्टोन आदि खनिजों की 2.17 लाख मीट्रिक टन मात्रा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक पायी गयी। अतः ये पट्टाधारक अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹7.29 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

उपरोक्त समस्त जानकारी विभागीय वेब-पोर्टल डीएमजीओएमएस[8] पर उपलब्ध थी, तथापि संबंधित खनि अभियंताओं द्वारा इस अनियमितता का संज्ञान नहीं लिया गया और 25.39[9] लाख मीट्रिक टन खनिजों के अनधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन के लिए ₹192.72[10] करोड़ की वसूली नहीं की गई।

तथ्य यह भी इंगित करते है कि विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस में ऐसे अंतर्निहित नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किए गए, जिनसे सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक अथवा सीटीओ के बिना ई-रवन्ना का सृजन स्वतः रोका जा सके।

यह मामला विभाग को जनवरी 2025 में प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि खनि अभियंता बाड़मेर, बिजोलिया, नागौर के संबंध में राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। शेष मामलों में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

2.4 ई-रवन्नाओं के दुरुपयोग द्वारा अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों का निर्गमन तथा पट्टा क्षेत्रों/गैप क्षेत्रों के बाहर अवैध खनन

44 खनन पट्टों से 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिजों का अनधिकृत रूप से उत्खनन कर उन्हें आवंटित खनन पट्टों के लिए जारी रवन्नाओं के समर्थन से निर्गमित किया गया एवं पाँच खनन पट्टों में पट्टा क्षेत्रों के आसपास तथा गैप क्षेत्रों में भी अवैध खनन पाया गया। तथापि, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा अवैध खनन का पता लगाने तथा ₹191.10 करोड़ की खनिज लागत की वसूली सुनिश्चित नहीं की गयी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदत्त या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति

---

7 खनि अभियंताः बाड़मेर, भरतपुर, बिजोलिया, बीकानेर व नागौर; सहायक खनि अभियंताः बालेसर व झालावाड़।

8 खान एवं भूविज्ञान विभाग ने खनिज रियायत के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने, सभी शासकीय बकाया जमा करने, मांग पंजिका संधारण, पट्टे की जानकारी आदि के लिए 10 अक्टूबर 2017 से खान एवं भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (डीएमजीओएमएस) नामक एक वेब-आधारित एप्लिकेशन शुरू किया था।

9 25.39 लाख मीट्रिक टनः ₹ 23.22 लाख मीट्रिक टन (परिशिष्ट-3 का योग) + 2.17 लाख मीट्रिक टन (परिशिष्ट-4 का योग)।

10 ₹ 192.72 करोड़ः ₹ 185.43 करोड़ (परिशिष्ट-3 का योग) + ₹ 7.29 करोड़ (परिशिष्ट-4 का योग)।

धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधि नहीं करेगा और अनुज्ञप्ति प्राप्त खदान क्षेत्र या ईंटों को छोड़कर खानों से खनिज का निर्गमन, विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा। नियम 54(2) में यह प्रावधित है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही खनिजों का परिवहन या संग्रहण करने का कारण बनेगा। इसके अलावा, नियम 54(3) के अनुसार, खान विभाग को अधिशुल्क राशि के 10 गुना के समतुल्य खनिज की लागत वसूल कर ऐसे प्रकरणों को निपटाने का प्राधिकार दिया गया है।

आठ[11] खनि अभियन्ता तथा चार[12] सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कुल 2,984 अप्रधान खनिज के खनन पट्टे संचालित हो रहे थे। इनमें से 570 खनन पट्टों का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। चयनित पट्टों के निर्देशांको को "गूगल अर्थ प्रो" एप्लीकेशन पर मैप कर उनकी समीक्षा की गई। इन पट्टों से निर्गमित खनिजों से संबंधित जानकारी विभागीय वेब-आधारित एप्लीकेशन डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध थी। डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध जानकारी तथा गूगल अर्थ प्रो पर चयनित पट्टों की छवियों की जांच से यह उजागर हुआ कि 44 पट्टों में किसी प्रकार की उत्खनन गतिविधि नहीं होने के बावजूद, इन पट्टों से 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिज का निर्गमन दर्शाया गया था। इन पट्टाधारकों ने अक्टूबर 2017 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिज के निर्गमन हेतु 1,12,163 ई-रवन्नाओं का उपयोग किया।

इन तथ्यों से इंगित होता है कि इन पट्टाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से अनधिकृत रूप से खनिजों का उत्खनन कर उसका निर्गमन ई-रवन्नाओं के दुरुपयोग द्वारा किया गया। अवैध रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिजों की लागत ₹191.10 करोड़ है, जैसा कि ***परिशिष्ट-5*** में दर्शाया गया है। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई हो। अतः ₹191.10 करोड़ की राशि इन पट्टाधारकों से वसूली योग्य है।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि पाँच खनन पट्टों (विवरण ***परिशिष्ट-6*** में) में पट्टा क्षेत्रों के बाहर सटे हुए क्षेत्रों तथा गैप क्षेत्रों[13] में अवैध खनन गतिविधियाँ की गईं। तथापि, इन पट्टों के आसपास किए गए अवैध उत्खनन के संबंध में अभिलेखों में किसी प्रकार की कार्रवाई किया जाना नहीं पाया गया।

ध्यान में लाये जाने पर (फरवरी 2025) में विभाग ने (जनवरी 2025 एवं मई 2025) बताया कि 44 पट्टों में से 38 मामलों में सत्यापन किया जा रहा है तथा तदनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। दो मामलों में, पट्टाधारकों के विरुद्ध मांग कायम कर दी गई, तथापि न्यायालय द्वारा

---

[11] खनि अभियंताः नागौर (2019-23), बिजोलिया (2017-23), जैसलमेर (2018-23), अलवर (2019-23), बीकानेर (2019-23), धौलपुर (2019-23), भरतपुर (2019-23) व डूंगरपुर (2019-23)।

[12] सहायक खनि अभियंताः बालेसर (2016-23), चूरू (2019-23), बारां (2013-23) व झालावाड (2016-23)।

[13] गैप एरियाः आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 7(3) के अनुसार, दो या दो से अधिक खनन पट्टों या वन सीमा या किसी अन्य आरक्षित भूमि से घिरे क्षेत्र को गैप एरिया माना जाएगा। आवंटन होने तक इन्हें गैप एरिया कहा जाता है।

अग्रिम आदेश तक वसूली पर रोक लगाई गई। शेष चार मामलों में, मौका रिपोर्ट (जुलाई 2024 में किए गए भौतिक निरीक्षण) से यह इंगित होता है कि खनन गतिविधियाँ की गई थीं तथा गड्ढों का पुनर्भरण भी किया गया था।

इन चार मामलों के संबंध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जुलाई 2024 में किए गए निरीक्षण, अवधि अक्टूबर 2017 से जनवरी 2024 तक के दौरान की गयी खनन गतिविधियों की पुष्टि नहीं करते। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनज़र, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लेखापरीक्षा आक्षेप बनाए जाने के पश्चात पट्टाधारकों द्वारा खनिजों का उत्खनन किया गया हो। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

अनुशंसा:

अक्टूबर 2017 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान रवन्नाओं के दुरुपयोग का सटीक निर्धारण करने हेतु विभाग को रिमोट सेंसिंग इमेजरी का उपयोग करते हुए जांच कराये जाने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की तकनीक के उपयोग से आपत्ति की अवधि के दौरान खनन गतिविधियों के संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग को व्यापक एवं विश्वसनीय आंकलन सुनिश्चित करने हेतु रिमोट सेंसिंग विश्लेषण के विशेषज्ञ की सेवाएँ लेने पर भी विचार करना चाहिए।

2.5 ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने हेतु प्रोसेसिंग शुल्क राशि ₹6.97 करोड़ की वसूली का अभाव

राज्य सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को आरएमएमसी नियम, 2017 में संशोधन कर कार्यालय की वेबसाईट द्वारा प्रत्येक ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने हेतु ₹10 का शुल्क निर्धारित किया गया। तथापि, 15 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा खनन पट्टाधारकों/अल्पावधि अनुमति पत्र (एसटीपी) धारकों/डीलर्स से 69.71 लाख ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने के एवज में ₹6.97 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 2(xliii) के अनुसार "रवन्ना" से आशय विभाग द्वारा विधिवत जारी अथवा विभागीय वेब पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित वह दस्तावेज है, जो किसी खनिज रियायत या अनुमति के अंतर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज अथवा ओवरबर्डन के निर्गमन, उपभोग अथवा प्रसंस्करण हेतु जारी किया जाता है। आगे, नियम 73 के अनुसार पट्टाधारक/अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक के लिए विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण कर ई-रवन्ना प्राप्त करना अनिवार्य है। दिनांक 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना द्वारा नियम 73(5) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ई-रवन्ना के लिए ₹10 का ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित किया गया।

इसके अलावा, नियम 2(lvii) के अनुसार "ट्रांजिट पास" से आशय पट्टाधारक, स्टॉकिस्ट, व्यापारी या डीलर को विभाग द्वारा विधिवत जारी अथवा ऑनलाइन सृजित ऐसा पास है, जो

अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिज के वैध परिवहन हेतु जारी किया जाता है। 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना द्वारा आरएमएमसी नियमों के विद्यमान नियम 92 में संशोधन कर अधिशुल्क अदा किए गए खनिजों के परिवहन/ निर्गमन हेतु प्रत्येक ई-ट्रांजिट पास के लिए ₹10 का प्रोसेसिंग शुल्क ई-भुगतान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य किया गया।

नौ खनि अभियन्ता[14] तथा छः सहायक खनि अभियन्ता[15] कार्यालयों के अभिलेखों एवं विभागीय वेब-आधारित एप्लीकेशन डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध डाटा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में खनन पट्टाधारकों, अल्पावधि अनुमतिपत्र धारकों एवं डीलर्स द्वारा आवश्यक प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देकर उपरोक्त वर्णित नियमों की पालना नहीं की गई। अवधि 3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान इन पट्टाधारकों, अल्पावधि अनुमतिपत्र धारकों एवं डीलर्स द्वारा कुल 69.72 लाख ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी किए गए, परिणामतः ₹ 6.97 करोड़ का प्रोसेसिंग शुल्क बकाया रहा जैसा कि ***परिशिष्ट-7*** में विवरण दिया गया है। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था, जिससे यह इंगित हो कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई हो।

ध्यान में लाये जाने पर (मार्च 2024), राज्य सरकार ने उत्तर (जून 2025) दिया कि ₹4.63 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार ***परिशिष्ट-7*** में दर्शाए अनुसार वसूलनीय राशि ₹2.34 करोड़, बकाया रही (जून 2025)। चूँकि यह निष्कर्ष विशिष्ट कार्यालयों से संबंधित हैं, विभाग को समस्त खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों में समग्र परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

2.6 प्रीमियम राशि की वसूली का अभाव

खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों के मामलों में सहायक खनि अभियन्ता द्वारा देय प्रीमियम की किस्तों की वसूली हेतु कार्रवाई न किए जाने से ₹14.33 लाख की वसूली नहीं हो सकी। साथ ही, डीएमजीओएमएस के माध्यम से प्रीमियम राशि की निगरानी की प्रभावी व्यवस्था का अभाव था।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 17-अ के अनुसार खातेदारी भूमि में खनन पट्टा संबंधित खातेदार या उसके पंजीकृत सहमति धारक को वार्षिक स्थिर भाटक के क्रमशः पाँच अथवा दस गुना के बराबर प्रीमियम राशि के भुगतान की शर्त पर प्रदान किया जायेगा। प्रीमियम राशि का भुगतान पाँच किस्तों में किया जाना था। प्रीमियम राशि की प्रथम किस्त का भुगतान खनन पट्टा विलेख के निष्पादन अथवा खदान अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति

[14] खनि अभियंताः अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बिजोलिया, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर व नागौर।

[15] सहायक खनि अभियंताः बालेसर, चूरू, झालावाड, हनुमानगढ, सलूम्बर व टोंक।

(31 मार्च) से पूर्व किया जाएगा। बाद की शेष किस्तों का भुगतान संबंधित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा।

सहायक खनि अभियन्ता, टोंक के अभिलेखों की जाँच (मई 2023) में पाया गया कि 134 खनन पट्टों में ₹3.13 करोड़ का प्रीमियम देय था। इन 134 खनन पट्टों में से नौ खनन पट्टों की जाँच में पाया गया कि दो खनन पट्टे खातेदार के पंजीकृत सहमति धारकों को प्रदान किए गए, परंतु प्रीमियम राशि दस गुना के स्थान पर पाँच गुना ही प्रभारित की गई। इन नौ पट्टों में 31 मार्च 2023 तक देय ₹22.89 लाख के विरूद्ध मात्र ₹8.56 लाख जमा किये गए। इस प्रकार नौ खननपट्टों में प्रीमियम राशि ₹14.33 लाख जमा नहीं कराई गयी (विवरण ***परिशिष्ट-8*** में)। प्रीमियम राशि की वसूली हेतु कार्यालय द्वारा किया गया कोई पत्राचार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा विभागीय ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस के माध्यम से प्रीमियम राशि की निगरानी करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप, पट्टेधारकों द्वारा जमा की गई राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उचित निगरानी के अभाव में राजस्व का नुकसान हो सकता है। ऐसी प्रणाली के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि शेष 125 मामलों में सही प्रीमियम राशि लगाई गई एवं संग्रहित की गई। इस प्रकार विभाग द्वारा डीएमजीओएमएस में सुधार करने, शेष मामलों में प्रीमियम राशि सही लगाने एवं वसूली को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

यह मामला अप्रैल 2025 में विभाग के ध्यान में लाया गया। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि खातेदार की पंजीकृत सहमति धारकों को स्वीकृत दो पट्टों के मामलों में प्रीमियम राशि संशोधित कर दस गुना कर दिया गया। राशि ₹9.59 लाख की वसूली कर ली गई, शेष ₹4.74 लाख की वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। शेष 125 मामलों के सत्यापन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

2.7 खनिजों का अनधिकृत निर्गमन

एक खनन पट्टाधारक द्वारा 42,185.77 मीट्रिक टन खनिजों को बिना ई-रवन्ना के निर्गमित किया गया। तथापि, खनि अभियंता द्वारा अनधिकृत निर्गमन का पता नहीं लगाया जा सका, परिणामस्वरूप ₹2.36 करोड़ की मांग कायम नहीं की गई एवं बाद में उस राशि की वसूली का अभाव रहा।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदत्त या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधि नहीं करेगा और अनुज्ञप्ति प्राप्त खदान क्षेत्र या ईंटों को छोड़कर खानों से खनिज का निर्गमन, विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा। नियम 54(2) में यह प्रावधित है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही

खनिजों का परिवहन या संग्रहण करने का कारण बनेगा। इसके अलावा, नियम 54(3) के अनुसार, खान विभाग को अधिशुल्क राशि के 10 गुना के समतुल्य खनिज की लागत वसूल कर ऐसे प्रकरणों को निपटाने का प्राधिकार दिया गया है।

खनि अभियन्ता, बिजोलिया, भीलवाड़ा के अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2023 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2023 में की गई एवं 20 खनन पट्टों का जाँच के लिए चयन किया गया। डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं और अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक खनन पट्टाधारक (01/1993) ने 42,185.77 मीट्रिक टन खनिजों का निर्गमन बिना ई-रवन्ना के किया। यह पाया गया कि खनिजों के अंतिम शेष और अगले महीने के प्रारंभिक शेष में अंतर था। इस प्रकार, खनन पट्टाधारक द्वारा खनिज भंडार को 42,185.77 मीट्रिक टन से कम कर दिया गया। पट्टाधारक ने इस भंडार के निर्गमन के लिए ई-रवन्ना जारी नहीं किए, इसलिए वह खनिज के अनधिकृत परिवहन के लिए खनिज लागत ₹2.36 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: खनिजों के अनधिकृत निर्गमन के कारण वसूली योग्य लागत का विवरण

क्रम सं.	खनिज का नाम	अंतिम शेष		प्रारंभिक शेष		भण्डार के आरंभिक एवं समापन शेष के बीच अंतर (मीट्रिक टन)	अधिशुल्क की दर (₹ प्रति टन)	भण्डार में कमी हेतु वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)
		माह	मात्रा (मीट्रिक टन)	माह	मात्रा (मीट्रिक टन)			
1	चाइना क्ले	03/2020	62,271.81	04/2020	32,917.04	29,354.77	65	1.91
2	रेड ओकर	03/2019	454.75	04/2019	154.75	300.00	32	0.01
3	क्वार्टज़	03/2019	1,450.00	04/2019	20.00	1,430.00	60	0.09
4	रेड ओकर	11/2018	11,155.75	12/2018	54.75	11,101.00	32	0.35
योग			**75,332.31**		**33,146.54**	**42,185.77**		**2.36**

स्रोतः डीएमजीओएमएस डाटा

अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि खनि अभियंता द्वारा इस अनियमितता की जांच नहीं की गई। इससे विभागीय ऑनलाइन पोर्टल डीएमजीओएमएस में पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन की कमी भी इंगित होती है।

इस प्रकार, ₹2.36 करोड़ की मांग न तो कायम की गई और न ही उसे वसूला जा सका।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसंबर 2024), राज्य सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि खनिजों के अनधिकृत निर्गमन हेतु पट्टाधारक को नोटिस जारी किया गया, उसके उपरांत ₹2.36 करोड़ की मांग कायम की गई। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

2.8 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) कंपाउंड शुल्क के आरोपण एवं वसूली का अभाव

खनि अभियंता अलवर द्वारा बजरी के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 21.00 लाख रुपये की जुर्माना राशि का आरोपण व वसूली नहीं की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने 3 सितंबर 2019 को एक आदेश जारी किया और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का उल्लेख किया, जिसके अनुसार राज्य प्राधिकरणों को बजरी के अवैध खनन अथवा परिवहन में संलिप्त प्रत्येक वाहन पर न्यूनतम ₹1.00 लाख की कंपाउंड शुल्क राशि आरोपित करना आवश्यक था। यह शुल्क खनिज बजरी से संबंधित अवैध गतिविधियों के मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा अन्य संबंधित नियमों के अंतर्गत देय अन्य दण्डों के अतिरिक्त लगाया जाना था। इसके पश्चात्, 23 सितंबर 2019 को खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, उदयपुर द्वारा सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक, खान विभागों को सूचित किया कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

कार्यालय खनि अभियंता, अलवर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2023) में यह पाया गया कि खनिजों के अवैध परिवहन के लिए (अप्रैल 2019 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान) कुल 759 पंचनामे तैयार किए गए थे। इन पंचनामा पत्रावलियों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि खनि अभियंता द्वारा खनिज बजरी के अवैध परिवहन में संलिप्त 21 वाहनों पर प्रति वाहन ₹1.00 लाख की कंपाउंड शुल्क राशि आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹21.00 लाख की कंपाउंड शुल्क राशि की वसूली नहीं हो सकी।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसंबर 2024), राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इस संबंध में आदेश/निर्देश अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के कार्यालय से 7 नवंबर 2019 को प्राप्त हुए थे। इस तिथि से पूर्व कंपाउंड किये गए मामलों में वसूली नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। विभाग का यह दायित्व था कि लागू आदेशों/निर्देशों की समय पर अनुपालना सुनिश्चित की जावे। इसके अतिरिक्त, निर्देशों के प्रसारण में विलंब विभागीय आंतरिक संचार एवं निगरानी तंत्र में कमी को दर्शाता है। 7 नवंबर 2019 से पूर्व कंपाउंड किये गए मामलों में देय राशि की वसूली न किया जाना विभाग की ओर से यथोचित सतर्कता के अभाव को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.00 लाख की एनजीटी शुल्क राशि की हानि हुई।

2.9 ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रधारक से अधिशुल्क एवं डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली का अभाव

सहायक खनि अभियंता ने ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रधारक से देय अधिशुल्क एवं डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली हेतु मांग कायम नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.73 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 53 (8)(i) में यह प्रावधान है कि अनुज्ञापत्रधारक वार्षिक अधिशुल्क के साथ-साथ डीएमएफटी एवं आरएसएमईटी अंशदान राशि समान त्रैमासिक किस्तों में अग्रिम रूप से जमा करेगा।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13(1)(iii)(b) के अनुसार प्रत्येक अप्रधान खनिज रियायत धारक आरएमएमसी नियमों की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट देय अधिशुल्क का दस प्रतिशत की दर से डीएमएफटी निधि में अंशदान जमा करेगा।

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, टोंक के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया (मई 2023) कि अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की अवधि में कुल 20 ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र जारी किए गए थे। इनमें से एक ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र ग्राम मोरदा (तहसील-टोडारायसिंह) के निकट स्थित फर्म मैसर्स 'X' उद्योग के पक्ष में 17 मई 2018 से 16 मई 2023 की अवधि के लिए जारी (24 अक्टूबर 2018) किया गया था। उक्त ईंट भट्टे की क्षमता 27 घोड़ियों[16] की थी, जिसके फलस्वरूप 11,340[17] मीट्रिक टन वार्षिक ईंट मिट्टी खनिज के खनन का अनुज्ञापत्र जारी किया गया। ईंट-मिट्टी खनिज पर अधिशुल्क की दर ₹25 प्रति मीट्रिक टन थी, जिसके अनुसार वार्षिक अधिशुल्क ₹2.84 लाख[18] देय था। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा ईंट-मिट्टी खनिज की अधिशुल्क दर 13 सितम्बर 2021 से ₹25 प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹32 प्रति मीट्रिक टन कर दी गई। अतः 13 सितम्बर 2021 से अनुज्ञापत्र का वार्षिक अधिशुल्क ₹3.63 लाख[19] संशोधित किया जाना चाहिए था, परंतु सहायक खनि अभियंता ने अनुज्ञापत्रधारक द्वारा देय वार्षिक अधिशुल्क में संशोधन नहीं किया गया। इस प्रकार, अनुज्ञापत्र अवधि (मई 2018 से मई 2023) के लिए अधिशुल्क राशि ₹15.50 लाख[20] एवं डीएमएफटी अंशदान राशि ₹1.55 लाख[21] वसूल किये जाने थे, जबकि अनुज्ञापत्रधारक द्वारा मात्र अधिशुल्क राशि ₹1.32 लाख

---

[16] घोड़ियां: ईंट भट्टों में, ईंटों के खड़े कॉलम को घोड़ियां कहा जाता है।

[17] ईंट मिट्टी की वार्षिक मात्रा (मीट्रिक टन)=150*W*N; जहां W एक हजार ईंटों का वजन जो कि 2.8 मीट्रिक टन हैं; N घोड़ियों की संख्या जो कि 27 है। अतः 150*2.8*27=11,340 मीट्रिक टन।

[18] ईंट मिट्टी खनिज की अधिशुल्क की दर ₹25; अतः वार्षिक अधिशुल्क राशि 11340 मीट्रिक टन*₹25=₹2.84 लाख।

[19] ईंट मिट्टी खनिज की संशोधित अधिशुल्क दर ₹32; अतः, वार्षिक अधिशुल्क ₹3.63 लाख (11340 मीट्रिक टन*₹32) की जानी थी।

[20] अवधि 17 मई 2018 से 12 सितम्बर 2021 तक अधिशुल्क राशि अर्थात् ₹9.43 लाख + अवधि 13 सितम्बर 2021 से 16 मई 2023 तक अधिशुल्क राशि अर्थात् ₹6.07 लाख।

[21] अधिशुल्क राशि ₹15.50 लाख का 10 प्रतिशत।

(मई 2018 से अक्टूबर 2018 के बीच) जमा कराई गयी। अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चले कि सहायक खनि अभियंता द्वारा वसूली के लिए मांग कायम की गई थी। आगे, यह भी पाया गया कि देय राशि की समयबद्ध वसूली की निगरानी के लिए सहायक खनि अभियंता द्वारा ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रों की मांग एवं संग्रहण पंजिका संधारित नहीं की गई।

इस प्रकार अधिशुल्क राशि ₹14.18 लाख एवं डीएमएफटी अंशदान राशि ₹1.55 लाख की वसूली अनुज्ञापत्रधारक से नहीं की जा सकी।

यह मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2025)। विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि मांग पंजिका के संधारण एवं अनुज्ञापत्रधारक को नोटिस जारी करने के उपरांत ₹7.22 लाख की वसूली की गई है एवं शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2025)।

2.10 विलंब शुल्क की कम वसूली राशि ₹24.90 लाख

सहायक खनि अभियंता, बारां ने खनन पट्टे की स्वीकृति अवधि के विस्तार हेतु विलंब शुल्क की वसूली के लिए पट्टा धारक को मांग नोटिस जारी किया, लेकिन मांग की गई राशि ₹24.90 लाख कम थी।

आरएमएमसी नियम, 1986 के नियम 8(1) के अनुसार, खनन पट्टा जारी किए जाने के लिए प्राप्त आवेदन का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, सटीक क्षेत्र प्रदान करने का निर्णय लेने के पश्चात, आवेदक को 'लेटर ऑफ इंटेंट' (एलओआई) जारी करेगा, जिसके अंतर्गत आवेदक को खनन योजना सहित प्रगतिशील खान समापन योजना राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी के अनुमोदन हेतु तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज की भी मांग कर सकता है, इसके अतिरिक्त, जहां पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वहां इसके प्रस्तुत करने की अवधि बारह माह होगी।

आगे, उक्त अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त पर बढ़ाया जा सकता है कि विस्तारित अवधि के प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए वार्षिक स्थिर भाटक के छः प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क का भुगतान किया जाए।

इसके उपरांत, आरएमएमसी नियम, 2017 को 1 मार्च 2017 से प्रभावी करते हुए आरएमएमसी नियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया। आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 5(2) के अनुसार, जहां आरएमएमसी नियम, 1986 के अंतर्गत निविदा अथवा नीलामी के माध्यम से प्रीमियम निर्धारित करने के पश्चात एलओआई जारी की गई है, वहां इन नियमों के अंतर्विरोधी प्रावधानों के बावजूद, ऐसे आवेदन को इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की भांति माना जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी

द्वारा आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 16[22] के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे लेटर ऑफ इंटेंट धारक को पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व निविदा आमंत्रण अधिसूचना की शर्तों के अनुसार शेष प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।

इसके अतिरिक्त, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 5(4) के अनुसार, इस नियम के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकरण, इन नियमों के प्रवर्तन की तिथि से 73 माह की अवधि के भीतर एलओआई की शर्तों की पूर्ति होने पर संरक्षित रहेंगे तथा यह 73 माह की अवधि खनन पट्टा के निष्पादन एवं पंजीकरण, जैसा भी लागू हो, को सम्मिलित करेगी, अन्यथा, ऐसे आवेदक का अधिकार जब्त किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार के लिए कोई आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं होगा। आगे, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 16(3) के अनुसार, जहां आरएमएमसी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रवर्तन से पूर्व एलओआई, पर्यावरण मंजूरी जमा किये जाने की शर्त पर जारी की गई है, वहां खनन पट्टा उपर्युक्त शर्त के साथ विलंब शुल्क जमा कराने पर जारी किया जाएगा, जो प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए वार्षिक स्थिर भाटक के दस प्रतिशत की दर से देय होगा।

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, बारां के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (मार्च 2024) कि बारां जिले के विभिन्न स्थलों पर नदी तल से बजरी के उत्खनन हेतु खनन पट्टे जारी करने के लिए निविदाएं आमंत्रित (नवंबर 2013) की गई थीं। एक सफल बोलीदाता को खनन पट्टा (एमएल) संख्या 1/2013 के लिए दिसंबर 2013 में लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) इस शर्त पर जारी किया गया कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी 12 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत नहीं कर सका। तथापि, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 5(2) के अनुसार यह प्रकरण संरक्षित माना गया तथा निर्धारित विलंब शुल्क के भुगतान की शर्त पर नियम 5(4) के अंतर्गत एलओआई अनुमोदित करने की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ाई गई। बोलीदाता ने सितंबर 2022 में खनन पट्टा अनुमोदन हेतु आवेदन किया। इस पर विचार करते हुए, सहायक खनि अभियंता ने लेटर ऑफ़ इंटेंट (एलओआई) अवधि के विस्तार के लिए विलंब शुल्क ₹ 1.54 करोड़ जमा कराने हेतु नवंबर 2022 में आदेश जारी किया। हालांकि, इन आदेशों के परीक्षण में पाया गया कि आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 5(4) के अनुसार, विलंब शुल्क ₹1.79 करोड़ (विवरण ***परिशिष्ट-9*** में) पट्टा निष्पादन की तिथि (मार्च 2023) तक का देय था। इसके विपरीत, विभाग द्वारा विलंब शुल्क केवल 09 सितंबर 2022, अर्थात् पट्टा अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक गणना कर अधिरोपित किया गया। इस प्रकार, ₹24.90 लाख की कम मांग रही, जैसा कि ***परिशिष्ट-9*** में प्रस्तुत है।

यह मामला जुलाई 2024 में राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया। राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2024) में बताया कि देय विलंब शुल्क की वसूली हेतु पट्टा धारक (एमएल 1/2013) को 13 मई 2024 को नोटिस जारी किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (अगस्त 2025)।

[22] आरएमएमसीआर-2017 के नियम 16 खनन पट्टा जारी किया जाने की प्रक्रिया से सम्बंधित है।

2.11 खनन योजनाओं के अनुमोदित हुए बिना अथवा खनन योजनाओं/सरलीकृत खनन योजनाओं में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का अनधिकृत उत्खनन

पांच खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने 15 खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के अनुमोदन के बिना 8.01 लाख मीट्रिक टन खनिजों के उत्खनन के लिए ₹33.22 करोड़ की मांग कायम नहीं की। इसके अतिरिक्त, सात खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक 3.73 लाख मीट्रिक टन खनिजों के अनधिकृत उत्खनन के लिए दस खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध ₹19.41 करोड़ की मांग कायम नहीं की। फलस्वरूप, खनिज लागत ₹52.63 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार, कोई भी खनन पट्टा तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक खनन योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित ना हो। आगे, उप-नियम 29(5) एवं 29(12) के अनुसार, उक्त खनन योजना में पाँच वर्षों की अवधि के लिए वर्षवार सटीक क्षेत्र पर उत्खनन हेतु वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना सम्मिलित की जाएगी तथा अनुज्ञप्तिधारक अनुमोदित खनन योजना अथवा सरलीकृत खनन योजना[23] के अनुरूप ही खनन गतिविधियाँ करेगा। उप-नियम 29(11) में यह प्रावधानित है कि पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुमोदित खनन योजना संबंधित खनि अभियंता अथवा सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करनी होगी। यह भी उपबंधित है कि अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत किए जाने तक पट्टाधारक/ अनुज्ञप्तिधारक खनन कार्य नहीं करेगा और न ही ऐसा खनन कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 28(2)(iv)(ब) के अनुसार, यदि पट्टाधारक द्वारा खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा अथवा लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया जाता है, तो निम्नानुसार वसूली की जाएगी:

- अतिरिक्त उत्खनन 10 प्रतिशत तक है तो अतिरिक्त मात्रा पर एकबारीय अधिशुल्क वसूल किया जाएगा;
- अतिरिक्त उत्खनन 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 25 प्रतिशत तक है तो सम्पूर्ण अतिरिक्त मात्रा पर दो गुना अधिशुल्क वसूल किया जाएगा; और
- अतिरिक्त उत्खनन 25 प्रतिशत से अधिक है तो सम्पूर्ण अतिरिक्त मात्रा को अनधिकृत उत्खनन माना जाएगा और पट्टाधारक ऐसे अतिरिक्त खनिज की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना, अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करने की

[23] राजस्थान में सरलीकृत खनन योजना, छोटे खनन पट्टों (10 हेक्टेयर तक) के लिए बनाई जाने वाली योजना है, जिसमें भूवैज्ञानिक जानकारी- भंडार, उत्पादन तथा पुनर्स्थापन रणनीतियाँ एक निर्धारित अवधि के लिए शामिल होती हैं।

शक्तियों को प्रभावित किए बिना, प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क का दस गुना के रूप में की जाएगी।

नौ[24] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024) कि संबंधित अधिकारियों ने खनिजों के अनधिकृत उत्खनन के विरुद्ध मांग कायम नहीं की, जिसकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है:

(i) अनुमोदित खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के बिना खनिजों का उत्खनन

पाँच[25] खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 पट्टाधारकों ने अनुमोदित खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के बिना 8.01 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन किया था, जैसा कि ***परिशिष्ट-10*** में दर्शाया गया है। उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा ऐसे अनधिकृत उत्खनन के लिए लागू अधिशुल्क के दस गुना राशि ₹33.22 करोड़ वसूल की जानी चाहिए थी। तथापि, अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे प्रतीत हो कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा मांग जारी कर राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गई हो।

इस प्रकार, अनुमोदित खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के बिना खनिजों के उत्खनन के लिए मांग कायम नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹33.22 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2024) कि सहायक खनि अभियंता, बालेसर के अंतर्गत प्रकरणों में वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। खनि अभियंता, अलवर एवं धौलपुर के अंतर्गत प्रकरणों में यह उत्तर दिया गया कि खनन योजनाओं को भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदित किया गया है, अत :आक्षेपित अवधि के दौरान किया गया उत्खनन अनधिकृत नहीं माना जा सकता। खनि अभियंता, भरतपुर के प्रकरणों में बताया गया कि उत्पादन मात्रा खनन योजना से अधिक थी, परंतु संचालन की सहमति (सीटीओ) की सीमा के भीतर थी। खनि अभियंता, बारां के अंतर्गत प्रकरणों में तथ्यों को स्वीकार करते हुए संबंधित पट्टाधारक से प्रत्युत्तर हेतु नोटिस जारी किया गया है।

खनि अभियंता, अलवर एवं धौलपुर द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना को भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदित करने का कोई प्रावधान नहीं है। खनि अभियंता, भरतपुर द्वारा दिया गया उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पर्यावरण विनियमों के अंतर्गत जारी सीटीओ, आरएमएमसी नियम, 2017 के अंतर्गत लागू वैधानिक दायित्वों को अधिभूत नहीं कर सकता।

---

[24] सहायक खनि अभियंता: बालेसर, बारां, चूरू एवं झालावाड़। खनि अभियंता: अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर एवं धौलपुर।

[25] बालेसर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर एवं बारां।

अतः विभाग को खनिजों के अनधिकृत उत्खनन हेतु मांग कायम करने एवं उसकी वसूली के लिए त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(ii) खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का अनधिकृत उत्खनन

सात[26] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दस पट्टाधारकों ने खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक 3.73 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन किया, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-11*** में दिया गया है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार अधिक उत्खनित खनिज की लागत ₹19.41 करोड़ है। हालांकि, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा अधिक उत्खनित खनिज की लागत ₹19.41 करोड़ की मांग कायम नहीं की।

इसके अतिरिक्त, विभाग के ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस में यह सुनिश्चित करने हेतु कोई नियंत्रण तंत्र उपलब्ध नहीं था जिससे खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक उत्खनित खनिजों की मात्रा के लिए ई रवन्ना जारी न हो सके। यह चूक इस बात को रेखांकित करती है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सुधारात्मक निगरानी और नियंत्रण तंत्र को लागू किए जाने की आवश्यकता है।

यह मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सहायक खनि अभियंता, बालेसर, बारां और चूरू के प्रकरणों में पट्टाधारकों को नोटिस जारी किये गए हैं। खनि अभियंता, बाड़मेर, भरतपुर तथा सहायक खनि अभियंता, झालावाड़ के प्रकरणों में उत्पादन, पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) तथा सीटीओ में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं था। इसके अतिरिक्त, खनि अभियंता, बीकानेर के प्रकरणों में विभाग ने खनन योजना के अनुसार पांच वर्ष की कुल अनुमोदित उत्पादन मात्रा की तुलना उसी अवधि के वास्तविक उत्पादन से की, जबकि वर्ष-वार उत्पादन की तुलना, खनन योजनाओं/सरलित खनन योजनाओं में अनुमत वर्ष-वार उत्पादन के अनुसार की जानी चाहिए थी।

खनि अभियंता, बाड़मेर, भरतपुर एवं सहायक खनि अभियंता, झालावाड़ द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 29(12) में स्पष्ट प्रावधान है कि खनन पट्टाधारक को अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप ही खनन कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) द्वारा जारी सीटीओ में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, सहमति इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि पट्टाधारक अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित वर्षवार मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन बोर्ड से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा। इसके अलावा, खनि अभियंता, बीकानेर द्वारा दिया गया उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार वर्षवार आधार पर ही किया जाना चाहिए। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2025)।

[26] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंताः बाड़मेर, बालेसर, भरतपुर, चूरू, बीकानेर, बारां एवं झालावाड़।

अध्याय–III

व्यय लेखापरीक्षा

अध्याय-III

व्यय लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

3.1 'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर' पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

राजस्थान राज्य पशुधन संपदा की दृष्टि से समृद्ध है। पशुधन गणना-2019 के अनुसार राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख पोल्ट्री पक्षी थे। देश के कुल पशुधन का लगभग 10.60 प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है ।

पशुपालन विभाग राज्य की इस विशाल और बहुमूल्य संपदा के महत्व को बनाए रखने, इसके विकास और स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। कमजोर वर्गों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों में से एक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल और रोग नियंत्रण कार्यक्रम है।

राजस्थान सरकार ने पशुधन को लाभ पहुंचाने के लिए (15 अगस्त 2012) पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना शुरू की थी। यह योजना विभागीय पशु चिकित्सालयों एवं उपचार शिविरों में उपलब्ध थी। पशुपालन विभाग राज्य भर में 10,233 इकाई कार्यालयों का संचालन करता है, जिनमें 48 पॉली क्लिनिक, 3,018 पशु चिकित्सालय और 7,167 उपकेंद्र शामिल हैं। इस योजना के तहत पशुओं के उपचार के लिए 138 प्रकार की दवाएं और 25 प्रकार की शल्य चिकित्सा सामग्री[1] निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी।

विभाग ने (12 दिसंबर 2014 को) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड (आरईआईएल) को दवाओं की खरीद, आपूर्ति और खपत को सुव्यवस्थित करने के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन (एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आईओएमएमएस)) विकसित करने का आदेश जारी किया।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

पशुपालन विभाग के शासन सचिव के अधीन निदेशक, मंडल स्तर पर सात अतिरिक्त निदेशकों, जिला स्तर पर 33 संयुक्त निदेशकों और कुचामन शहर (तहसील) में एक उप निदेशक के साथ विभाग के समग्र कामकाज का संचालन करते हैं। आईओएमएमएस की कार्यप्रणाली की जिम्मेदारी

[1] ये आंकड़े वर्ष 2024-25 के लिए हैं। इससे पहले के वर्षों में ये आंकड़े तुलनात्मक रूप से कम थे।

उपनिदेशक (आईटी) को सौंपी गई है, जो अतिरिक्त निदेशक (औषधि) के प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में कार्य करते हैं। विस्तृत संगठनात्मक ढांचा **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

चित्र 3.1: पशुपालन विभाग का संगठनात्मक ढांचा

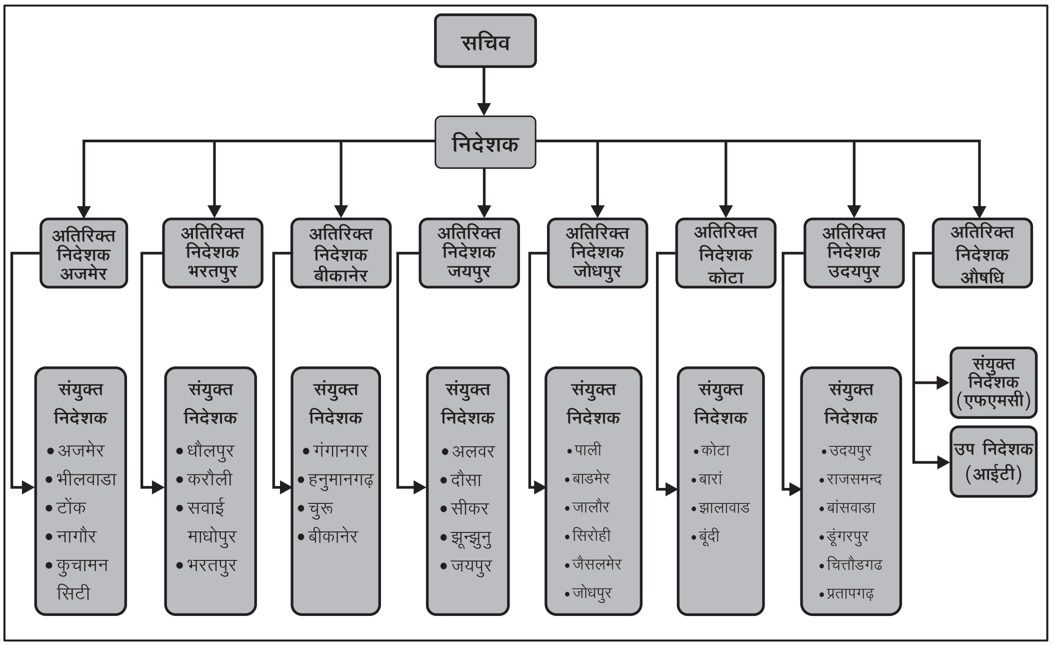

स्रोतः विभागीय वेबसाइट से एकत्रित की गयी सूचना

3.1.3 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों का विहंगावलोकन

आईओएमएमएस एक वेब-आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली है, जो राज्य की पशु चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए विभिन्न दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, भंडार प्रबंधन तथा वितरण से संबंधित है। आईओएमएमएस अनुप्रयोग में कुल 17 मॉड्यूल थे। मॉड्यूलों का विवरण ***परिशिष्ट-12*** में दिया गया है। आईओएमएमएस अप्रैल 2015 से संचालित हो रहा है। आईओएमएमएस की प्रक्रिया प्रवाह आरेख (फ्लो चार्ट) **चार्ट 3.2** में प्रदर्शित है:

चार्ट 3.2: सॉफ्टवेयर का प्रक्रिया प्रवाह आरेख

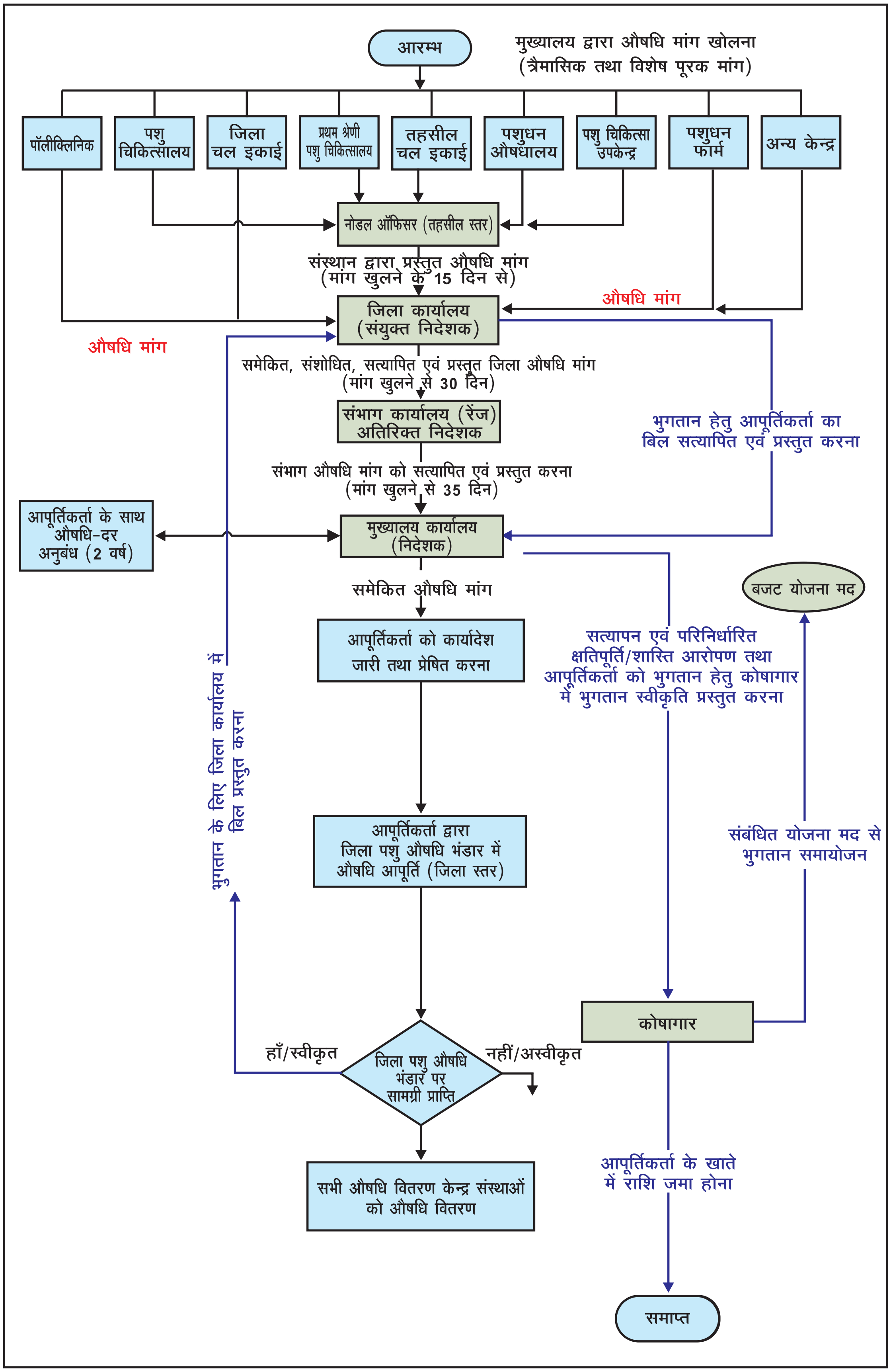

स्रोतः विभाग से एकत्रित की गयी सूचना

3.1.4 वित्तीय परिव्यय

आईओएमएमएस को 2015 में ₹11.23 लाख की लागत से विकसित किया गया था। सितंबर 2024 तक इस प्रणाली पर ₹42.17 लाख (₹11.23 लाख विकास पर तथा ₹30.94 लाख रख-रखाव पर) व्यय किए जा चुके है।

विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि में ₹613.57 करोड़ मूल्य की दवाइयाँ और उपभोग्य सामग्री की खरीद एवं वितरण किया गया। वर्षवार विवरण **चार्ट 3.3** में दिया गया है:

चार्ट 3.3: आईओएमएमएस के माध्यम से संचालित दवाइयों एवं उपभोग्य सामग्रियों का विवरण

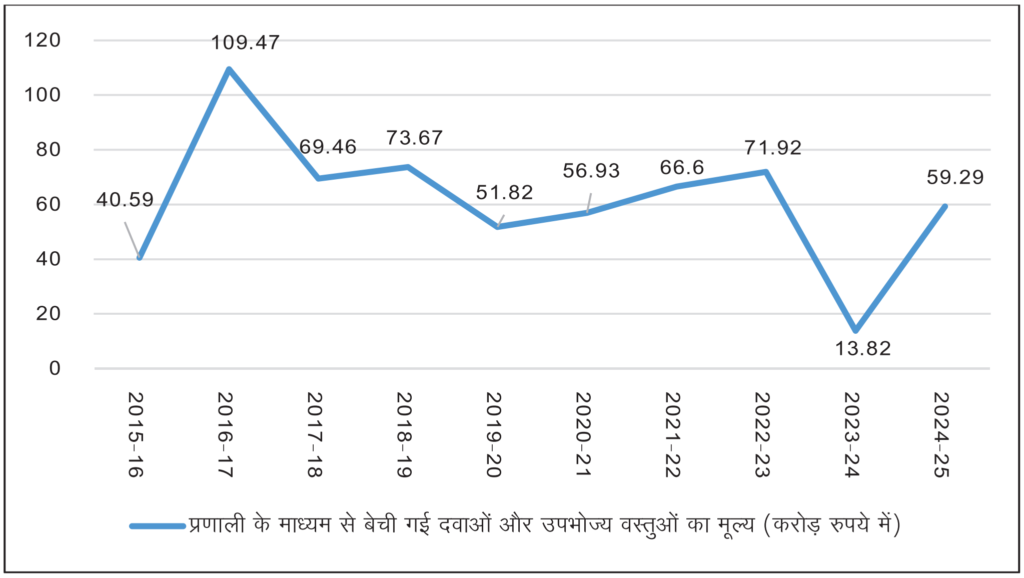

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डंप डाटा का विश्लेषण

3.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- आईटी प्रणाली को अनुमोदित कार्यक्षमताओं के अनुपालन में लागू किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रणाली मौजूद थी।
- आईटी प्रणाली के संचालन से संबंधित सामान्य नियंत्रण कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन में लागू किए गए थे; तथा
- व्यवसायिक नियम सही प्रकार से मैप किये गये थे और अनुप्रयोग नियंत्रण प्रणाली में इस प्रकार लागू किए गए थे कि कार्यपालक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

3.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से अपनाए गए थे:

- भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देश तथा सामान्यतः स्वीकृत श्रेष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी प्रयास;

- आईओएमएमएस के उपयोगकर्ता मैनुअल, सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) और कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश (एफआरएस) दस्तावेज;
- अनुबंध नियम तथा शर्तें, कार्य आदेश तथा सॉफ्टवेयर डेवलपर को जारी अन्य निर्देश;
- राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ, परिपत्र तथा दिशानिर्देश;
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, विभाग द्वारा जारी क्रय आदेश तथा औषधि दर अनुबंध; तथा
- सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा प्रयासों संबंधी दिशानिर्देश।

3.1.7 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि को आच्छादित करते हुए की गई थी। लेखापरीक्षा के दायरे में शासन व्यवस्था का मूल्यांकन, आईटी सिस्टम/एप्लिकेशन में अपनाए गए नियंत्रण, डाटा की सत्यनिष्ठा तथा उक्त अवधि के दौरान इसके परिचालन की प्रभावशीलता का आकलन शामिल था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आईओएमएमएस के सभी मॉड्यूलों की कार्यप्रणाली, इकाई कार्यालयों में दवाओं की खरीद, वितरण और उपभोग से संबंधित अभिलेखों का प्रति सत्यापन किया जाना शामिल था। वर्ष 2015-16 से 2024-25 के इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जिसमें बैक-एंड डाटा/डाटा डंप शामिल है, को संग्रहित कर कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा तकनीकों (CAATs) के माध्यम से इंटरेक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (IDEA) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, सिस्टम दस्तावेज़ (एसआरएस, एफआरएस), बैठकों के कार्यवृत्त और भौतिक दस्तावेजों की समीक्षा भी की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में परिचयात्मक परिचर्चा (02 जनवरी 2025), लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना तथा विभागीय कार्मिकों के साथ परस्पर संवाद शामिल था। लेखापरीक्षा के दौरान सिस्टम में चयनित उपयोगकर्ता भूमिकाओं के लिए कार्यप्रवाहों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। चयनित इकाइयों के 36 विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने हेतु एक प्रश्नावली का उपयोग किया गया, ताकि अनुप्रयोग के नियंत्रणों का मूल्यांकन किया जा सके तथा सिस्टम में डाटा की पूर्णता, नियमितता और संगति तथा सिस्टम में डाटा की प्रविष्टि का पता लगाया जा सके।

फील्ड विजिट के दौरान (06 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025) चयनित इकाइयों के अभिलेखों (जैसा कि नीचे पैराग्राफ संख्या 3.1.8 में उल्लेख किया गया है) की जांच डाटा डंप से संभावित विसंगतियों की पहचान करने के बाद की गई। लेखापरीक्षा जाँच के अंतर्गत तथ्यात्मक विवरण (19 मई 2025) और प्रारूप प्रतिवेदन (03 जुलाई 2025) राज्य सरकार को जारी करना शामिल था। समापन बैठक 23 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और राज्य सरकार की ओर से उत्तर 28 जुलाई 2025 को प्राप्त हुआ था, जिस पर विधिवत विचार किया गया है।

3.1.8 नमूना चयन

अजमेर जिले में एक प्राथमिक अध्ययन (25 जुलाई 2024 से 14 अगस्त 2024 तक) किया गया था। इसके उपरांत, 33 जिलों में से छह जिलों[2] का नमूना चयन किया गया, जिसमें प्रत्येक श्रेणी (कम-जोखिम, मध्यम-जोखिम और उच्च-जोखिम इकाइ) से दो-दो इकाई कार्यालयों का चयन आईडिया सॉफ़्टवेयर के माध्यम से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना (रैंडम सैंपलिंग) तकनीक का उपयोग करते हुए किया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा जाँच के लिए कुल 36 इकाई कार्यालयों का चयन किया गया। चयनित जिलों और इकाई कार्यालयों का विवरण ***परिशिष्ट-13*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अभिलेखों की जांच, डंप डाटा के विश्लेषण और आईओएमएमएस की समीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मुख्य रूप से अवसंरचना सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा सामान्य नियंत्रणों, अनुप्रयोग नियंत्रणों, व्यावसायिक नियमों की मैपिंग और आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को दर्शाते हैं। इन निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: आईटी प्रणाली को अनुमोदित कार्यक्षमताओं के अनुपालन में लागू किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रणाली मौजूद थी।

3.1.9 अप्रभावी शासन प्रणाली

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आईटी प्रणाली को अनुमोदित कार्यक्षमताओं के अनुरूप लागू नहीं किया गया था, क्योंकि आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर के प्रभावी संचालन हेतु आईटी सुरक्षा नीति एवं प्रशिक्षण नीतियाँ तैयार नहीं की गई थीं। इन कमियों पर चर्चा निम्नानुसार है:

3.1.9.1 अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता

सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश के खंड 2.8 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि "सभी सम्बद्ध स्थानों पर इंटरनेट कनेक्शन सहित कंप्यूटर प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए"। साथ ही, इसी के खंड 3.3 में यह भी निर्दिष्ट था कि "क्लाइंट साइड (विभाग) पर न्यूनतम 512 kbps की इंटरनेट स्पीड तथा एक वेब ब्राउज़र आवश्यक है"। जिला पशु औषधि भंडार (DDDs)[3] को आईओएमएमएस का उपयोग मुख्य कार्यों के लिए करना आवश्यक था जैसे कि मांग का संकलन, आपूर्तिकर्ताओं से दवाओं की प्राप्ति, इकाई कार्यालयों को दवाओं का निर्गमन करना, आपूर्ति वाउचर्स बनाना तथा गुणवता परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना। इसी प्रकार, इकाई कार्यालयों में आईओएमएमएस का उपयोग दवा मांग भेजने, प्राप्त दवाओं का रिकॉर्ड दर्ज करने तथा पाक्षिक खपत के डाटा प्रविष्ट करने हेतु करना आवश्यक था। यह दर्शाता है कि सॉफ्टवेयर के सफल

---

2 भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और श्री गंगानगर।

3 जिला स्तर पर संयुक्त निदेशकों के नियंत्रण में जिला औषधि डिपो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे, जैसा कि चार्ट 3.2 में प्रक्रिया प्रवाह आरेख में दर्शाया गया है।

कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक इकाई कार्यालय को कंप्यूटर, आवश्यक सहायक उपकरण और विशिष्ट इंटरनेट व्यवस्था से सुसज्जित होना चाहिए था।

चयनित कार्यालयों के लेखापरीक्षा के दौरान, सात संयुक्त निदेशकों द्वारा यह बताया गया कि आईओएमएमएस के उचित संचालन के लिए आवश्यक 1,917 कंप्यूटरों के विरुद्ध केवल 29 व्यक्तिगत कंप्यूटर और संबंधित सहायक उपकरण उपलब्ध थे। इसके अलावा, प्रश्नावली के प्रतिउत्तरों से यह पता चला कि नमूना जांच किए गए 36 इकाई कार्यालयों में से 32 के पास आवश्यक संसाधन ही उपलब्ध नहीं थे। ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आईटी अवसंरचना सुविधाओं की कमी थी, जो एप्लिकेशन के प्रभावी उपभोग हेतु पूर्व-आवश्यक थी। इसका विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: सॉफ्टवेयर के सुचारू संचालन हेतु अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति

क्र. सं.	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय का नाम	31 मार्च 2024 को संयुक्त निदेशक के अधीन इकाइयों की सख्या	आवश्यक अन्य सहायक उपकरणों की संख्या	उपलब्ध कंप्यूटर एंव अन्य सहायक उपकरणों की संख्या
1	अजमेर	321	342	1
2	भीलवाडा	369	365	2
3	चित्तौडगढ़	254	278	1
4	हनुमानगढ़	258	259	10
5	श्री गंगानगर	264	266	11
6	कोटा	180	194	2
7	सवाईमाधोपुर	211	213	2
कुल		**1,857**	**1,917**	**29**

स्रोत- विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना

तालिका 3.1 मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं की कमी को दर्शाती है। इसलिए, विभाग को सॉफ़्टवेयर के प्रभावी संचालन के लिए अपने इकाई कार्यालयों को मूलभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (28 जुलाई 2025) तथा बताया कि बजट की बाधाओं के कारण अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। बजट उपलब्ध होने पर, अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

3.1.9.2 सूचना सुरक्षा नीति

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देशों[4] के अनुसार, सूचना सुरक्षा नीति को शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, प्रकाशित किया जाना चाहिए तथा सभी उपयोगकर्ता को संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसमें उद्देश्य, क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, सुरक्षा पद्धतियाँ, सुरक्षा प्रबंधन और

[4] ई-सेफः इस दस्तावेज़ में दिए गए दिशानिर्देश ई-गवर्नेंस प्रणालियों के लिए अनुशंसित हैं। सूचना प्रणाली की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियंत्रणों का उचित क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा इससे किसी संगठन के संचालन और परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

घटना रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदारियाँ और सहायक दस्तावेजों के संदर्भ शामिल होने चाहिए। इसमें राज्य प्रबंधन की मंशा, लक्ष्य तथा व्यावसायिक रणनीति के अनुरूप सूचना सुरक्षा के सिद्धांत स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

विभाग ने पूछे जाने पर अवगत कराया कि आईटी सुरक्षा नीति नही बनायी गयी थी। राज्य सरकार ने (28 जुलाई 2025) जवाब दिया है कि सॉफ्टवेयर प्रदाता एजेंसी (आरईआईएल) को राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की आईटी सुरक्षा नीति अपनाने के निर्देश जारी किए गए थे (15 जुलाई 2025)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

3.1.9.3 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देशों के अनुसार, सूचना प्रणाली के व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को उपयुक्त सुरक्षा जागरूकता, प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं पर नियमित अद्यतन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आईओएमएमएस के सफल कार्यान्वयन के लिए उचित अभिविन्यास और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता पूर्व अपेक्षित थी। चयनित 36 इकाइयों के अधिकारियों द्वारा भरे गए प्रश्नावली के उत्तरों से संकलित जानकारी से यह पता चला कि यद्यपि आईओएमएमएस एप्लिकेशन के संचालन के लिए निर्देश जारी किए गए थे, तथापि कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना नहीं बनाई गई थी। यह भी देखा गया कि आईओएमएमएस के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण को छोड़कर विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण सत्र आयोजित नहीं किए गए थे और 36 अधिकारियों में से छः ने पुष्टि की कि वे आईओएमएमएस एप्लिकेशन से पूरी तरह परिचित नहीं थे। विभाग ने पूछे जाने पर (17 मार्च 2025), पुष्टि की (12 जून 2025) कि कोई औपचारिक प्रशिक्षण इकाई स्तर पर "आईओएमएमएस का उपयोग कैसे करें" आयोजित नही किया गया क्योकि कर्मचारियों की उपलब्धता बहुत कम थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि राजस्थान राज्य पशुपालन प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश जारी (18 जुलाई 2025) किए गए हैं कि वे प्रत्येक पशु चिकित्सक/सह-पशु चिकित्सक प्रशिक्षु बैच में आईओएमएमएस मॉड्यूल का प्रशिक्षण शामिल करें। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: आईटी प्रणाली के संचालन से संबंधित सामान्य नियंत्रण कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन में लागू किये गए थे।

3.1.10 सामान्य नियंत्रण

सामान्य नियंत्रणों में डाटा केंद्र का संचालन, सिस्टम सॉफ़्टवेयर का अधिग्रहण तथा रखरखाव, एक्सेस सुरक्षा और एप्लिकेशन सिस्टम के विकास और रखरखाव पर नियंत्रण शामिल है। ये ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें एप्लिकेशन सिस्टम और एप्लिकेशन नियंत्रण कार्य करते हैं। सामान्य नियंत्रण की श्रेणियों में संगठन और प्रबंधन नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण (एक्सेस और पर्यावरण), लॉजिकल एक्सेस नियंत्रण, अधिग्रहण और प्रोग्राम परिवर्तन नियंत्रण, तथा

व्यवसायिक निरंतरता और आपदा रिकवरी नियंत्रण शामिल हैं। लेखापरीक्षा में सामान्य नियंत्रणों में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

3.1.10.1 संचालन प्रक्रिया

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ई-सेफ दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सूचना प्रणालियों के सही और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संचालन प्रक्रियाओं की पहचान की जानी चाहिए, उनका दस्तावेजीकरण और रखरखाव कर उन्हें उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रक्रियाओं में सूचना के प्रसंस्करण और प्रबंधन, बैकअप प्रक्रिया, त्रुटि प्रबंधन, उपकरण रखरखाव, प्रारंभ और बंद करने की प्रक्रिया जैसी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने अंतिम उपयोगकर्ता के लिए सूचना प्रसंस्करण और प्रबंधन, बैकअप प्रक्रिया, त्रुटि प्रबंधन और उपकरण रखरखाव आदि जैसी प्रणालीगत समस्याओं के समाधान के लिए कोई हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया था। प्रश्नावली के माध्यम से 36 यूनिट कार्यालयों से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चला कि मांग प्रस्तुत करने के दौरान सिस्टम डाउनटाइम जैसी परिचालन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए कोई हेल्प डेस्क/केंद्र उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, उप-केंद्रों या इकाई कार्यालयों के लिए एप्लिकेशन में समस्याओं की रिपोर्ट करने या सुधार के सुझाव देने हेतु कोई फीडबैक तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि अब एक समर्पित सहायता केंद्र स्थापित कर दिया गया है। हालांकि विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किए गए।

3.1.10.2 उपयोगकर्ता पहचान और प्रमाणीकरण

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि सूचना और प्रसंस्करण सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सभी कंप्यूटिंग उपकरणों को अद्वितीय उपयोगकर्ता पहचान और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना होगा। विभाग के पास आदर्श पासवर्ड नीति होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम लंबाई (कम से कम आठ वर्ण), जटिलता (अल्फा न्यूमेरिक तथा विशेष वर्ण) और सिस्टम नियंत्रणों के माध्यम से पासवर्ड परिवर्तन की आवृत्ति तय हो, ताकि अनधिकृत परिवर्तनों को रोका जा सके। एप्लिकेशन उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण तंत्र का समर्थन करना चाहिए। एप्लिकेशन को निर्दिष्ट शर्तों के तहत उपयोगकर्ता को पुनः प्रमाणित करना चाहिए (उदाहरण के लिए, निष्क्रियता या निष्क्रियता के निर्दिष्ट अंतराल के बाद, सत्र समय समाप्त होने पर, क्रेडेंशियल बदलने पर इत्यादि)। इसके अलावा, निर्धारित संख्या से अधिक असफल लॉगिन प्रयासों पर सिस्टम को स्वचालित रूप से खाते को एक निश्चित अवधि के लिए लॉक कर देना चाहिए।

विभाग ने पूछे जाने पर (19 फरवरी 2025) बताया कि ऐसी कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई गई थी।

अप्रैल 2015 से मार्च 2025 की अवधि के लिए डाटा विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कमियां भी ध्यान में आईः

- 11,747 रिकॉर्ड में से 1,660 रिकॉर्ड में प्रारंभिक लॉगिन पासवर्ड बदला नहीं गया था।
- 2,237 रिकॉर्ड में पासवर्ड की लंबाई आठ वर्णों से कम थी।
- पासवर्ड में जटिलता का अभाव था, क्योंकि 1,310 रिकॉर्ड में केवल अक्षर थे और 5,181 रिकॉर्ड केवल संख्यात्मक वर्णों से बने थे, जिनमें अल्फ़ान्यूमेरिक या विशेष वर्णों के संयोजन के बिना ही उपयोग किया गया था।

चयनित 36 इकाइयों के विभागीय अधिकारियों के प्रश्नावली उत्तरों की जांच में भी यह सामने आया कि:

- पासवर्ड के लिए अनिवार्य जटिलता (अक्षर-संख्या और विशेष वर्णों का संयोजन) लागू नहीं था;
- आईओएमएमएस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रणाली नहीं थी; और
- उपयोगकर्ता के खाते कई असफल लॉगिन प्रयासों के बाद लॉक नहीं होते थे और निष्क्रियता की अवधि के बाद स्वतः लॉगआउट नहीं होता था।

इन नियंत्रणों में कमजोरियों से बुनियादी सुरक्षा में गंभीर कमी का संकेत मिलता है, जिससे अनधिकृत पहुँच का जोखिम बढ़ता है और सिस्टम की अखंडता प्रभावित हो सकती है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि आरईआईएल को निर्देश (15 जुलाई 2025) दिए गए हैं कि पासवर्ड मजबूत बनाए जाएं, तीन गलत प्रयासों के बाद अगले तीन घंटे के लिए आईओएमएमएस का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए और पहुँच नियंत्रण के लिए एप्लिकेशन मानक विकसित किए जाएँ। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है(सितंबर 2025)।

3.1.10.3 व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी नियंत्रण

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देश यह निर्धारित करते है कि एक दस्तावेजीकृत व्यवसाय निरंतरता नीति विकसित और बनाए रखी जानी चाहिए ताकि आईटी सिस्टम न्यूनतम स्वीकार्य स्तर पर कार्य कर सके और सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। एक व्यवसाय निरंतरता योजना में भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, संपर्क और पुनर्स्थापना गतिविधियाँ परिभाषित होनी चाहिए, जिसकी नामित कर्मचारियों द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाए और प्रमुख कर्मचारियों के साथ साझा किया जाए। बैकअप के लिए वैकल्पिक भंडारण स्थल और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वैकल्पिक प्रक्रमण स्थल स्थापित किए जाने चाहिए ताकि जोखिम प्रबंधित किया जा सके और समय पर रिकवरी सुनिश्चित हो सके। नियमित उपयोगकर्ता-स्तर, सिस्टम-स्तर और सॉफ़्टवेयर बैकअप लिए जाने चाहिए, सुरक्षित रूप से संग्रहीत और संरक्षित किए जाने चाहिए ताकि आपदा या मीडिया विफलता की स्थिति में आवश्यक जानकारी उपलब्ध रहे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग के पास कोई दस्तावेजीकृत व्यवसाय निरंतरता योजना या रिकवरी प्रक्रिया नहीं थी। विभाग ने आवश्यक जानकारी की उपलब्धता और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैकअप नहीं लिया। बैकअप और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना के अभाव में, किसी भी आपदा की स्थिति में विभाग जानकारीयों को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और बताया (28 जुलाई 2025) कि आरईआईएल को निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक के लिए बैकअप और डंप डाटा प्रदान करें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में डाटा प्रदान करना सुनिश्चित करें। हालांकि, व्यवसाय निरंतरता योजना को दस्तावेजीकृत करने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है(सितंबर 2025)।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: ***व्यवसायिक नियम सही प्रकार से मैप किये गये थे और अनुप्रयोग नियंत्रण प्रणाली में इस प्रकार लागू किए गए थे कि कार्यपालक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवश्यक परिचालन नियमों को सटीक या उचित रूप से मैप नहीं किया गया था और कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में एप्लिकेशन नियंत्रण लागू नहीं किए गए थे, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

3.1.11 एप्लिकेशन नियंत्रण

भारत सरकार द्वारा जारी ई-सेफ दिशानिर्देश निर्धारित करते है कि, डाटा प्रविष्टि वैलिडेशन, एप्लिकेशन में प्रविष्टि किए गए डाटा की वैधता की जांच करता है। ये जांच व्यवसायिक लेनदेन, स्थायी डाटा और पैरामीटर तालिकाओं की प्रविष्टि पर लागू होने चाहिए। इन नियंत्रणों में दोहरे प्रविष्टि या अन्य प्रविष्टि जांच शामिल हैं, जैसे सीमा जांच या प्रविष्टि डाटा के विशिष्ट दायरे तक फ़ील्ड को सीमित करना, ताकि आउट-ऑफ-रेंज वैल्यु, डाटा फ़ील्ड में अमान्य वर्ण, मिसिंग या अधूरा डाटा, अधिकतम और न्यूनतम डाटा मात्रा की सीमा से अधिक, और अनधिकृत या असंगत नियंत्रण डाटा का पता लगाया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईओएमएमएस के विभिन्न मॉड्यूल में ये एप्लिकेशन नियंत्रण या तो अनुपस्थित थे या अपर्याप्त थे, जैसा कि नीचे बताया गया है।

3.1.11.1 क्रय आदेश निर्माण, आदेश प्रेषण और सामग्री प्राप्ति मॉड्यूल

कार्यप्रवाह प्रक्रिया के अनुसार, निदेशालय योग्य आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश जारी करता है । आपूर्तिकर्ता दवाइयाँ जिला पशु औषधि भंडार को पहुंचाते है और संबंधित क्रय आदेश के अनुसार जिलेवार प्रेषण चालान/बीजक विवरण आईओएमएमएस सिस्टम में दर्ज करते हैं। जिला कार्यालय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दर्ज प्रेषित जानकारी देख सकते है। दवाइयों की भौतिक प्राप्ति पर, जिला पशु औषधि भंडार को सिस्टम में प्राप्ति विवरण दर्ज/सत्यापित करना आवश्यक है। इन मॉड्यूल का विश्लेषण करने पर विभिन्न कमियाँ सामने आईं, जैसा कि नीचे बताया गया है।

(i) प्रेषण और प्राप्ति प्रक्रिया में मान्यकरण नियंत्रण की कमी के कारण डाटा सत्यनिष्ठा के मुद्दे

विभाग द्वारा प्रदान किए गए डंप डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने सिस्टम में महत्वपूर्ण डाटा अखंडता के मुद्दे पाये। सिस्टम ने महत्वपूर्ण प्रविष्टि क्षेत्र जैसे बैच नंबर, निर्माण तिथि, प्राप्ति तिथि, समाप्ति तिथि, चालान तिथि और बिल तिथि में शून्य या अमान्य प्रविष्टियों की अनुमति

दी। इन महत्वपूर्ण प्रविष्टि क्षेत्र में तिथि "00-00-0000" के रूप में दर्ज की गई। 57,609 अभिलेखों में से शून्य प्रविष्टियां 1.14 प्रतिशत एवं 31.71 प्रतिशत के बीच है, जैसा कि **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: महत्वपूर्ण फ़ील्ड में शून्य प्रविष्टि का विवरण

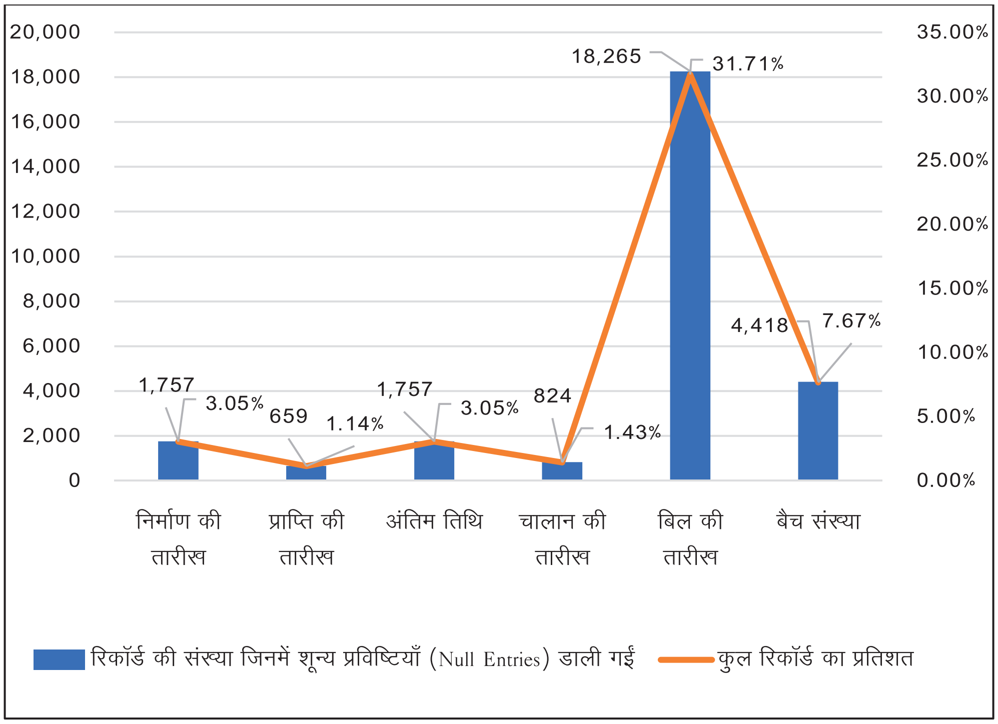

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डंप डाटा का विश्लेषण

ये कमियाँ खरीदी मानकों के गंभीर उल्लंघन का संकेत देती हैं और मान्यकरण नियंत्रण की अनुपस्थिति को उजागर करती हैं, जिससे अनुबंध की शर्तों और डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने (28 जुलाई 2025) जवाब दिया कि मॉड्यूल का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त टैग और टीकों तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त उपकरणों के लिए भी किया जा रहा था, इसलिए जिला औषधि डिपो द्वारा ऐसी प्रविष्टियाँ की गई थी। यह भी कहा गया कि आईओएमएमएस के उन्नयन के समय इन मुद्दों का समाधान कर दिया जाएगा।

भारत सरकार से प्राप्त आपूर्ति और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त उपकरणों के संबंध में यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्माण, प्राप्ति, चालान और बैच संख्या की तिथियां जिला औषधि डिपो द्वारा दवाओं या उपकरणों की प्रत्येक प्राप्ति में आईओएमएमएस में दर्ज की जाने वाली आवश्यक तिथियां थीं।

(ii) आपूर्ति की गई दवाओं की न्यूनतम शेल्फ लाइफ के मान्यकरण करने के लिए इनपुट नियंत्रण का अभाव

विभागीय क्रय आदेश, 2018 के क्लॉज 12 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता दवा की एक्सपायरी तिथि के संबंध में आपूर्ति के समय कम से कम 75 प्रतिशत शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करेगा।

डंप डाटा विश्लेषण से यह पता चला कि 57,609 प्रविष्टियों में से 689 प्रविष्टियों में दवाओं की न्यूनतम शेल्फ लाइफ अवधि निर्धारित 75 प्रतिशत सीमा से कम थी। फिर भी, जिला पशु औषधि भंडार ने इन दवाओं को स्वीकार कर लिया।

चयनित जिला पशु औषधि भंडार में भौतिक अभिलेखों की समीक्षा से इस तथ्य की पुष्टि हुई कि कम शेल्फ लाइफ अवधि वाली दवाओं को स्वीकार किया जा रहा था। ऐसे उल्लंघन से कम शेल्फ लाइफ अवधि वाली दवाएँ प्राप्त होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे उनकी शीघ्र उपयोग की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह भी देखा गया कि आईओएमएमएस में ऐसा प्रविष्टि नियंत्रण नहीं था जो निर्धारित सीमा से कम शेल्फ लाइफ अवधि वाली दवाओं को अस्वीकार कर सके।

आईओएमएमएस के वॉक थ्रू के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने सिस्टम का परीक्षण करते हुए एक दवाई की निर्माण तिथि 01 मार्च 2025 तथा समाप्ति तिथि 04 अप्रैल 2025-दोनों प्रविष्टियों को 04 अप्रैल 2025 को दर्ज किया गया। सिस्टम ने इन प्रविष्टियों को स्वीकार किया और जिला पशु औषधि भंडार में दवाइयों के स्टॉक को अद्यतन कर दिया। इसके अलावा, सिस्टम ने 11 अप्रैल 2025 को इन एक्सपायरी तिथि वाली दवाओं को इकाई कार्यालय (बालपुरा-80109169) को जारी करने की अनुमति भी दी। जो यह दर्शाता है कि आपूर्ति की गई दवाओं की न्यूनतम शेल्फ लाइफ अवधि को मान्य करने हेतु प्रविष्टि नियंत्रण का अभाव है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि आपातकालीन परिस्थितियों और आयातित दवाओं के मामले में वस्तुओं की शेल्फ लाइफ अवधि निर्धारित समय से कम होती है। यह भी कहा गया कि आपूर्ति की गई दवाओं की न्यूनतम शेल्फ लाइफ अवधि सुनिश्चित करने के लिए मान्यकरण चेक आईओएमएमएस में पहले से मौजूद थे, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि लेखापरीक्षा ने सिस्टम के वॉक थ्रू के दौरान इस मान्यकरण नियंत्रण की अनुपस्थिति को देखा, जैसा कि पहले विस्तार से बताया गया है।

3.1.11.2 सामग्री भंडार प्रक्रिया

यह मॉड्यूल दवाइयों के भंडार को बनाए रखने से संबंधित सभी चरणों से संबंधित है, जैसे कि सामग्री की प्रारंभिक भंडार प्रविष्टि, यूनिट कार्यालयों को जारी की गई सामग्री, सामग्री की प्राप्ति, भंडार हस्तांतरण अनुरोध, भंडार हस्तांतरण, और दवाइयों की खपत की प्रविष्टियाँ।

(i) भंडार प्रबंधन में सिस्टम-आधारित सीमांक और वर्गीकरण नियंत्रण की अनुपस्थिति

राजस्थान सरकार द्वारा जारी निःशुल्क औषधि वितरण आदेश (2012) के पैरा संख्या 2.4 के अनुसार, विभाग के संयुक्त निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तर पर आवश्यक दवा सामग्री का न्यूनतम दो महीने का भंडार उपलब्ध हो।

आईओएमएमएस के विश्लेषण से पता चला कि सामग्री भंडार प्रक्रिया मॉड्यूल में आवश्यक सिस्टम नियंत्रणों का अभाव है, जैसे न्यूनतम/अधिकतम भंडार स्तर के लिए सीमांक मान्यकरण और दवाओं को आवश्यकता के अनुसार उच्च, मध्यम या निम्न श्रेणी में वर्गीकृत करना। इन निष्कर्षों की पुष्टि इकाई कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रश्नावली उत्तरों से भी हुई।

इसके अतिरिक्त, चयनित जिला कार्यालयों ने कहा कि आवश्यक दवाओं को उच्च, मध्यम या निम्न में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसलिए, न्यूनतम भंडार की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी थी और केवल 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत दवाएँ जिला पशु औषधि भंडार में आरक्षित रखी गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि वर्तमान में आईओएमएमएस में भंडार प्रबंधन में सिस्टम-आधारित सीमांक और वर्गीकरण नियंत्रण उपलब्ध नहीं हैं। ये प्रावधान आरईआईएल की मदद से आईओएमएमएस में शामिल किए जाएंगे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है(सितंबर 2025)।

(ii) दवाओं की आपूर्ति के साथ मांग को संरेखित करने के लिए सिस्टम नियंत्रण की अनुपस्थिति

राजस्थान सरकार द्वारा जारी निःशुल्क औषधि वितरण आदेश (2012) के पैरा संख्या 2.3 के अनुसार, सभी पशु चिकित्सा क्लीनिकों, जिनमें उनके उप-केंद्र भी शामिल हैं, को अगले तीन महीनों के लिए दवाओं और शल्य चिकित्सा संबंधी उपभोग्य सामग्रियों की मांग आईओएमएमएस के माध्यम से भेजनी होगी। तदनुसार, मुख्यालय द्वारा योग्य आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश जारी किए जाने थे। आपूर्तिकर्ता द्वारा औषधियों की आपूर्ति जिला औषधि डिपो को की जानी थी, जहाँ से इन्हें संबंधित इकाई कार्यालयों को वितरित किया जाना था।

डंप डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख अवलोकन सामने आए:

- 16,645 रिकॉर्ड में, जिला औषधि डिपो द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा इकाई कार्यालयों द्वारा मांगी गई मात्रा से अधिक थी।
- 1,72,749 रिकॉर्ड में, जिला पशु औषधि भंडार द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा, इकाई कार्यालयों द्वारा मांगी गई मात्रा से कम थी।

इसके अलावा, चयनित जिला कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण में यह देखा गया कि अधिकांश दवाएँ इकाई कार्यालयों द्वारा की गई मांग के अनुसार नहीं थी। आपूर्ति या तो कम थी या अधिक; इसके अलावा, कई मामलों में, इन कार्यालयों द्वारा कोई मांग न किए जाने के बावजूद दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। नमूना जांच परिणामों को ***परिशिष्ट-14*** में दर्शाया गया है।

आईओएमएमएस मॉड्यूल के विश्लेषण से पता चला कि सिस्टम भंडार स्तर के आधार पर स्वतः सुझाव नहीं देता या स्वतः मांग पत्र उत्पन्न नहीं करता है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक यूनिट कार्यालय को सिस्टम इंटेलिजेंस या स्वचालित स्टॉक-स्तर निगरानी के समर्थन के बिना, डिमांड जेनरेशन लिंक के माध्यम से दवाओं की मांग मैन्युअल रूप से दर्ज करनी पड़ती थी। आईओएमएमएस मॉड्यूल में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर और यूनिट कार्यालयों द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार दवाओं के वितरण के लिए एक तंत्र का भी अभाव था।इसके परिणामस्वरूप एक असंतुलन उत्पन्न हुआ, जहाँ एक ओर कुछ इकाई कार्यालयों में पशुओं को दवाओं की कमी या अनुपलब्धता के कारण दवाइयों से वंचित रहना पड़ा, वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर अधिक आपूर्ति के कारण अनावश्यक खपत हुई।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि दवाएँ इकाई कार्यालयों द्वारा की गई मांग के अनुसार आपूर्ति की गईं। हालांकि, भंडार की उपलब्धता, आपातकालीन परिस्थितियाँ, और इंटरनेट की कम/अनुपलब्धता के कारण भिन्नता हो सकती है।

हालांकि, इस जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा, जांचे गए 9 मामलों (***परिशिष्ट-14***) में यह देखा जा सकता है कि दवाओं की आपूर्ति बिना किसी मांग के की गई थी। साथ ही, मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए प्रणालीगत नियंत्रण के अभाव के बारे में उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

आईओएमएमएस को अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि स्टॉक की पुनःपूर्ति के लिए स्वचालित ट्रिगर सुनिश्चित करने, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने और मांग एवं आपूर्ति दक्षता में सुधार हो।

(iii) दवाओं की एक्सपायरी से पहले उनके इष्टतम उपयोग के लिए प्रभावी नियंत्रणों की अनुपस्थिति

लेखापरीक्षा में दवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए नियंत्रणों का अभाव पाया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- ***दवा वितरण और उपभोग के लिए एफईएफओ पद्धति को लागू करने हेतु प्रणालीगत नियंत्रण का अभाव***

राजस्थान सरकार द्वारा जारी निःशुल्क औषधि वितरण आदेश (2012) के पैरा संख्या 5.2 के अनुसार,सिस्टम को दवाएँ एफईएफओ (पहले एक्सपायर, पहले आउट) पद्धति से जारी करनी चाहिए। जिला पशु औषधि भंडार को इकाई कार्यालयों को एफईएफओ के आधार पर दवाएँ जारी करनी थीं, लेकिन यह प्रवाह आईओएमएमएस में मैप नहीं था।

डंप डाटा विश्लेषण से पता चला कि 4,73,864 रिकॉर्ड में से 2,36,932 रिकॉर्ड में एफईएफओ पद्धति का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, चयनित जिला कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पुष्टि की गई कि सिस्टम दवाओं के जारी करने को उनकी एक्सपायरी तिथियों के क्रम में लागू या मान्य नहीं करता था, और न ही यह एक्सपायरी की तिथि के करीब वाली दवाओं के चयन के लिए चेतावनी उत्पन्न करता था। जिला औषधि डिपो किसी भी बैच की दवाओं का चयन कर सकते थे, चाहे उनकी समाप्ति तिथि कुछ भी हो, और उन्हें यूनिट कार्यालयों को जारी कर सकते थे।परिणामस्वरूप, दवाओं का वितरण और उपभोग एफईएफओ पद्धति के बिना ही किया गया। इसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-15*** में दिया गया है। इसलिए, दवाओं के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांचों को लागू करना या मान्य करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (28 जुलाई 2025) कि सिस्टम केवल दवाओं को जारी करने के समय दवाओं की एक्सपायरी तिथि दिखाता है, लेकिन उसने दवा जारी करने के लिए एफईएफओ पद्धति पर जोर नहीं दिया। इन मुद्दों का समाधान आईओएमएमएस के उन्नयन के माध्यम से किया जाएगा। आगे की प्रगति की प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

- ***अवधिपार दवाओं के उपभोग को रोकने के लिए मान्यकरण जाँच की अनुपस्थिति***

सिस्टम में अवधिपार दवाओं के जारी होने या उपभोग को रोकने के लिए आवश्यक मान्यकरण नियंत्रण नहीं हैं। यद्यपि आईओएमएमएस एप्लिकेशन अवधि पार दवाओं को लाल रंग में दिखाता है, लेकिन इसमें ऐसे स्टॉक से जुड़े आगे के लेन-देन को रोकने के लिए फ्रीज या ब्लॉक करने की कोई प्रणाली लागू नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अवधि पार हो चुकी दवाएं भी उपभोग के लिए जारी की जा सकती हैं। दवाओं की खपत के आंकड़ों के विश्लेषण से एक्सपायरी संबंधी नियमों के पालन में कमियों का पता चला।

- 90.76 लाख रिकॉर्ड में से, 4.27 लाख रिकॉर्ड में दवाओं का उपयोग समाप्ति तिथि के बाद किया गया था, जबकि बैच की समाप्ति तिथि के बाद 14 दिनों की छूट अवधि[5] दी गई थी।
- इसके अलावा, इन 4.27 लाख प्रविष्टियों में से 1.65 लाख प्रविष्टियों में एक्सपायर्ड दवाओं की खपत बैकएंड से दर्ज की गई थी। इससे डाटा की सत्यनिष्ठा को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।

चयनित कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, इकाइयों के भौतिक अभिलेखों की समीक्षा की गई और स्टॉक रजिस्टरों से यह सत्यापित हुआ कि अजमेर, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर कार्यालयों में उपभोग के लिए एक्सपायर्ड दवाएं जारी की गई थी। इसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-16*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि मान्यकरण नियंत्रण संस्थान स्तर पर दवा जारी करने के लिए उपलब्ध था। दवाएँ भौतिक रूप से समाप्ति से पहले उपभोग की गई थी, लेकिन कंप्यूटर/सॉफ़्टवेयर सुविधा की अनुपलब्धता के कारण दवा खपत को आईओएमएमएस में अद्यतन नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों में, दवा खपत की प्रविष्टियाँ जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन के बाद की गईं।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईओएमएमएस में उपभोगकर्ताओं को अवधि पार दवाएँ जारी करने से रोकने के लिए कोई मान्यकरण नियंत्रण नहीं था, जिसकी वॉक थ्रू में भी पुष्टि हुई। जिला स्तर पर दवा खपत डाटा के विश्लेषण से पता चला कि सिस्टम खपत तिथि के बाद प्रविष्टियाँ करने की अनुमति देता है। इकाई स्तर पर भौतिक अभिलेखों की जांच से यह प्रमाणित होता है कि दवाइयां एक्सपायर्ड तिथि के बाद इकाई स्तर पर उपभोग के लिए जारी की गई थीं, जैसा कि ***परिशिष्ट-16*** में दिखाया गया है।

इन निष्कर्षों ने इकाई स्तर पर अवधि पार हो चुकी दवाओं के वितरण को रोकने के लिए प्रणाली में तत्काल सुधारात्मक उपायों/नियंत्रणों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इकाइयों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए ताकि लाभार्थियों को दोनों प्रणालियों यानी आईओएमएमएस और भौतिक अभिलेखों में एक साथ दवाएं जारी की जा सकें, जिससे दवाओं का सुरक्षित उपभोग सुनिश्चित हो सके।

[5] दवा की डिलीवरी पखवाड़े में एक बार की जाती थी, इसलिए 14 दिनों की छूट दी गई थी।

(iv) वैधता नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण अपात्र इकाइयों को दवाएँ जारी होना

प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय (एफजीवीएच) या पशु चिकित्सालय (वीएच) को 138 प्रकार की दवाओं के लिए पात्रता प्राप्त थी। तथापि, दवा सूची के अनुसार उप-केंद्र केवल 62 प्रकार की दवाओं के लिए ही पात्र थे क्योंकि वहां कोई पशु चिकित्सक तैनात नहीं था। कुछ विशिष्ट शल्य चिकित्सा सामग्री भी उप-केंद्रों को जारी नहीं की जानी थी। राजस्थान सरकार द्वारा जारी निःशुल्क औषधि वितरण आदेश (2012) के पैरा संख्या 3.1 के अनुसार, जिला औषधि डिपो आईओएमएमएस एप्लिकेशन का उपयोग करके, एफजीवीएच, वीएच और उप केंद्रों सहित अपने सभी इकाई कार्यालयों को दवाएं जारी करने के लिए जिम्मेदार थे।

डंप डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2,66,556 रिकार्ड के माध्यम से 4,727 उप-केंद्रों को 31,74,318 मात्रा में दवाइयां जारी की गईं। इसके अलावा, चयनित जिला कार्यालयों की लेखापरीक्षा में भी पुष्टि हुई कि दवा जारी करते समय आईओएमएमएस में दवा संबंधी इकाई कार्यालयों की पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया था। जारी मॉड्यूल में आवश्यक वैधता जांच की कमी के कारण 21 चयनित उप-केंद्रों में से 17 अप्रात्र उप-केंद्रों को दवाएँ जारी की गईं। अपात्रता के बावजूद, इन उप-केंद्रों ने दवाओं का उपभोग किया। उदाहरण ***परिशिष्ट-17*** में दिए गए है। यह स्थिति आईओएमएमएस एप्लिकेशन में एक गंभीर प्रणालीगत दोष को दर्शाती है, जिससे अपात्र केंद्र भी उन दवाओं को प्राप्त और उपभोग कर सकते हैं जिनके लिए वे अधिकृत नहीं थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (28 जुलाई 2025) कि आईओएमएमएस किसी भी इकाई को कोई भी दवा जारी करने की अनुमति देता है क्योंकि आपातकाल/प्रकोप की स्थिति में किसी भी इकाई को ऐसी दवाओं की मांग हो सकती है। हालांकि, यह भी कहा गया कि आईओएमएमएस के उन्नयन के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

3.1.11.3 दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण

औषधि दर अनुबंध, 2018 के धारा 19 (2) के अनुसार, राजस्थान के पशुपालन निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय, यादृच्छिक रूप से या किसी शिकायत पर एकत्र किए गए नमूनों की किसी भी संख्या को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त एक या एक से अधिक अनुमोदित प्रयोगशालाओं और/या औषधि नियंत्रक/निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में भेजने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता थी।

(i) नमूने एकत्र करने और जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की समयसीमा के लिए दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति

आपूर्तिकर्ता के लिए गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के साथ दवाओं की आपूर्ति करना अनिवार्य था। इसके अलावा, जिला औषधि नियंत्रण कार्यालयों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए दवाओं के नमूने जिला औषधि डिपो (डीडीडी) से यादृच्छिक रूप से या शिकायत के आधार पर एकत्र करने थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने न्यूनतम नमूने एकत्र करने की संख्या, परीक्षण रिपोर्ट

प्राप्त करने की अपेक्षित समय सीमा और सिस्टम पर रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए। डंप डाटा के विश्लेषण से पता चला कि विभाग द्वारा 2015 से 2025 की अवधि में गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए 597 नमूनों में से 500 नमूनों की गुणवत्ता रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड नहीं की गई। चयनित कार्यालयों में यह देखा गया कि जिला औषधि नियंत्रण कार्यालयों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण के लिए 114 नमूने एकत्र किए गए थे जिनका विवरण **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: दवाओं के गुणवत्ता परीक्षण का विवरण

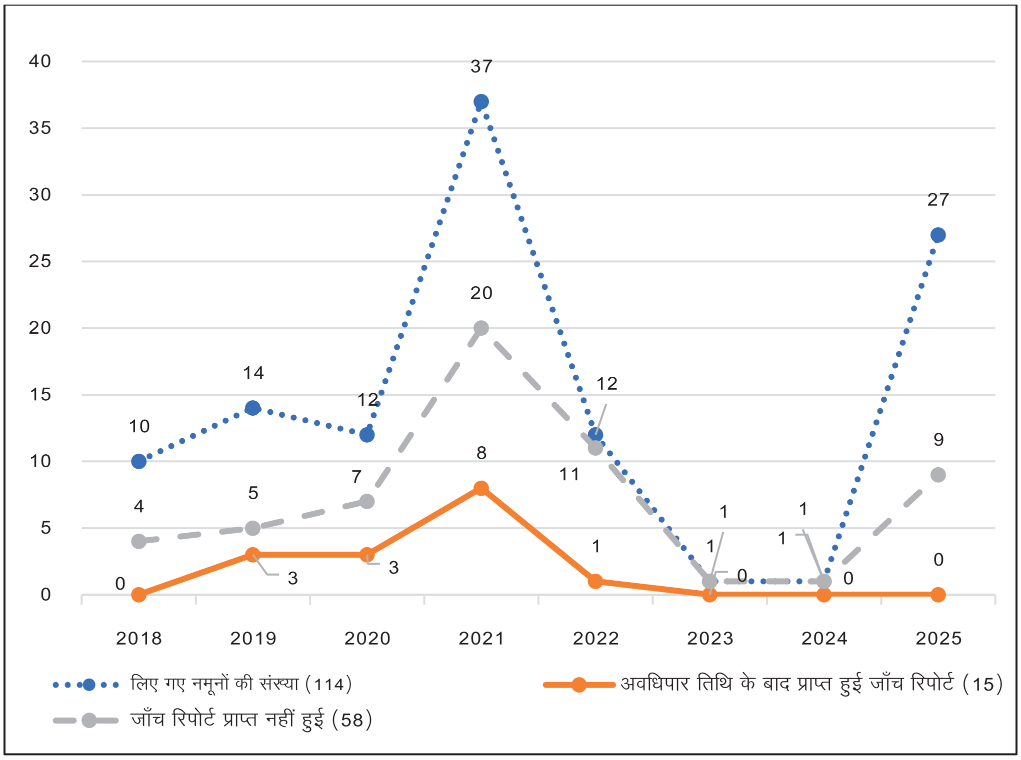

स्रोतः अभिलेखो की संवीक्षा तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना

उपरोक्त चार्ट यह दर्शाता है कि, इन 114 नमूनों में से 58 नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त ही नहीं हुई और 15 नमूनों की रिपोर्ट संबंधित दवाओं की एक्सपायरी के बाद प्राप्त हुई।

इसके अलावा यह भी पाया गया कि चार दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट में असफल रहे (***परिशिष्ट-18***)। इन मामलों में यह भी देखा गया कि नमूने लेने में सतर्कता नहीं बरती गई, जबकि दवा की शेल्फ लाईफ दो साल की थी। एक दवा (एमजे-5) के मामले में, गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूना केवल दवा की एक्सपायरी से 17 दिन पहले लिया गया और दवा की अमानक रिपोर्ट एक्सपायरी से चार दिन पहले प्राप्त हुई। तब तक दवा इकाई में उपभोग हो चुकी थी।

एक अन्य मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमके-5 नामक दवा के लिए, जिसकी एक्सपायरी तिथि 31 मार्च 2022 थी, गुणवत्ता परीक्षण का नमूना 25 जनवरी 2021 को एकत्र किया गया था। तथापि, दवा को अमानक का घोषित करने वाले जांच परिणाम विभाग को लगभग एक साल बाद, यानी 9 मार्च 2022 को, इसकी एक्सपायरी तिथि से महज 26 दिन पहले ही सूचित किए गए थे और दवाओं का उपभोग 2021 तक हो चुका था (***परिशिष्ट-18***)। इस देरी के कारण समय पर कार्रवाई नहीं होने से अमानक दवा के आगे उपभोग को रोका नहीं जा सका।

यह नमूनों के संग्रह और गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों की समयबद्ध प्राप्ति दोनों के लिए समयसीमा निर्धारित करने वाले स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नमूना संग्रह में अनुचित देरी, साथ ही गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों की समय पर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक प्रभावी तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, जांच परिणाम प्राप्त होने से पहले ही अमानक दवाओं का उपभोग हो गया।

इसके अलावा, सिस्टम को अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे नमूनों को, जिनकी रिपोर्ट निश्चित समय पर प्राप्त नहीं हुई, चेतावनी संकेत (रेड फ्लैग) किया जा सके, जिससे अमानक दवाओं के उपभोग को रोका जा सके और परीक्षण रिपोर्ट की समय पर निगरानी एवं उसके अनुसार दवा के उपभोग की पुष्टि सुनिश्चित हो सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर (03 जुलाई 2025), इस पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ii) अमानक दवाओं को चेतावनी संकेत (रेड फ्लैग) करने के लिए स्वचालित नियंत्रण की अनुपस्थिति

यदि कोई विशेष दवा प्रयोगशाला परीक्षण में असफल हो जाती है, तो जिला पशु औषधि भंडार को मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों को स्वंयस्तर (मैन्युअली) सूचित करना होता है ताकि इस दवा का वितरण और उपभोग रोक दिया जाए।

यह देखा गया कि आईओएमएमएस में उस नियंत्रण का अभाव है जिसके माध्यम से यह दवा की स्थिति को स्वचालित रूप से अपडेट कर सके और जैसे ही असफल परीक्षण रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड होती है, उस दवा को उन सभी इकाइयों में "निम्न गुणवत्ता" के रूप में चिह्नित कर सके जहां वह दवा उपभोग के लिए उपलब्ध थी।

चूंकि जांच रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड नहीं की जा रही थी, यानी पैरा 3.1.11.3 में उल्लिखित 597 नमूनों में से 500 नमूने, इसलिए घटिया दवाओं की खपत का डाटा विश्लेषण नहीं किया जा सका। तथापि, अभिलेखों की जांच से पता चला कि नागौर के जिला औषधि डिपो में 3 दिसंबर 2020 को दवा एमबी-1 (बैच नंबर-एसवी180) के अमानक पाए जाने की पूर्व सूचना होने के बावजूद, जनवरी 2021 और अगस्त 2021 के बीच भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में इस दवा का उपभोग किया गया। ये दवाएं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले (जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 के बीच) जारी की गई थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले दो बैचों का उपभोग कर लिया गया था और दो बैचों का उपभोग उन रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद भी किया गया था जिनमें इन्हें अमानक घोषित किया गया था। इस प्रकार, सिस्टम में उन सभी यूनिट कार्यालयों में अमानक दवाओं को चिह्नित करने के लिए स्वचालित नियंत्रणों का अभाव था जहां दवा का एक ही बैच उपलब्ध था (***परिशिष्ट-18***)।

राज्य सरकार ने (28 जुलाई 2025) कहा कि अमानक गुणवत्ता वाली दवाओं के भंडार को रोकने के लिए आईओएमएमएस में अनुप्रयोग नियंत्रणों का अभाव है। विभाग आरईआईएल के साथ मिलकर इसके लिए एक मॉड्यूल विकसित कर रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

(iii) गुणवत्ता परीक्षण में मंजूरी मिलने के बाद स्टॉक को स्वतः अनब्लॉक करने के लिए अपर्याप्त सिस्टम नियंत्रण

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 23(4) में प्रावधान किया गया था कि निरीक्षक को नमूने को चार भागों में विभाजित करना और उसे प्रभावी ढंग से सील करना तथा स्पष्ट रूप से चिह्नित करना आवश्यक था। एक भाग को परीक्षण के लिए सरकारी विश्लेषक के पास भेजा जाना था, दूसरा भाग मामला दर्ज होने की स्थिति में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, तीसरा भाग धारा 18-ए के तहत पहचाने गए संबंधित व्यक्ति को दिया जाना था, और चौथा भाग जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जब्त रखा जाना था।

यह देखा गया कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूना लेते ही उस दवा के चार भाग स्टॉक से डेबिट/ब्लॉक हो जाते हैं। आईओएमएमएस की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि सिस्टम में दवा के स्टॉक को बहाल करने के लिए एक स्वचालित तंत्र का अभाव था, जिसे गुणवत्ता नमूनाकरण के दौरान पहले डेबिट/ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन बाद में "मानक गुणवत्ता" के रूप में पुष्टि की गई थी। परिणामस्वरूप, इन मात्राओं का स्थायी रूप से हिसाब नहीं रखा जाता है, जिससे स्टॉक रिकॉर्ड में विसंगतियां और इन्वेंट्री का अप्रभावी उपयोग होता है।

राज्य सरकार का उत्तर इस मामले में प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

3.1.12 निष्कर्ष

पशुपालन विभाग द्वारा विकसित और लागू किए गए 'एकीकृत ऑनलाइन औषधि प्रबंधन सॉफ़्टवेयर' (आईओएमएमएस) की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा कार्यात्मक और तकनीकी क्षेत्रों में कई गंभीर कमियों को उजागर करती है। इन कमियों ने राज्य में दवाओं की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, भंडार प्रबंधन और वितरण के आरम्भ से अंत तक प्रक्रियाओं में सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

2015 से प्रणाली संचालन होने के बावजूद, विभाग व्यक्तिगत कंप्यूटरों की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी आईटी अवसंरचना की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सका। बुनियादी समर्थन की इस कमी ने वास्तविक समय में डाटा प्रविष्टि और सिस्टम के उपयोग में बाधा उत्पन्न की, जिससे एप्लिकेशन की अखंडता और उपयोगिता प्रभावित हुई। आईटी प्रशासन के परिप्रेक्ष्य से, विभाग में सूचना सुरक्षा नीति, पासवर्ड प्रोटोकॉल और आपदा से उबरने के उपायों का अभाव था। उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण नियंत्रण कमजोर थे, और कोई व्यावसायिक निरंतरता योजना मौजूद नहीं थी। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कोई हेल्प डेस्क उपलब्ध नहीं थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में प्रमुख अनुप्रयोग नियंत्रणों की अनुपस्थिति देखी गई, जिनमें न्यूनतम समाप्ति अवधि के लिए सत्यापन जांच, एफईएफओ (फर्स्ट एक्सपायरी-फर्स्ट आउट) प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और दवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच सिस्टम-आधारित मैपिंग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र अपर्याप्त थे और रिपोर्टिंग में परिभाषित समयसीमा या मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभाव था। निम्न गुणवत्ता वाले स्टॉक को ब्लॉक करने और स्वीकृत स्टॉक को अनब्लॉक करने के लिए कोई स्वचालित नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसी प्रकार, शेल्फ-लाइफ

सत्यापन और स्वचालित स्टॉक मिलान तंत्र या तो अनुपस्थित थे या अप्रभावी ढंग से लागू किए गए थे।

निष्कर्षतः लेखापरीक्षा ने व्यावसायिक नियमों, तकनीकी मानकों और परिचालन आवश्यकताओं के साथ सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन को संरेखित करने में प्रणालीगत कमियों को उजागर किया।

3.1.13 अनुशंसायें

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार इन पर विचार कर सकती है:

- सभी इकाई कार्यालयों में आवश्यक हार्डवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता में तेजी लाना।
- पासवर्ड नीतियों, बहु स्तरीय प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच मानकों और सिस्टम उपयोग निगरानी के कार्यान्वयन के माध्यम से आईटी सुरक्षा को मजबूत करना।
- संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करें, वास्तविक समय में समस्याओं के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत हेल्प डेस्क और उपयोगकर्ता सहायता प्रणाली बनाएं।
- नियमित बैकअप के साथ एक औपचारिक व्यवसाय निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना विकसित और कार्यान्वित करें।
- आईओएमएमएस में अनिवार्य मान्यकरण जांच लागू करना, जैसे न्यूनतम समाप्ति अवधि, एफईएफओ, शेल्फ-लाइफ मानक और मांग-आपूर्ति संरेखण को सुनिश्चित करना।
- आईओएमएमएस को उन्नयन/तकनीकी रूप से रीफ्रेश करना ताकि भंडारपूर्ति के लिए स्वः चालित ट्रिगर सुनिश्चित हो, मैनुअल हस्तक्षेप कम हो और मांग तथा आपूर्ति की दक्षता बढ़े।
- दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्वचालित नियंत्रण लागू करना, अमानक बैचों को चिन्हित करना और अवरुद्ध करना और अनुमोदित स्टॉक को स्वचालित रूप से अनब्लॉक करना।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

3.2 पूंजीगत अनुदान की राशि ₹ 61.25 लाख का अनियमित भुगतान

विभाग ने 'मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण उद्यमों के लिए विशेष पैकेज' के अंतर्गत दो उद्यमों को ₹61.25 लाख पूंजीगत अनुदान का अनियमित भुगतान किया, जबकि ये उद्यम मेडिकल ऑक्सीजन के स्थान पर औद्योगिक ऑक्सीजन के उत्पादन में कार्यरत थे।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने हेतु राज्य सरकार ने राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने की आवश्यकता को अनुभव किया।

तदनुसार, राज्य सरकार ने 30 अप्रैल 2021 को 'मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण उद्यमों के लिए विशेष पैकेज' (पैकेज) जारी किया, जिसके माध्यम से पात्र मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण उद्यमों को लाभ प्रदान किया जाना था।

पैकेज के क्लॉज़ 3 में प्रावधान है कि यह उन नए एवं विद्यमान उद्यमों पर लागू होगा जिन्होंने नए मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण इकाई/सुविधा की स्थापना हेतु ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक का निवेश किया हैं। यह भी प्रावधान है कि 30 सितम्बर 2021[6] से पूर्व मेडिकल ऑक्सीजन विनिर्माण इकाई/सुविधा द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन प्रारंभ करना आवश्यक होगा। पैकेज के क्लॉज़ 2(ii) के अनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारंभ करने का अभिप्राय उस तिथि से है जिस दिन उद्यम पैकेज के अंतर्गत किए गए निवेश से विनिर्मित मेडिकल ऑक्सीजन का पहला आपूर्ति बिल/इनवॉइस/टैक्स इनवॉइस जारी करता है। क्लॉज़ 2(iii) में निर्दिष्ट है कि 'मेडिकल ऑक्सीजन' का अर्थ उच्च शुद्धता वाली ऑक्सीजन से है, जिसका उपयोग मानव शरीर के चिकित्सीय उपचार हेतु किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, क्लॉज़ 4 बी में प्रावधान है कि पात्र उद्यम को प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरणों में किए गए निवेश का 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 लाख होगी।

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया (फरवरी 2024) कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति (एसएलएससी[7]) ने पैकेज के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान प्रदान करने हेतु 11 उद्यमों के प्रकरणों को अनुमोदित किया। इनमें से दो[8] उद्यमों को पैकेज के अंतर्गत कुल पूंजीगत अनुदान ₹61.25 लाख[9] स्वीकृत किया गया। मैसर्स 'X' उपक्रम, अलवर ने वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के प्रमाणस्वरूप पहले दो इनवॉइस (16 सितम्बर 2021 एवं 18 सितम्बर 2021) तथा मैसर्स 'Y' उपक्रम, कोटा ने 30 जुलाई 2021 का पहला इनवॉइस प्रस्तुत किया, जो पैकेज के अंतर्गत किए गए निवेश से विनिर्मित ऑक्सीजन से संबंधित थे।

दोनों उपक्रमों ने इन इनवॉइसों में मेडिकल ऑक्सीजन के स्थान पर ऑक्सीजन गैस की बिक्री दर्शाई थी तथा औद्योगिक ऑक्सीजन पर लागू 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लगाया था। जबकि 14 जून 2021 से 30 सितम्बर 2021 की अवधि के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन पर पाँच प्रतिशत की दर से ही जीएसटी देय था।

अतः, ₹61.25 लाख के पूंजीगत अनुदान का अनियमित भुगतान उन उद्यमों को किया गया जो मेडिकल ऑक्सीजन के स्थान पर औद्योगिक ऑक्सीजन के वाणिज्यिक उत्पादन में संलग्न थे, जो ब्याज सहित वसूल किया जाना है।

---

6 यह योजना अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक चालू थी।

7 वर्ष 2022 के दौरान आयोजित की गयी राज्य स्तरीय छानबीन समिति।

8 राशि ₹ 28.75 लाख (02 दिसम्बर 2022) एवं ₹ 32.50 लाख (12 दिसम्बर 2022) क्रमशः मैसर्स 'X' उपक्रम, अलवर एवं मैसर्स 'Y' उपक्रम, कोटा के लिए।

9 ₹ 61.25 लाख = ₹ 28.75 लाख + ₹ 32.50 लाख।

यह मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2025)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून 2025) कि संबंधित उद्यमों को अनुदान राशि को ब्याज सहित जमा कराने हेतु पत्र जारी (07 फरवरी 2025) किया गया है तथा इस संबंध में 15 अप्रैल 2025 को जिला कलेक्टर को सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु पत्राचार किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

जयपुर
दिनांक : 27 फरवरी 2026

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 03 मार्च 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2: पृष्ठ 1)

विभागों का संक्षिप्त प्रालेख

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागों के मुख्य कार्य/उद्देश्य है:
1	कृषि	खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए भूमि एवं जल जैसे संसाधनों के कुशल उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, फसल विविधीकरण, जैविक कृषि तथा मशीनीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हेतु वैज्ञानिक तकनीकों, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन तथा मिश्रित-गहन कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण, लागत में कमी तथा फसल बीमा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
2	कृषि विपणन	किसानों के उत्पाद के लिए उचित एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाजार प्रांगण सुविधाओं तथा मंडी अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों से खरीददारों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं प्रसंस्करण हेतु कृषि-औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3	पशुपालन	गायों एवं भैंसों में वैज्ञानिक प्रजनन, उच्च शुद्ध वंश वाले सांडों के वितरण तथा देशी नस्लों के संरक्षण के माध्यम से आनुवंशिक सुधार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादकता बढ़ाने हेतु पशुओं में बांझपन के उपचार के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पशुधन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नस्ल के ह्रास को रोकने के लिए अनुपयोगी सांडों का बंध्याकरण किया जा रहा है।
4	कला, साहित्य,संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संरक्षण, मूर्त और अमूर्त दोनों कला और संस्कृति के संवर्धन को बढ़ावा देना, विभिन्न कला और वास्तुकला के रूप में सन्निहित सांस्कृतिक विरासत की खोज, संरक्षण, सुरक्षा, प्रदर्शन और व्याख्या करने के लिए ठोस प्रयास करना। यह अपने नियंत्रणाधीन स्मारकों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुरातात्विक स्थलों की भी देखरेख करता है।
5	नागरिक उड्डयन	एक एकीकृत इको-सिस्टम स्थापित करना, जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा।
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	निर्मित सिंचाई क्षमता के कुशल उपयोग और कृषि विस्तार और संधारणीय कृषि अनुसंधान के समन्वय से अधिकतम भूमि को सिंचित करके कृषि उत्पादन प्राप्त करना ।
7	सहकारिता	सहकारिता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों और जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागों के मुख्य कार्य/उद्देश्य है:
8	देवस्थान	मंदिरों/धार्मिक संस्थानों में आत्मनिर्भरता पैदा करना। विभाग, पूजा सुविधाएं प्रदान करने, विभिन्न त्योहारों एवं मेलों का आयोजन करने, सार्वजनिक ट्रस्टों के पंजीकरण एवं पर्यवेक्षण तथा इनके नियंत्रण, देवस्थान विकास की योजना बनाने, जनता के लिए धर्मशालाओं और विश्राम गृहों के निर्माण एवं रखरखाव तथा विभिन्न मंदिरों के लिए महंतों और पुजारी की नियुक्ति और इनके नियंत्रण एवं प्रबंधन में भी शामिल है।
9	ऊर्जा	ऊर्जा संसाधनों की खोज, विकास और वितरण की निगरानी करके, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन को सुगम बनाकर एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को विकसित और लागू करना। इसलिए, विभाग पूरे राज्य में बिजली उत्पादन, संचरण एवं वितरण प्रणालियों के संचालन की निगरानी और नियमन करता है। इसके अलावा, विभाग ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को ऋण एवं अनुदान के लिए मंजूरी देता है तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से निपटता है।
10	पर्यावरण	विकास योजनाओं से संबंधित योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं परियोजनाएं, कार्यक्रम बनाना एवं निष्पादित करना तथा अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की संवीक्षा करना है।
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	विभाग कारखाना अधिनियम, 1948 तथा बॉयलर अधिनियम, 1923 के प्रवर्तन के माध्यम से कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करता है। यह कारखानों एवं बॉयलरों के पंजीकरण, भवन योजनाओं की स्वीकृति, दुर्घटनाओं की जांच तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण एवं चिकित्सीय निगरानी की व्यवस्था करता है।
12	मत्स्य पालन	आंतरिक मत्स्य संसाधनों एवं जलीय कृषि का सतत उपयोग तथा प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता (368 मिलियन गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज), एकीकृत कृषि प्रणाली, तथा मूल्य संवर्धन एवं विपणन प्रोत्साहन सहित फसल उपरांत अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रोटीन-समृद्ध आहार तक पहुँच सुनिश्चित कर भूख, कुपोषण एवं गरीबी में कमी लाने हेतु जलीय कृषि के विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	किसानों से खाद्यान्न की उचित मूल्य पर खरीद, उसका भंडारण/संभाल, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं उचित संचालन को सुनिश्चित करना।
14	वन	वानस्पतिक आवरण को बढाकर पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा प्राप्त करना। इसे राज्य के प्राकृतिक आवरण के विस्तार के लिये सघन वृक्षारोपण, मरूस्थलीकरण का मुकाबला कर, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के माध्यम से वनस्पति एवं जैव विविधता एवं जीन पूल रिजर्व से प्राप्त किया जाना है।
15	गोपालन	गौशालाओं के पंजीकरण तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ देशी गायों की नस्लों के संरक्षण एवं उन्नयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चारा प्रबंधन, गौ-पालन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, गौ-उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा पंचगव्य पर अनुसंधान को संबल प्रदान किया जा रहा है।
16	भूजल	विभाग सभी प्रकार की भूजल संबंधी गतिविधियों जैसे भूजल संसाधन मूल्यांकन, सर्वेक्षण और जांच, गहरे ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग, भूजल गुणवत्ता निगरानी, स्रोत विकास, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के लिए तकनीकी सहायता के लिए राज्य में नोडल विभाग है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागों के मुख्य कार्य/उद्देश्य है:
17	उद्यानिकी	फलों, सब्जियों, मसालों, औषधीय एवं फूलों की खेती वाली फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए उच्च उत्पादक किस्मों के प्रसार, किसान प्रशिक्षण, कुशल सिंचाई प्रणालियों तथा विभिन्न राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उन्नत तकनीकों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सतत बागवानी विकास एवं किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु उच्च तकनीक नर्सरियों, सौर पंपों, ग्रीनहाउस तथा माइक्रो-सिंचाई अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।
18	इंदिरा गांधी नहर	कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराना है।
19	उद्योग एवं वाणिज्य	औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने हेतु नीतियों के निर्माण के माध्यम से औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जा रहा है। यह विभाग उद्यमियों के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों तथा हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करता है, कंपनी पंजीकरण एवं उत्पाद विपणन को सुगम बनाता है तथा औद्योगिक अवसंरचना के विकास को संबल प्रदान करता है।
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	राज्य के कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रशासन में सुधार के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी निकायों में प्रौद्योगिकी का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करना। विभाग तकनीकी मामलों तथा आईटी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है। विभाग राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति बनाता है और लागू करता है।
21	खान एवं भूविज्ञान	वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करते हुए, राजस्व संग्रहण तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम के माध्यम से खनिज संसाधनों का विनियमन एवं प्रबंधन किया जा रहा है। विभाग नए खनिज भंडारों की खोज करता है, पट्टाधारकों को सहयोग प्रदान करता है, अवसंरचना का विकास करता है तथा राष्ट्रीय खनन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देता है।
22	पेट्रोलियम	अन्वेषण ब्लॉकों की पहचान करना, लाइसेंसों का प्रबंधन करना तथा पेट्रोलियम अन्वेषण एवं खनन से संबंधित राजस्व का संग्रह करना विभाग की मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं। यह राज्य एवं केंद्र सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर अनुमोदनों की प्रक्रिया को सुगम बनाता है तथा राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित पेट्रोलियम रियायतों से संबंधित प्रस्तावों की निगरानी करता है।
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राज्य की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भूजल एवं सतही जल संसाधनों का विकास तथा वितरण हेतु आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। विभाग राज्य की जलापूर्ति योजनाओं का विनियमन करता है तथा जल प्रभारों का संग्रह भी करता है।
24	सार्वजनिक निर्माण	सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण और रखरखाव । विभाग इन मामलों में राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
25	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	राज्य सरकार की मोटर वाहन पॉलिसी को लागू करना। इसके अतिरिक्त यह पदाधिकारियों को राज्य/जिला पूल से मोटर वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागों के मुख्य कार्य/उद्देश्य है:
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढाना तथा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ाने के लिये नोडल विभाग की भूमिका निभाना।
27	राज्य उद्यम	सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, राज्य उपक्रम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
28	पर्यटन	राज्य के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देकर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्रांड बनाना। इसका मुख्य कार्य मौजूदा पर्यटन उत्पादों को मजबूत करना और विविधता लाना, नवीन पर्यटन उत्पाद प्रदान करना, पर्यटक आवास संरचनाओं का विस्तार करना और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
29	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा	मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा फिटनेस, मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मोटर वाहनों को अनुमति-पत्र जारी करना, जनता के लाभ के लिये मार्गों का निर्धारण तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करना।
30	जल संसाधन	प्रमुख, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मौजूदा टैंकों, नहरों और अन्य सिंचाई संरचनाओं का संचालन और रखरखाव विभाग का प्रमुख कार्य है। विभाग बाढ़ नियंत्रण उपाय भी अपनाता है तथा विभिन्न विशेष योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करता है।

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.1; पृष्ठ 4)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के अवधिवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदो की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग	पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग	पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग
1.	कृषि	190	43	18	**251**	762	319	216	**1,297**	2,062.66	984.17	498.42	**3,545.25**
2.	कृषि विपणन	6	1	5	**12**	10	5	22	**37**	0.92	42.86	458.22	**502.00**
3.	पशुपालन	51	10	22	**83**	119	59	170	**348**	3,040.55	147.90	435.51	**3,623.96**
4.	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	57	9	11	**77**	168	31	49	**248**	187.04	50.12	19.07	**256.23**
5.	नागरिक उड्डयन	3	3	2	**8**	8	11	10	**29**	34.10	4.72	91.18	**130.00**
6.	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	41	3	3	**47**	66	12	12	**90**	71.51	20.96	40.72	**133.19**
7.	सहकारिता	72	13	9	**94**	205	51	34	**290**	2,211.47	106.82	118.26	**2,436.55**
8.	देवस्थान	33	3	11	**47**	92	14	60	**166**	185.93	32.10	185.32	**403.35**
9.	ऊर्जा	1	2	3	**6**	1	2	7	**10**	278.49	0	380.16	**658.65**
10.	पर्यावरण	6	3	1	**10**	30	16	12	**58**	576.31	26.70	1,118.76	**1,721.77**
11.	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	1	3	12	**16**	1	14	39	**54**	0	1.72	5.54	**7.26**
12.	मत्स्य पालन	0	1	6	**7**	0	6	27	**33**	0	14.25	53.26	**67.51**

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदो की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग	पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग	पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग
13.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	84	21	12	**117**	384	164	96	**644**	5,053.42	502.56	283.90	**5,839.88**
14.	वन	269	68	52	**389**	954	439	402	**1,795**	1,233.76	450.92	1,032.05	**2,716.73**
15.	गोपालन	11	9	4	**24**	50	62	28	**140**	8.52	260.80	1,461.46	**1,730.78**
16.	भूजल	25	5	8	**38**	35	15	23	**73**	393.86	58.89	19.50	**472.25**
17.	उद्यानिकी	34	11	11	**56**	117	55	93	**265**	528.05	24.04	653.87	**1,205.96**
18.	इंदिरा गांधी नहर	59	5	4	**68**	121	19	31	**171**	270.70	126.80	51.17	**448.67**
19.	उद्योग एवं वाणिज्य	31	11	15	**57**	108	44	74	**226**	117.72	48.19	1,338.69	**1,504.60**
20.	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	4	4	3	**11**	5	21	36	**62**	441.68	1,045.70	132.83	**1,620.21**
21.	खान एवं भूविज्ञान	261	48	58	**367**	853	309	587	**1,749**	1,888.59	422.05	2,833.45	**5,144.09**
22.	पेट्रोलियम	1	1	1	**3**	1	2	2	**5**	118.06	0	195.39	**313.45**
23.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	967	127	108	**1,202**	3,483	865	694	**5,042**	9,721.28	2,610.23	6,490.26	**18,821.77**
24.	सार्वजनिक निर्माण	1,142	168	111	**1,421**	5,273	1,022	684	**6,979**	4,701.32	1,152.97	2,651.19	**8,505.48**
25.	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	2	2	3	**7**	7	7	12	**26**	13.51	0.17	6.36	**20.04**
26.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	8	5	8	**21**	14	15	28	**57**	7.24	2.18	32.16	**41.58**
27.	राज्य उद्यम	1	1	1	**3**	1	1	2	**4**	0.07	0	40.42	**40.49**
28.	पर्यटन	10	2	5	**17**	17	17	19	**53**	18.13	78.06	0.63	**96.82**
29.	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा	258	31	51	**340**	935	247	619	**1,801**	43.38	20.05	110.58	**174.01**
30.	जल संसाधन	562	92	33	**687**	1,959	642	192	**2,793**	2,118.14	783.04	2,333.29	**5,234.47**
	योग	**4,190**	**705**	**591**	**5,486**	**15,779**	**4,486**	**4,280**	**24,545**	**35,326.41**	**9,018.97**	**23,071.62**	**67,417.00**

परिशिष्ट-3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 11)

संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले खननपट्टों का विवरण

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	खनिज	सीटीओ की अनुमत अवधि	सीटीओ के बिना खनिजों के उत्खनन और निर्गमन की अवधि	सीटीओ के बिना उत्खनित खनिजों की मात्रा (मीट्रिक टन में)	रॉयल्टी की दर (₹ में)	नियम 28(2)(iv)(ब) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)
1	खनि अभियंता जैसलमेर	7/2003	जिप्सम	01/01/16 से 31/12/18	04/2019 से 01/2023	2,76,074.31	160	4,417.19
2	सहायक खनि अभियंता टोंक	45/2001	मेसनरी स्टोन	01/06/15 से 31/05/18	06/2018 से 09/2018	59,248.62	28	165.90
3	खनि अभियंता बीकानेर	10/1992	बॉल क्ले	24/10/17 से 30/09/22 एवं 15/05/23 से 31/3/25	10/22 से 4/23	15,613.63	75	117.10
4		21/2004	बॉल क्ले	01/08/15 से 31/07/18	08/18 से 07/19	19,480.00	60	116.88
					08/19 से 10/23	84,600.00	75	634.50
5		07/1998	बॉल क्ले	01/11/15 से 31/10/18 & 20/12/22 से 30/11/27	11/18 से 07/19	14,481.00	60	86.89
					08/19 से 11/22	74,524.00	75	558.93
6		16/2004	फायर क्ले	01/09/15 से 31/08/18	08/19 से 11/23	1,30,645.00	80	1,045.16
					04/19 से 07/19	8,160.00	70	57.12
			बॉल क्ले	01/09/15 से 31/08/18	08/19 से 10/20	400.74	75	3.01
					09/18 से 07/19	19,313.33	60	115.88
			रेड ऑकर	01/09/15 से 31/08/18	09/21 से 11/23	26,060.00	45	117.27
					09/18 से 08/21	1,72,005.00	32	550.42
7		01/2005	बॉल क्ले	01/01/16 से 31/12/18	01/19 से 07/19	3,100.00	60	18.60
					08/19 से 05/23	13,815.00	75	103.61
8		05/2003	बॉल क्ले	01/04/15 से 31/03/18	04/18 से 07/19	77,711.00	60	466.27
					08/19 से 12/23	1,68,322.00	75	1,262.41
9		9/1993	बॉल क्ले	01/09/15 से 31/08/18	09/18 से 07/19	86,100.00	60	516.60
					08/19 से 08/23	3,92,248.00	75	2,941.86
10		7/1996	बॉल क्ले	01/08/15 से 27/05/18	6/18 से 07/19	39,739.00	60	238.43

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	खनिज	सीटीओ की अनुमत अवधि	सीटीओ के बिना खनिजों के उत्खनन और निर्गमन की अवधि	सीटीओ के बिना उत्खनित खनिजों की मात्रा (मीट्रिक टन में)	रॉयल्टी की दर (₹ में)	नियम 28(2)(iv)(ब) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)
					08/19 से 06/23	3,29,608.00	75	2,472.06
11		54/2013	बॉल क्ले	13/03/18 से 28/02/23	03/23	549.75	75	4.12
12		40/2013	जिप्सम	09/06/16 से 31/05/21 एवं 05/07/22 से 30/06/27	06/2021 से 04/2022	49,870.00	160	797.92
13		25/2012	बॉल क्ले	23/12/16 से 30/04/21	05/2021 से 03/2023	54,345.00	75	407.59
			सिलिका सैंड		04/2022 से 03/2023	12,935.00	90	116.42
14		2/2002	जिप्सम	01/06/17 से 31/05/22	06/2022 से 01/2024	10,798.00	160	172.77
15	खनि अभियंता, भरतपुर	724/2003	मेसनरी स्टोन	01/05/13 से 30/04/16 एवं 01/10/21 से 30/09/26	05/2016 से 09/2021	1,60,921.00	35	563.22
16	सहायक खनि अभियंता, सलूम्बर	1/2003	डोलोमाइट	01/05/17 से 30/04/22	01/05/22 से 31/03/24	12,830.00	130	166.79
			सोप स्टोन		01/05/22 से 31/03/24	6,550.00	450	294.75
17		102/1974	सोप स्टोन	01/09/15 से 31/08/18	09/2018 से 07/19	635.17	75	4.76
					08/2019 से 12/20	904.15	100	9.04
	योग					**23,21,586.70**		**18,543.47**

परिशिष्ट-4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 12)

उन खनन पट्टों जिनमें पट्टाधारकों द्वारा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन किया गया, का विवरण

क्र.स.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	खनिज	सीटीओ की अनुमत अवधि	उत्पादन अवधि	सीटीओ में अनुमत मात्रा प्रति वर्ष (मीट्रिक टन में)	उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन में)	सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा (प्रतिशत में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूली योग्य राशि (₹ करोड में)
1	खनि अभियंता नागौर	172/2013	चाइना क्ले	23/05/17 से 30/4/22	05/18 से 04/19	30,883.00	37,801.00	6,918.00	22.4	50	0.07
					05/21 से 04/22	30,883.00	38,968.00	8,085.00	26.18	65	0.53
2		110/2007	चाइना क्ले	30/10/17 से 30/9/22	10/21 से 09/22	40,000.00	42,500.00	2,500.00	6.25	65	0.02
3		13/2018	चाइना क्ले	01/07/18 से 30/6/23	07/21 से 06/22	19,757.00	24,300.00	4,543.00	22.99	65	0.06
4		8/2013	चाइना क्ले	27/6/17 से 31/05/22	06/19 से 05/20	20,701.00	34,800.00	14,099.00	68.11	65	0.92
5	खनि अभियंता बिजोलिया	8/2005	चाइना क्ले	01/11/17 से 31/10/22	11/17 से 10/18	40,000.00	69,800.00	29,800.00	74.50	50	1.49
					11/19 से 10/20	40,000.00	50,800.00	10,800.00	27.00	65	0.70
6		1/1993	चाइना क्ले	20/5/17 से 17/02/20 एवं 18/2/20 से 31/01/25	05/19 से 04/20	36,099.00	63,560.00	27,461.00	76.62	65	1.78
			रेड ऑकर		05/19 से 04/20	-	200.00	200.00	100	32	0.01
7	खनि अभियंता, बाड़मेर	79/1995	मेसनरी स्टोन	04/06/18 से 31/03/22 एवं 01/04/22 से 31/03/27	06/21 से 05/22	20,512.79	26,909.42	6,396.63	31	35	0.22
8		89/08	मेसनरी स्टोन	01/10/21 से 30/09/26	10/21 से 9/22	45,000.00	56,000.00	11,000.00	24	35	0.08
9		173/08	मेसनरी स्टोन	01/11/18 से 31/10/23	11/19 से 10/20	40,000.00	49,643.40	9,643.35	24	28	0.05

क्र.स.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	खनिज	सीटीओ की अनुमत अवधि	उत्पादन अवधि	सीटीओ में अनुमत मात्रा प्रति वर्ष (मीट्रिक टन में)	उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन में)	सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा (प्रतिशत में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूली योग्य राशि (₹ करोड में)
10		157/07	मेसनरी स्टोन	21/03/17 से 28/02/22	3/19 से 2/20	56,937.00	61,086.00	4,149.00	8	28	0.01
11	सहायक खनि अभियंता, बालेसर	14/1999	रायोलाइट	01/06/16 से 31/05/19	6/17 से 5/18	5,000.00	7,229.00	2,229.00	45	28	0.06
					6/18 से 5/19	5,000.00	11,721.00	6,721.00	134.42	28	0.19
12	खनि अभियंता, बीकानेर	56/2000	लाइम स्टोन	01/05/16 से 30/04/19 एवं 01/05/19 से 30/05/24	05/18 से 04/19	1,00,000.00	1,02,390.89	2,390.89	2.39	100	0.02
13		48/2012	बॉल क्ले	01/05/16 से 30/04/21	05/18 से 04/19	25,000.00	27,680.00	2,680.00	10.72	60	0.03
14		32/2013	बॉल क्ले	01/07/17 से 30/06/22	07/18 से 06/19	30,000.00	34,375.00	4,375.00	14.6	60	0.05
15		179/2011	बॉल क्ले	01/05/19 से 30/04/24	05/21 से 04/22	1,00,000.00	1,04,100.00	4100.00	4.1	75	0.03
16	खनि अभियंता, भरतपुर	134/03	मेसनरी स्टोन	19/01/21 से 31/12/25	01/22 से 12/22	1,34,395.00	1,61,435.00	27,040.00	20	44	0.24
17	सहायक खनि अभियंता, झालावाड	29/2013	लाइम स्टोन (इमारती)	13/07/17 से 30/06/22	07/18 से 06/19	1,50,000.00	1,81,707.00	31,707.00	21	115	0.73
	योग						**11,60,096.29**	**2,16,837.87**			**7.29**

परिशिष्ट-5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 13)

उन खनन पट्टों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनमें पट्टाक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया जबकि पट्टाधारकों द्वारा रवन्ना/ई-रवन्ना का दुरुपयोग करते हुए पट्टाक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से खनिज का प्रेषण किया गया

क्र.सं	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कुल खनन पट्टों की संख्या	चयनित खनन पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	खनिज का नाम	अवधि	दुरुपयोग किये गये ई-रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मीट्रिक टन में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
1	खनि अभियंता नागौर	684	50	195/1997	चूना पत्थर (जलाने हेतु)	18/10/2017 से 12/09/2021	13,574	1,71,270.00	120	2,055.24
						13/09/2021 से 09/06/2022	8,670	99,623.00	145	1,444.53
2	खनि अभियंता बिजोलिया	20	20	10/14	चाइना क्ले	22/08/2019 से 18/12/2022	21	817.00	65	5.31
3	खनि अभियंता जैसलमेर	439	50	176/08	चूना पत्थर	18/10/2017 से 12/09/2021	120	2,507.00	120	30.08
						13/09/2021 से 03/12/2022	50	817.00	145	11.85
				151/09	चूना पत्थर	18/10/2017 से 12/09/2021	130	2,055.00	120	24.66
						13/09/2021 से 3/12/2022	33	602.00	145	8.73
4	सहायक खनि अभियंता बालेसर	140	50	100/1991	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	259	1,877.00	100	18.77
				115/1991	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	93	615.00	100	6.15
				4/2012	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	18	359.00	28	1.01
						13/09/2021 से 6/12/2022	1,706	28,343.00	35	99.20
5	खनि अभियंता अलवर	261	50	19/1995	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	9,024	1,80,920.00	35	633.22
						13/09/2021 से 15/12/2022	34	615.00	44	2.71
6	खनि अभियंता चूरू	173	50	27/2013	मेसनरी स्टोन	15/02/2020 से 12/09/2021	10,600	1,58,567.00	28	443.99
						13/09/2021 से 06/09/2023	7,267	1,00,377.00	35	351.32
7	खनि अभियंता बीकानेर	375	50	31/2010	बजरी, ग्रेवल	1/4/2018 से 12/09/2021	109	2,124.14	35	7.43
				9/1981	बॉल क्ले	1/4/2018 से 21/08/2019	13	392.00	60	2.35

क्र.सं	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कुल खनन पट्टों की संख्या	चयनित खनन पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	खनिज का नाम	अवधि	दुरुपयोग किये गये ई-रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मीट्रिक टन में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
				37/2010	बॉल क्ले	1/4/2018 से 21/08/2019	191	7,228.00	60	43.37
						22/08/19 से 31/03/2023	632	26,403.00	75	198.02
				11/1993	फायर क्ले	1/4/2018 से 21/08/2019	50	2,015.00	70	14.10
						22/08/19 से 31/03/2023	18	694.00	80	5.55
					बॉल क्ले	1/4/2018 से 21/08/2019	4,193	152,788.00	60	916.73
						22/08/2019 से 31/03/2023	3,013	1,01,761.00	75	763.21
					ऑकर	22/08/2019 से 31/03/2023	2,995	1,14,721.00	32	367.11
				29/2010	बजरी	1/4/2018 से 6/12/2021	5,783	1,31,518.00	35	460.31
				2/1992	जिप्सम	18/10/2017 से 21/08/2019	13,296	4,21,794.00	125	5,272.43
						22/08/2019 से 14/10/2023	790	27,583.00	160	441.33
				21/1983	बॉल क्ले	18/10/2017 से 21/08/2019	2,049	66,281.00	60	397.69
						22/08/2019 से 7/12/2023	1,463	54,322.00	75	407.42
8	खनि अभियंता धौलपुर	112	50	32/2014	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	1,352	32,252.00	155	499.91
						13/09/2021 से 15/02/2022	122	3,058.00	200	61.16
				51/2006	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	685	15,394.00	155	238.61
						13/09/2021 से 26/6/2022	38	913.00	200	18.26
				7/14	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	331	8,293.00	155	128.54
						13/09/2021 से 2/11/2022	239	4,074.00	200	81.48
				29/2004	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	383	7,057.00	155	109.38
						13/09/2021 से 26/6/2022	89	2,168.00	200	43.36
				10/99	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	257	1,078.00	28	3.02
						13/09/2021 से 2/11/2022	165	462.00	35	1.62
				17/2002	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	78	398.00	28	1.11
						13/09/2021 से 2/11/2022	305	834.00	35	2.92
				7/1996	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	420	1,395.00	28	3.91
				33/2004	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/21	1,655	37,753.00	155	585.17

क्र.सं	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कुल खनन पट्टों की संख्या	चयनित खनन पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	खनिज का नाम	अवधि	दुरुपयोग किये गये ई-रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मीट्रिक टन में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
						13/09/2021 से 26/06/2022	293	7,060.00	200	141.20
				5/2001	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	145	539.00	28	1.51
						13/09/2021 से 2/11/2022	231	652.00	35	2.28
				24/2003	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	456	1,473.00	28	4.12
						13/09/2021 से 2/11/2022	167	472.00	35	1.65
				56/2006	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	649	14,372.00	155	222.77
						13/09/2021 से 15/2/2022	53	1,264.00	200	25.28
				57/2005	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	388	8,618.00	155	133.58
				33/2008	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	292	5,298.00	155	82.12
				31/2008	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	355	6,779.00	155	105.07
				19/2009	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	723	10,325.00	155	160.04
						13/09/2021 से 15/2/2022	110	1,947.00	200	38.94
				29/1989	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	683	13,495.00	155	209.17
9	खनि अभियंता भरतपुर	406	50	488/02	मेसनरी स्टोन	13/02/2020 से 12/09/2021	457	6,868.00	35	24.04
						13/09/2021 से 29/12/2022	2,163	52,829.00	44	232.45
				212/05	मेसनरी स्टोन	13/9/2021 से 29/12/2022	1,587	51,812.00	44	227.97
				100/11	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/9/2021	1,514	27,811.00	35	97.34
						13/09/2021 से 29/12/2022	1	16.00	44	0.07
				234/08	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 13/02/2020	429	8,703.00	35	30.46
10	खनि अभियंता डूंगरपुर	173	50	15/1982	सोप स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	2,226	57,628.00	75	432.21
						13/09/2021 से 17/11/2022	590	17,542.00	100	175.42
						दिसम्बर 2022 में प्रारंभिक स्टॉक	मासिक विवरणी	7,462.00	100	74.62
11	सहायक खनि अभियंता बारां	50	50	56A/2005	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	1,485	26,387.00	28	73.88
12	सहायक खनि अभियंता झालावाड़	151	50	13/2002	बेंटोनाइट	18/10/2017 से 12/09/2021	274	10,632.00	145	154.16
						13/09/2021 से 08/06/2022	8	203.00	195	3.96

क्र.सं	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कुल खनन पट्टों की संख्या	चयनित खनन पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	खनिज का नाम	अवधि	दुरुपयोग किये गये ई-रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मीट्रिक टन में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
				2/2007	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	116	1,866.00	28	5.22
						13/09/2021 से 07/01/2023	1,867	24,471.00	35	85.65
				33/2007	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	169	2,782.00	28	7.79
						13/09/2021 से 14/01/2024	1,182	18,914.00	35	66.20
				48/2004	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	922	13,684.00	28	38.32
					सैंड स्टोन		1	35.00	100	0.35
					मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 08/06/2022	104	1,777.00	35	6.22
					सैंड स्टोन		99	1,637.00	130	21.28
				222/1990	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	43	1,416.00	28	3.96
						13/09/2021 से 31/12/2022	33	1,256.00	35	4.40
				223/1990	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	18	626.00	28	1.75
						13/09/2021 से 31/12/2022	17	709.00	35	2.48
	योग	**2984**	**570**	**44**			**1,12,163**	**23,83,477.00**		**19,110.20**

परिशिष्ट-6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 13)

उन खनन पट्टों का विवरण जिनके आस पास के क्षेत्र में व गैप ऐरिया में अवैध खनन पाया गया

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या
1	खनि अभियंता चूरू	57A/2000
2	खनि अभियंता बीकानेर	24/2009
3	खनि अभियंता धौलपुर	44/2006
4	खनि अभियंता धौलपुर	43/2006
5	सहायक खनि अभियंता, बारां	1A/1996

परिशिष्ट-7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 15)

3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि में जारी ई-रवन्ना/ट्रांज़िट पास से संबंधित वसूलनीय प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं	कार्यालय का नाम	खनन पट्टों व एसटीपी के लिये जारी ई-रवन्नाओं की संख्या	पंजीकृत डीलर्स हेतु जारी ई-परिवहन पास की संख्या	कुल जारी ई-रवन्ना/परिवहन पास	वसूलनीय प्रसंस्करण शुल्क	वसूली गई राशि	शेष राशि
1	खनि अभियंता नागौर	10,36,073	2,92,747	13,28,820	132.88	60.30	72.58
2	सहायक खनि अभियंता हनुमानगढ़	19,737	8,077	27,814	2.78	1.76	1.02
3	खनि अभियंता बिजोलिया	1,17,178	46,034	1,63,212	16.32	15.50	0.82
4	खनि अभियंता बाड़मेर	4,85,666	1,80,111	6,65,777	66.58	42.24	24.34
5	खनि अभियंता जैसलमेर	1,39,160	13,601	1,52,761	15.28	15.07	0.21
6	सहायक खनि अभियंता बालेसर	1,13,644	94,387	2,08,031	20.80	0.21	20.59
7	खनि अभियंता अलवर	3,85,805	1,31,120	5,16,925	51.69	42.33	9.36
8	खनि अभियंता धौलपुर	37,924	21,685	59,609	5.96	5.48	0.48
9	सहायक खनि अभियंता चूरू	5,69,903	2,49,497	8,19,400	81.94	75.38	6.56
10	खनि अभियंता बीकानेर	5,06,573	87,847	5,94,420	59.44	37.08	22.36
11	खनि अभियंता भरतपुर	10,57,806	3,23,585	13,81,391	138.14	86.90	51.24
12	सहायक खनि अभियंता झालावाड़	2,10,200	60,706	2,70,906	27.09	13.08	14.01
13	सहायक खनि अभियंता सलूम्बर	12,244	3,705	15,949	1.59	1.59	0.00
14	सहायक खनि अभियंता टोंक	4,69,588	2,40,569	7,10,157	71.02	61.15	9.87
15	खनि अभियंता डूंगरपुर	42,309	14,377	56,686	5.67	4.91	0.76
	योग	**52,03,810**	**17,68,048**	**69,71,858**	**697.18**	**462.98**	**234.20**

परिशिष्ट-8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 16)

पट्टेधारकों द्वारा जमा नहीं करायी गई प्रीमियम राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	खनन पट्टा संख्या	पट्टा धारक का नाम	पट्टे की अवधि	खनिज	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	खातेदारी या सहमति	आरोपित की जाने वाली प्रीमियम राशि	आरोपित की गई प्रीमियम राशि	31.3.23 तक जमा की जाने वाली राशि	31.3.23 तक जमा राशि	कम जमा कराई गई राशि	जून 2025 तक वसूल की गई राशि	बकाया राशि
1	37/2018	बंशीधर जाट	14/02/2020 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1.9889	खातेदारी	5.97	5.97	4.77	3.58	1.19	1.19	0
2	82/2021	इंफिनिटी स्टोन	19/04/2022 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1.0121	सहमति	6.07	3.04	1.22	0.61	0.61	0.61	0
3	4881/2019	नीलम बुगलिया	13/01/2020 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1	खातेदारी	3.00	3.00	2.40	1.20	1.20	1.20	0
4	1/2019	प्राकृतिक ग्रेनाइट	19/12/2019 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1.1042	खातेदारी	3.31	3.31	2.65	1.51	1.14	1.14	0
5	22/2018	मंगल राम बुनकर	3/3/2020 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1	खातेदारी	3.00	3.00	2.40	0	2.40	0	2.40
6	12/2019	गौरव ग्रेनाइट	4/8/2021 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1.9525	खातेदारी	5.86	5.86	2.34	0	2.34	0	2.34
7	13/2018	विनायक मिनरल्स	10/2/2020 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1.1623	खातेदारी	3.49	3.49	2.79	0	2.79	2.79	0
8	46/2019	विनोद कुमार	4/9/2020 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1.6778	खातेदारी	5.03	5.03	3.02	1.01	2.01	2.01	0
9	83/2021	इंफिनिटी स्टोन	19/04/2022 से 50 वर्ष	ग्रेनाइट	1.09	सहमति	6.52	3.26	1.30	0.65	0.65	0.65	0
योग							**42.25**	**35.96**	**22.89**	**8.56**	**14.33**	**9.59**	**4.74**

परिशिष्ट-9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.10; पृष्ठ 21)

विलंब शुल्क की कम मांग का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	खनन पट्टा सं.	स्थिर भाटक (₹)	लेटर ऑफ़ इंटेंट की दिनांक	मांग आदेश की दिनांक	पट्टा स्वीकृति दिनांक	पट्टा निष्पादन दिनांक	मांग किया गया विलम्ब शुल्क			लागू ब्याज की दर (%)	देय विलम्ब शुल्क	कम मांग
							अवधि	माह	राशि			
1	1/ 2013	2165820	03/12/2014	20/10/2022	28/03/2023	29/03/2023	03/12/15 से 28/02/17	15	9.75	6	19.49	9.74
							01/03/17 से 09/09/22	67	145.11	10	145.11	0
							10/09/22 से 30/03/23	7	0	10	15.16	15.16
	योग								**154.86**		**179.76**	**24.90**

परिशिष्ट–10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.11(i); पृष्ठ 23)

खनन पट्टों का विवरण जहाँ खनन पट्टाधारकों ने बिना अनुमोदित खनन योजना के उत्खनन किया

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	खनन पट्टाधारक का नाम	खनिज	पूर्व अनुमोदित खनन योजना की अवधि	आगामी अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना अवधि में उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना के बिना अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	10 गुना वसूलनीय राशि	खनन पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
1	सहायक खनि अभियंता बालेसर	23/2002	मैसर्स भट्टर & कंपनी	मार्बल	29/5/2015 से 28/5/2018	09/6/2022 से 08/06/2027	06/2018 से 5/2022	865	100	240	20.76	20.76
		1600/2003	अशोक कुमार	मेसेनरी पत्थर	4/6/2015 से 3/6/2020	29/8/2023 से 28/8/2028	06/2020 से 3/2021	1,020	100	28	2.86	9.21
							04/2021 से 3/2023	1,815	100	35	6.35	
		9/1996	नारायण राम	मेसेनरी पत्थर	11/03/2015 से 10/3/2020	11/3/22 से 10/3/27	04/2020 से 2/2022	2,294	100	28	6.42	6.42
		3/2013	पूणी देवी	मेसेनरी पत्थर	28/3/2014 से 30/06/2020	वर्ष 2020-21 lapsed	07/2020 से 1/2022	3,963	100	28	11.1	11.1
2	खनि अभियंता अलवर	63/2007	गिरीश दत्त	मेसेनरी पत्थर	11/4/2014 से 10/04/2019	16/12/2020 से 15/12/2025	5/2019 से 11/2020	28,700	100	35	100.45	100.45
		62/2007	गिरीश दत्त	मेसेनरी पत्थर	11/4/2014 से 10/4/2019	16/12/2020 से 15/12/2025	5/2019 से 11/2020	24,650	100	35	86.28	86.28

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	खनन पट्टाधारक का नाम	खनिज	पूर्व अनुमोदित खनन योजना की अवधि	आगामी अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना अवधि में उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना के बिना अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	10 गुना वसूलनीय राशि	खनन पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
3	खनि अभियंता धोलपुर	22/2007	अमित गर्ग	बलुआ पत्थर	18/12/2013 से 17/12/2018	30/6/2021 से 29/6/2026	1/2019 से 06/2021	14,874	100	155	230.55	230.55
4	खनि अभियंता भरतपुर	403/02	इशाक मुहम्मद	मेसेनरी पत्थर	14/12/2016 से 13/12/2021	-	1/2022 से 3/2023	56,497	100	44	248.59	248.59
		348/08	सुमेर चंद जैन	मेसेनरी पत्थर	23/09/14 से 28/9/19	-	10/2019 से 3/2021	32,440	100	35	113.54	1001.99
							4/2022 से 3/2023	2,01,920	100	44	888.45	
		393/05	रवि कुमार	मेसेनरी पत्थर	30/6/2016 से 29/6/2021	-	07/2021 से 3/2022	56,746	100	35	198.61	198.61
		121/08	द्वारिका शर्मा	मेसेनरी पत्थर	25/5/2016 से 24/5/2021	-	06/2021 से 3/2023	8,348	100	35	29.22	29.22
		9/2003	ब्रजवासी स्टोन ग्रिट	मेसेनरी पत्थर	29/9/2016 से 28/9/2021	-	10/2021 से 3/2022	718	100	35	2.51	424.24
							4/2022 से 3/2023	95,848	100	44	421.73	
		594/03	दत्ता राम	मेसेनरी पत्थर	08/06/2015 से 07/06/2020	9/5/2022 से 8/5/2027	07/2020 से 8/2021	98,102	100	35	343.36	395.66
							09/2021 से 4/2022	11,887	100	44	52.3	
		129/09	संता राम	मेसेनरी पत्थर	22/6/15 से 21/6/2020	4/10/2021 से 3/10/2026	07/2020 से 9/2021	1,09,011	100	35	381.54	381.54

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	खनन पट्टाधारक का नाम	खनिज	पूर्व अनुमोदित खनन योजना की अवधि	आगामी अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना अवधि में उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना के बिना अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	10 गुना वसूलनीय राशि	खनन पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
5	सहायक खनि अभियंता बारां	29A/2006	रामचन्द्र दानोरिया	मेसेनरी पत्थर	17/7/2014 से 16/7/2019	12/4/2022 से 11/4/2027	08/2019 से 8/2021	1,000	100	28	2.8	177.8
							09/2021 से 3/2022	50,000	100	35	175	
	योग							**8,00,698**			**3,322.42**	**3,322.41**

परिशिष्ट-11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.11(ii); पृष्ठ 24)

खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	पट्टा धारक का नाम	खनिज	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	अनुमोदित दिनांक	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	खनन योजना में अनुमत्य मात्रा (मीट्रिक टन)	उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना से अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	एक से 10 गुणा तक वसूलनीय राशि	पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
1	खनि अभियंता बाड़मेर	20190 0007076	सदा राम	बेंटोनाइट	26/6/2019 से 25/06/2024	26/06/2019	7/20-6/21 (द्वितीय वर्ष)	27,142	42,700	15,558	57.32	145	225.59	268.14
							7/22-6/23 (चतुर्थ वर्ष)	43,691	54,600	10,909	24.97	195	42.55	
		02/ 2019	विरासत एसोसिएट	मेसेनरी पत्थर	17/7/2019 से 16/07/2024	17/07/2019	8/21-7/22 (तृतीय वर्ष)	93,366	1,01,100	7,734	8.28	35	2.71	2.71
2	सहायक खनि अभियंता बालेसर	42/ 2003	मैसर्स लतियल उद्योग	मेसेनरी पत्थर	04/3/2015 से 03/03/2020	04/03/2015	3/15-2/16 (प्रथम वर्ष)	1,745	2,958	1,213	69.51	23	2.79	76.81
							3/16-2/17 (द्वितीय वर्ष)	2,583	4,409	1,826	70.69	23	4.2	
							3/17-2/18 (तृतीय वर्ष)	2,592	3,779	1,187	45.79	23	2.73	
							3/18-2/19 (चतुर्थ वर्ष)	2,938	8,765	5,827	198.33	28	16.32	

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	पट्टा धारक का नाम	खनिज	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	अनुमोदित दिनांक	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	खनन योजना में अनुमत्य मात्रा (मीट्रिक टन)	उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना से अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	एक से 10 गुणा तक वसूलनीय राशि	पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
		3/2015	मैसर्स सिद्दी विनायक	मेसेनरी पत्थर	10/12/2015 से 9/12/2020	10/12/2015	12/17-11/18 (तृतीय वर्ष)	24,636	46,710	22,074	89.60	23	50.77	
3	खनि अभियंता भरतपुर	393/2005	रवि कुमार	मेसेनरी पत्थर	30/06/2016 से 29/06/2021	30/06/2016	7/18 - 6/19 (तृतीय वर्ष)	42,750	69,122	26,372	61.69	35	92.3	92.3
4	सहायक खनि अभियंता चूरू	31/2007	मैसर्स कुलदीप सिंह	मेसेनरी पत्थर	26/02/2018 से 25/02/2023	26/02/2018	3/20-2/21 (तृतीय वर्ष)	1,76,155	1,97,627	21,472	12.19	28	12.02	33.23
							3/22-2/23 (पंचम वर्ष)	1,76,155	2,14,032	37,877	21.50	28	21.21	
5	खनि अभियंता बीकानेर	001/2007	मैसर्स नरेन्द्र कुमार	बॉल क्ले ,फायर क्ले	20/07/2017 से 19/07/2022	20/07/2017	8/18-7/19 (द्वितीय वर्ष)	57,888	79,138	21,250	36.71	60	127.5	127.5
6	सहायक खनि अभियंता बारां	4A/2002	हिम्मत सिंह	मेसेनरी पत्थर	17/02/2014 से 16/02/2019	17/02/2014	3/14-2/15 (प्रथम वर्ष)	20,678	71,857	51,179	247.50	23	117.71	254.00
							3/15-2/16 (द्वितीय वर्ष)	36,888	71,932	35,044	95.00	23	80.6	
							3/16-2/17 (तृतीय वर्ष)	50,004	71,965	21,961	43.92	23	50.51	
							3/17-02/18 (चतुर्थ वर्ष)	62,712	71,963	9,251	14.75	28	5.18	

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	पट्टा धारक का नाम	खनिज	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	अनुमोदित दिनांक	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	खनन योजना में अनुमत्य मात्रा (मीट्रिक टन)	उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना से अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	एक से 10 गुणा तक वसूलनीय राशि	पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
7	सहायक खनि अभियंता झालावाड़	08/2015	गोल्डन स्टोन	चूना पत्थर (भवन)	19/08/2015 से 18/08/2020	19/08/2015	9/18-8/19 (चतुर्थ वर्ष)	1,58,307	1,62,879	4,572	2.89	115	5.26	376.58
					22/07/22 से 21/07/2027	22/07/2022	8/22-7/23 (प्रथम वर्ष)	63,752	90,275	26,523	41.60	140	371.32	
		02/2015	अखिल खान	चूना पत्थर (भवन)	22/7/22 से 21/7/2027	22/07/2022	8/22-7/23 (प्रथम वर्ष)	53,125	1,03,800	50,675	95.39	140	709.45	709.45
							योग	**10,97,107**	**14,69,611**	**3,72,504**			**1,940.72**	**1,940.72**

परिशिष्ट-12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.3; पृष्ठ 26)

आईओएमएमएस के मॉड्यूल्स का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
1	उपयोगकर्ता पंजीकरण	वेबसाईट/वेब साफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस (जीयूआई) आवश्यक होगा।
2	उपयोगकर्ता प्रोफाइल	लॉग इन-के बाद उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल प्रदर्शित करने के लिए जीयूआई आवश्यक होगा।
3	उपयोगकर्ता लॉगिन	वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए जीयूआई आवश्यक है।
4	उपयोगकर्ता लॉगआउट	वेबसाइट से लॉगआउट करने के लिए जीयूआई आवश्यक है।
5	वेबसाइट होम पेज	वेबसाइट के लिए होम पेज आवश्यक होगा।
6	मास्टर एंट्री	यह मॉड्यूल विभागों से संबंधित विभिन्न विवरणों को दर्ज/अद्यतन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन विवरणों को दर्ज करने के लिए मॉड्यूल निम्नलिखित ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस (जीयूआई) का उपभोग करता है: • रेंज मास्टर :रेंज विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • जिला मास्टर :जिला विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • विधान सभा मास्टर :विधान सभा विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • पंचायत समिति मास्टर :पंचायत समिति विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • ग्राम पंचायत मास्टर :ग्राम पंचायत विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • संस्थान प्रकार :संस्थान प्रकार विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • संस्थान मास्टर :संस्थान विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • दवा प्रकार मास्टर :दवा प्रकार विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • दवा फॉर्म मास्टर :दवा फॉर्म विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • दवा मास्टर :दवा विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • आपूर्तिकर्ता मास्टर :आपूर्तिकर्ता विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • उपयोग मास्टर :उपयोगकर्ता विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई
7	दर अनुबंध मॉड्यूल	विभाग प्रत्येक दो वर्ष (या किसी निर्दिष्ट अवधि) में सभी प्रकार की दवाइयों के लिए निविदा जारी करता है। निविदा के आधार पर सफल आपूर्तिकर्ता को दर अनुबंध प्रदान किया जाता है। दर अनुबंध की अवधि दो वर्ष के लिए मान्य होती है। यह मॉड्यूल दवा दर अनुबंध से संबंधित नीचे दिए गए सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है।

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
		• दर अनुबंध जनरेशनः इस प्रक्रिया का उपयोग सभी दवाओं का दर अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता है। • दर अनुबंध दवा मैपिगः इस जीयूआई का उपभोग वर्तमान दर अनुबंध के साथ सभी दवाओं को उनके दर विवरण सहित मैपिग करने के लिए किया जाता है। • दर अनुबंध आपुर्तिकर्ता एवं दवा मैपिगः इस जीयूआई का उपभोग दवाओं को संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के साथ मैपिंग करने के लिए किया जाता है।
8	मांग जनरेशन	मांग/ इंडेंटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एच मुख्यालय सभी जिला मुख्यालयों से दवाओं की मांग एकत्रित करता है। यह मांग वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एकत्र की जाती है। मांग प्रक्रिया प्रत्येक तिमाही या समय-समय पर खोली जाती है। प्रक्रिया खुलने के बाद जिला कार्यालय अपनी मांग दर्ज करता है। मांग प्राप्त होने के बाद, एचओ मांग को प्रोसेस करता है और समेकित रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद एचओ को मांग प्रक्रिया बंद करनी होती है। उपरोक्त प्रक्रिया तहसील कार्यालयों के लिए भी उपलब्ध है। तहसील कार्यालय अपनी वीएच/संस्था-वार मांग दर्ज कर सकते हैं। • मांग खुलनाः यह जीयूआई मांग खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। मांग खुलते ही सभी संस्थान अपनी तिमाही आवश्यकता की मांग/इंडेंट तैयार कर सकते हैं। • मांग पुनः खोलने के लिए निवेदनः यह जीयूआई मांग बंद होने के बाद निश्चित अवधि के लिए उसे पुनः खोलने के अनुरोध के लिए उपयोग किया जाता है। • मांग प्रविष्टिः यह जीयूआई तिमाही/आवधिक आवश्यकता की मांग/इंडेंट प्रविष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। • मांग सत्यापितः यह जीयूआई मांग प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त दवाओं की मांग को संकलित और सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। • मांग प्रस्तुतः यह जीयूआई जिला कार्यालय द्वारा सत्यापित मांग को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मांग अनुरोध की अंतिम प्रक्रिया है। • मांग बंदः यह जीयूआई खुली हुई मांग को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। मांग बंद होने के बाद कोई अतिरिक्त आवश्यकता स्वीकार नहीं की जाएगी। • मांग संकलितः यह जीयूआई रेंज कार्यालय से प्राप्त सभी मांगों को संकलित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
9	खरीद आदेश जनरेशन	संकलित मांगों के आधार पर मुख्यालय योग्य आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश जारी करता है। यह मॉड्यूल निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता हैः • आदेश जारी करनाः यह जीयूआई क्रय आदेश के अनुसार क्रय आदेश जारी करने के लिए उपयोग किया जाता है। • आदेश प्रेषण प्रविष्टिः यह जीयूआई का उपयोग पूर्तिकर्तावार/एफओडी जिलावार खरीद ऑर्डर के प्रेषण विवरण उत्पन्न करने और दर्ज करने के लिए किया जाता है। • कागज़ात अपलोडः यह जीयूआई हस्ताक्षरित क्रय आदेश की प्रति अपलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है।
10	आदेश डिस्पैच प्रक्रिया	क्रय आदेश जारी होने के बाद, आपूर्तिकर्ता को सामग्री संबंधित जिला कार्यालयों में भेजनी होती है। इस मॉड्यूल में आपूर्तिकर्ता को जिला-वार प्रेषण चालान/बिल की जानकारी दर्ज करनी होती है। • सामग्री प्रेषण प्रविष्टिः यह जीयूआई प्रत्येक क्रय आदेश के विरुद्ध दवाओं के प्रेषण विवरण दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है।

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
		• कागज़ात अपलोडः यह जीयूआईप्रत्येक बैच के चालान/बिल/जांच रिपोर्ट जैसे प्रेषण दस्तावेज अपलोड करने के लिए उपयोग होता है।
11	सामग्री प्राप्ति प्रक्रिया	जिला कार्यालय अपने लिए दर्ज किए गए प्रेषण विवरण को देख सकता है। इन विवरणों के आधार पर जिला कार्यालय को भौतिक रूप से प्राप्त दवाओं की प्रविष्टि करनी होती है। सभी स्वीकृत/सत्यापित दवाएं स्वचालित रूप से स्टॉक रजिस्टर में अद्यतन हो जाती हैं। • सामग्री प्राप्ति प्रविष्टिः यह जीयूआई सभी प्रेषित की गई सामग्री की प्राप्ति प्रविष्टि दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। • सामग्री अस्वीकृतिः यह जीयूआई सामग्री अस्वीकृति का विवरण दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। • सामग्री वापसीः यह जीयूआई उपयोगकर्ता को सामग्री वापस करने की प्रक्रिया की प्रविष्टि करने की सुविधा प्रदान करता है। • सामग्री स्टॉक प्रविष्टिः यह जीयूआई स्टॉक रजिस्टर के विवरण दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है।
12	सामग्री स्टॉक प्रक्रिया	यह मॉड्यूल दवाओं के स्टॉक के प्रबंधन से संबंधित सभी चरणों का संचालन करता है। • प्रारम्भिक सामग्री स्टॉक प्रविष्टिः इस जीयूआई का उपयोग एप्लिकेशन में पहले रन के समय उपलब्ध प्रारम्भिक स्टॉक दर्ज करने के लिए किया जाता है। • **सामग्री डीडीसी को जारी करनाः** इस जीयूआई का उपयोग डीडीडी द्वारा डीडीसी को सामग्री जारी करने के लिए किया जाता है। • **सामग्री प्राप्तिः** इस जीयूआईका उपभोग डीडीडी द्वारा जारी/हस्तांतरित की गई सामग्री की प्राप्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। • **स्टॉक स्थानातरण अनुरोधः** इस जीयूआई का उपभोग किसी भी डीडीसी द्वारा किसी संस्था (डीडीसी) को स्टॉक स्थानांतरण के लिए अनुरोध भेजने हेतु किया जाता है। • **स्टॉक स्थान्तरणः** इस जीयूआई का उपभोग डीडीसी द्वारा भेजे गए स्टॉक ट्रांसफर अनुरोध के विरुद्ध स्टॉक स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। स्टॉक स्थानांतरण निम्न के बीच हो सकता हैः ▪ डीडीसी से डीडीसी ▪ डीडीडी से डीडीडी ▪ डीडीसी से डीडीडी (और इसके विपरीत) • **दवा निस्तारण (एक्सपायरी प्रक्रिया):** इस जीयूआई का उपयोग स्टॉक में उपलब्ध सभी एक्सपायर दवाओं को निस्तारित करने के लिए किया जाता है। • **संस्थागन खपतः** इस जीयूआई का उपभोग संस्थाओं द्वारा उपभोग की गई दवाओं की आवश्यक खपत प्रविष्टियाँ दर्ज करने के लिए किया जाता है।
13	भुगतान प्रक्रिया	क्रय आदेश के अनुसार सामग्री प्राप्त होने के बाद, जिला मुख्यालय को आपूर्तिकर्ता के भुगतान की प्रक्रिया करनी होती है और उसकी अनुशंसा भेजनी होती है। जिला मुख्यालय से अनुशंसा प्राप्त होने पर निदेशालय अंतिम भुगतान को स्वीकृत करता है। • **भुगतान अनुशंसाः** यह जीयूआई प्रत्येक क्रय आदेश के माध्यम से प्राप्त सामग्री के विरुद्ध जिला मुख्यालय द्वारा भुगतान की अनुशंसा दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। • **भुगतान सत्यापनः** यह जीयूआई निदेशालय स्तर पर प्रत्येक विक्रेता के अनुशंसित भुगतान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
		• **एलडी भुगतान प्रक्रिया:** यह जीयूआई सामग्री की देर से आपूर्ति पर लगाए जाने वाले लिक्वडिटि डेमेज (*Liquidity Damage*) की प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता है। • **बजट प्लान हेड:** यह जीयूआई आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने हेतु प्रत्येक बजट हेड की प्रविष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। • **भुगतान स्वीकृत प्रक्रिया:** यह जीयूआई प्रत्येक विक्रेता के भुगतान को स्वीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। • **ट्रेज़री प्रविष्टि:** यह जीयूआई अंतिम भुगतान निपटान के लिए ट्रेज़री प्रविष्टि करने हेतु उपयोग किया जाता है।
14	प्रशासक मॉड्यूल	यह मॉड्यूल उपयोगकर्ता के निर्माण तथा उन्हें आवश्यक एक्सेस अधिकार (प्रिविलेज) प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। • **उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाना:** यह जीयूआई उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाने के लिए उपभोग किया जाता है। यह मेन्यू केवल प्रशासक को दिखाई देता है। • **उपयोगकर्ता अधिकार सौपना कर:** यह जीयूआई प्रशासक द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता की भूमिका/अधिकार (*Role/Rights*) बनाने, परिभाषित करने और संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित पूर्वनिर्धारित उपयोगकर्ता समूह प्रदान किए जाने होते हैं: • **प्रशासकीय:** केवल अधिकृत व्यक्तियों को पूर्ण एक्सेस होता है। प्रशासकीय वेबसाइट की सभी सामग्री देख सकता है। • **निदेशालय स्तर उपयोगकर्ता:** राज्य स्तर की भूमिका राज्य स्तर के विवरणों का प्रबंधन कर सकता है। • **रेंज स्तर उपयोगकर्ता:** रेंज और उससे नीचे के स्तर का विवरण देख सकता है। • **जिला स्तर उपयोगकर्ता:** अपने संबंधित जिले तथा उससे नीचे के स्तर के विवरण का प्रबंधन कर सकता है। • **तहसील स्तर उपयोगकर्ता:** अपने संबंधित तहसील तथा उससे नीचे के स्तर के विवरण का प्रबंधन कर सकता है। • **वीएच/संस्थान स्तर उपयोगकर्ता:** केवल अपने संस्थान से संबंधित विवरण प्रबंधित कर सकता है। • **आपूर्तिकर्ता स्तर उपयोगकर्ता:** केवल अपने से संबंधित विवरणों का प्रबंधन कर सकता है। **एडमिन** नीचे दी गई उप-श्रेणियों/अधिकारों के आधार पर उपरोक्त सभी स्तरों के उपयोगकर्ता को अधिकार बना और आवंटित कर सकता है: • **डेटा प्रविष्टि की अनुमति** (जोड़ना/संशोधित करना/हटाना/सत्यापित करना/अनुमोदन करना/देखना) • **मेन्यू स्तर अधिकार**
15	एमआईएस रिपोर्ट मॉड्यूल	यह मॉड्यूल विभिन्न प्रकार की एमआईएस रिपोर्ट प्रदान करके परियोजना की संपूर्ण प्रगति का विवरण उपलब्ध कराता है। निचे विभिन्न रिपोर्ट की सूची दी गई है: • दवा दर सूची • मांग सूची (रेंज/जिला/संस्था/दवा अनुसार) • दर सूची (दवा/शल्य सामग्री/विक्रेता अनुसार) • विक्रेता अनुसार क्रय आदेश

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
		• निष्पादित पीओ की सूची • लंबित पीओ की सूची • सामग्री प्राप्ति (विक्रेता/डीडीडी/पीओ अनुसार) • उपलब्ध स्टॉक (शल्य सामग्री/दवा/बैच/संस्था अनुसार) • भुगतान अनुशंसा नोट (जिला अनुसार/विक्रेता अनुसार) • भुगतान संकलन सूची (विक्रेता अनुसार) • भुगतान स्वीकृति नोटशीट • भुगतान स्वीकृति आदेश • सभी मास्टरों की सूची • समेकित स्टॉक सूची (जिला/रेंज अनुसार) • खपत विवरण
16	एसएमएस मॉड्यूल	यह मॉड्यूल प्रक्रिया से संबंधित घटनाओं के आधार पर अंतिम उपभोगकर्ताओं/पूर्वनिर्धारित उपभोगकर्ताओं को एसएमएस भेजने के लिए उपभोग किया जाता है।
17	आपातकालीन दवा खरीद	यह जीयूआई पॉलीक्लिनिक/जिला कार्यालय द्वारा खरीदी गई आपातकालीन दवाओं के विवरण दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है।

परिशिष्ट-13

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.8; पृष्ठ 30)

प्रत्येक जिले से छः चयनित इकाई कार्यालयों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	चयनित कम जोखिम वाली इकाई कार्यालय का नाम		चयनित मध्यम जोखिम इकाई कार्यालय का नाम		चयनित उच्च जोखिम इकाई कार्यालय का नाम	
1.	भीलवाड़ा	हालेद (एससी[1])	रामपुरा (एससी)	धोद (एससी)	परसोली (एससी)	जहाजपुर (एफजीवीएच[2])	फुलियाकला (एफजीवीएच)
2.	चित्तौड़गढ़	जावड़ा (वीएच[3])	करेदिया (एससी)	जंश्मा (वीएच)	केली (एससी)	गंगरार (एफजीवीएच)	जालमपुरा (एससी)
3.	हनुमानगढ़	डबली बास कुतुब (एससी)	मायला (एससी)	गंधेली (वीएच)	रामसरा (एससी)	जाखडावाली (वीएच)	पीलीबंगा (एफजीवीएच)
4.	कोटा	देवनारायण एकीकृत आवसीय योजना (एफजीवीएच)	लक्ष्मीपुरा रामगंज मंडी (एससी)	चोमा मलियान (एससी)	मोरपा (एससी)	देवली (वीएच)	मोरक (वीएच)
5.	सवाई माधोपुर	हिंगोटिया (एससी)	पांवटा (एससी)	खिरनी (वीएच)	रामपुरा (एससी)	गंगापुरसिटी (एफजीवीएच)	रावंजना (एससी)
6.	श्रीगंगानगर	मनफूल सिंह वाला (एससी)	प्रभात नगर (एससी)	साधुवाली (एससी)	साहिब सिंहवाला (वीएच)	समेजा कोठी (वीएच)	संघर (एससी)

1 एससीः उप केंद्र
2 एफजीवीएचः प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय
3 वीएचः पशु चिकित्सालय

परिशिष्ट-14

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.2 (ii); पृष्ठ 38 एवं 39)

मांग के विरुद्ध दवाओं की अनियमित आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने वाला विवरण

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	वाउचर नंबर और जारी करने की तारीख	दवा की श्रेणी संख्या	इकाई द्वारा की गई दवा की मांग	डीडीडी[4] द्वारा जारी दवा
अजमेर	एफजीवीएच[5], उन्त्रा	1845 (26.09.2018)	एमबी-13	0	30
			एमएफ-28	100	30
	वीएच[6], देवास	5408 (31.10.2022)	एमबी-17	0	112
		3977 (16.06.2021)		200	40
		5408 (31.10.2022)	एमबी-2	0	2
		3977 (16.06.2021)		30	10
	वीएच, बुबानी	1159 (23.11.2017)	एमएफ-13	50	20
		606 (12.04.2017)		20	50
		1159 (23.11.2017)	एमएच-3	10	5
		606 (12.04.2017)		5	10
भीलवाड़ा	एससी,[7] हालेद	8072 (16.09.2022)	एमजी -4 (i)	20	25
			एमजी-5	0	10
	एससी, धोद	7927 (05.07.2022)	एमजी -4 (i)	50	20
			एमजी-5	40	10
	एससी, परसोली	5027 (08.09.2020)	एमसी-7ए	400	150
		4411 (23.04.2020)	एमएफ-20ए	200	60
	एससी, रामपुरा	4335 (28.02.2020)	एमसी-16	50	96
		6769 (06.09.2021)		40	20

4 डीडीडी: जिला दवा गोदाम
5 एफजीवीएच: प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय
6 वीएच: पशु चिकित्सालय
7 एससी: उप केंद्र

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	वाउचर नंबर और जारी करने की तारीख	दवा की श्रेणी संख्या	इकाई द्वारा की गई दवा की मांग	डीडीडी[4] द्वारा जारी दवा
चित्तौड़गढ़	एससी, केली	2150 (15.10.2020)	एमबी-17	0	120
		2820 (08.06.2022)		300	20
		2475 (01.09.2021)		500	200
		2475 (01.09.2021)	एमएन-3ए	100	240
		2150 (15.10.2020)		0	60
		2475 (01.09.2021)	एमसी-7ए	250	80
			एमएफ-20ए	300	120
	वीएच, जावदा	2542 (29.10.2021)	एमबी-17	100	20
		2433 (25.08.2021)		100	200
			एमसी-7ए	40	80
			एमएफ-20ए	80	120
श्रीगंगानगर	एससी, साधुवाली	4620 (09.06.2022)	एमसी-15	50	12
			एमएन-1	20	10
		1586 (13.02.2019)	एमएन-1	0	100
			एमसी-16	0	100
कोटा	वीएच, मोरक	423 (02.04.2017)	एमबी-5	20	100
		711 (07.11.2017)		200	100
		423 (02.04.2017)	एमसी-5	20	100
		711 (07.11.2017)		200	50
	एससी, मोरपा	2059 (03.06.2020)	एमसी-8ए	100	200
		2565 (01.02.2021)		100	50
सवाई माधोपुर	एससी, रामपुरा	2855 (16.06.2022)	एमएन-11ए	500	40
		2763 (11.04.2022)		500	520
		2763 (11.04.2022)	एमसी-1(i)	10	40
		2565 (22.09.2021)		50	10
		2855 (16.06.2022)	एमजी-1	5	1
			एमके-1ए	0	80
	एससी, रावंजना	3107 (09.09.2022)	एमजी-1	1	2
			एमके-1ए	300	120

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	वाउचर नंबर और जारी करने की तारीख	दवा की श्रेणी संख्या	इकाई द्वारा की गई दवा की मांग	डीडीडी[4] द्वारा जारी दवा
		1628 (04.03.2020)	एमबी-12ए	200	240
		3107 (09.09.2022)		400	60
		1376 (23.10.2019)	एमजी-4	15	10
		3107 (09.09.2022)		1	2

परिशिष्ट-15

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.2 (iii); पृष्ठ 39)

पहले एक्सपायर, पहले आउट पद्धति की अनुपालना नहीं करने का विवरण

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	संस्थान का नाम	श्रेणी संख्या दवा	बैच नंबर	वाउचर नंबर और तारीख	डीडीडी[8] द्वारा जारी मात्रा	बैच एक्सपायरी तिथि
भीलवाड़ा	वीएच[9], जहाजपुर	एमजी-5	डीएफ-54	7906 /27.06.2022	50	31.01.2024
			डीएफ-47	8096/28.09.2022	45	30.06.2023
चित्तौड़गढ़	वीएच, जावदा	एमएन-3ए	केएफ1011	1950/27.07.2020	150	31.05.2022
			केएफ1010	2042/28.09.2020	60	30.04.2022
		एमएफ-20ए	सीटीबी1419	1950/27.07.2020	40	31.01.2023
			सीजेडटी20006	2042/28.09.2020	80	30.06.2022
सवाई माधोपुर	जिला दवा गोदाम	वीएसी-1	डीएक्सआईजे 18034	1146/20.02.2019	50	31.05.2020
			एमवी8एल22	1243/18.06.2019	7	30.11.2020
			डीएक्सआईजे18034	1257/21.06.2019	7	31.05.2020
			एमवी8एल22	1280/24.06.2019	1	30.11.2020
			डीएक्सआईजे 18034	1276/25.06.2019	7	31.05.2020
	वीएच, खिरनी	एमएल-2-3	एचपीसीआर-2508	2636/30.09.2021	20	31.05.2023
			एचपीसीआर-2520	2936/27.06.2022	20	31.01.2024
			एचपीसीआर-2520	05.02.24 को खपत	10	31.01.2024
			एचपीसीआर-2508	17.05.24 को खपत	10	31.05.2023

[8] डीडीडी: औषधि प्रेषण डिपो

[9] वीएच: पशु चिकित्सालय

परिशिष्ट-16

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.2 (iii); पृष्ठ 40)

एक्सपायरी अवधि के पश्चात उपभोग की गयी दवा का विवरण

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	दवाओं की श्रेणी संख्या	डीडीडी[10] द्वारा जारी मात्रा (वाउचर संख्या और जारी करने की तारीख)	दवा की एक्सपायरी तिथि	उपभोग के लिए जारी एक्सपायरी दवा का विवरण
अजमेर	एफजीवीएच[11], उन्त्रा	एमक्यू-10-1	20 (1845/26.09.2018)	30.11.2019	16.01.2020 से 31.03.2020 (08 का इस्तेमाल किया गया)
	एफजीवीएच, ब्यावर	एमबी-3	100 * 10 मिली (1587/ 30.05.2018)	31.07.2018	01.08.2018 से 30.08.2018 (240 एमएल का इस्तेमाल किया)
	वीएच[12], भियाने	एमएफ-17	60 (4738/05.01.2022)	28.02.2022	06.03.2022 (01 इस्तेमाल किया गया)
		एमएन-11/ए	400 (4738/05.01.2022)	30.04.2022	02.05.2022 से 03.05.2022 (05 का उपभोग किया गया)
	एससी[13], शेरगढ़	एमक्यू-8	2*20 मिली (22/14.02.2018)	31.07.2018	11.08.2018 (1*20 मिली का इस्तेमाल किया)
	वीएच, बुबानी	एमएफ-4	20*30 मिली (192/02.12.2016)	31.12.2017	01.02.2018 (10*30 मिली का इस्तेमाल किया)
			30*30 मिली (316/09.01.2017)		
		एमडी-2-1	50*5 मिली (1847/26.09.2018)	31.06.2019	08.09.2019 (20*05 मिली का इस्तेमाल किया)
चित्तौड़गढ़	वीएच, जावदा	एमबी-12ए	40 (1650/24.02.2020)	31.10.2020	30.11.2020 (15 प्रयुक्त)
		एमएफ-20ए	192 (1817/20.04.2020)	31.01.2022	31.03.2022 (14 प्रयुक्त)
सवाई माधोपुर	एससी, पांवटा	एमबी-12ए	800 (3240/05.12.2022)	31.03.2024	05.04.2024 से 18.05.2024) (44 दवाओं का उपभोग किया गया)
			100 (3426/20.04.2023)		
			32 (3642/17.06.2023)		
		एमबी-17	700 (3240/05.12.2022)	29.02.2024	04.04.2024 से 10.05.2024) (28 दवाओं का उपभोग किया गया)
			240 (3426/20.04.2023)	31.03.2024	
	एससी, रामपुरा	एमएफ-21	5*60 मिली (5/22.03.2023)	30.04.2023	05.05.2023 (05*60 मिली का इस्तेमाल किया गया)
		एमएफ-16	10*60 मिली(5/22.03.2023)	31.05.2023	05.09.2023 से 16.12.2023 तक (6*60 मिलीलीटर खपत के लिए जारी किए गए)

10 डीडीडी: औषधि प्रेषण डिपो

11 एफजीवीएच: प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय

12 वीएच: पशु चिकित्सालय

13 एससी: उप केंद्र

परिशिष्ट-17

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.2(iv); पृष्ठ 41)

अपात्र इकाई कार्यालयों को जारी की गयी दवाइयों का विवरण

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	श्रेणी दवा की संख्या	जारी की गई दवाओं का वाउचर नंबर/तारीख	उपभोग की अवधि
भीलवाड़ा	एससी[14], धोद	एमएफ-53	7329/13.05.2022	दिसंबर-2022
			8481/21.03.2023	अगस्त-2023
		एमएफ-56	7927/05.07.2022	सितंबर-2022
	एससी, हालेद	एमएफ-53	8397/17.03.2023	अगस्त-2023
		एमबी-7	7071/23.11.2021	मार्च-2022
		एमबी-19	8072/16.09.2022	अप्रैल-2023
		एमबी-14	8072/16.09.2022	अप्रैल-2023
		एमबी-13	8072/16.09.2022	अप्रैल-2023
	एससी, परसोली	एमएन-15-1	6059/11.02.2021	सितंबर- 2021 से अक्टूबर- 2021
		एमजे-3	135/17.06.2017	जून-2017 से अगस्त-2017
			589/16.08.2022	अगस्त-2022
			602/16.09.2022	सितंबर- 2022 से जून- 2023
		एमएफ-53	510/27.10.2021	मई-2022
			8281/14.03.2023	मई-2023
	एससी, रामपुरा	एमएन-15-1	4335/28.02.2020	मई-2020 से जनवरी-2021
			6069/11.02.2021	मार्च-2021 से जुलाई-2021
		एमएफ-54	201/28.10.2021	दिसंबर- 2021
		एमएन-14-1	4335/28.02.2020	मई- 2020 से सितंबर- 2020
			5399/04.10.2020	अक्टूबर-2020 से जून- 2021
चित्तौड़गढ़	एससी, जलमपुरा	एमएफ-44	421/24.05.2017	जनवरी-2018
			679/26.09.2022	फरवरी-2023
		एमजे-3	421/24.05.2017	जनवरी-2018

[14] एससी: उप केंद्र

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	श्रेणी दवा की संख्या	जारी की गई दवाओं का वाउचर नंबर/तारीख	उपभोग की अवधि
			1376/12.07.2019	अगस्त- 2019 से नवंबर- 2019
		एमएन-14-1	1376/12.07.2019	अगस्त- 2019 से नवंबर- 2019
			1926/23.07.2020	अगस्त- 2020 से अक्टूबर- 2020
	एससी, करेडिया	एमजे-3	3093/30.11.2022	मार्च-2024
		एमएन-14-1	3318/03.05.2023	मार्च-2024
		एमएन-15-1	3318/03.05.2023	सितंबर-2023
	एससी, केली	एमबी-14	2150/15.10.2020	दिसंबर- 2020 से जुलाई- 2021
		एमएन-14-1	1970/04.08.2020	सितंबर- 2020 से अक्टूबर- 2020
			2475/01.09.2021	दिसंबर-2021
		एमएफ-53	2820/08.06.2022	अक्टूबर- 2022 से जनवरी- 2023
श्रीगंगानगर	एससी, साधुवाली	एमएफ-21	4077/28.09.2021	फरवरी-2022 से मई-2023
		एमएफ-56	4620/09.06.2022	जून- 2022 से जुलाई 2022
		एमएफ-44	5078/01.12.2022	अक्टूबर- 2023 से मार्च-2024
		एमडी-2-1	4077/28.09.2021	अक्टूबर- 2021 से मार्च-2022
		एमजे-3	5078/01.12.2022	जनवरी-2023 से अगस्त-2023
	एससी, मनफूलसिंह वाला	एमडी-2-1	5593/08.05.2023	जनवरी-2024
		एमएफ-44	5176/ 26.12.2022	दिसंबर-2024 से मार्च-2024
		एमजे-3	5176/26.12.2022	दिसंबर-2023
		एमएफ-21	3542/16.02.2021	जनवरी-2022 से मई-2022
	एससी, प्रभात नगर	एमएन-15-1	3660/23.05.2021	जून-2021 से सितंबर-2021
	एससी, संघर	एमबी-5	167/05.05.2018	मई-2018 से जनवरी-2019
		एमएफ-21	4794/03.08.2022	मार्च-2023
कोटा	एससी, चोमा मलियान	एमजे-3	3826/28.02.2023	मार्च- 2023 से जुलाई- 2024
		एमडी-2-1	545/23.05.2017	जून- 2017 से अक्टूबर- 2017
		एमएफ-21	545/23.05.2017	फरवरी- 2018 से जून- 2018
			2061/03.06.2020	अगस्त-2020 से अक्टूबर- 2020
			2382/23.09.2020	अक्टूबर-2020 से जनवरी- 2021
	एससी, मोरपा	एमएफ-44	3751/06.02.2023	फरवरी- 2023 से अप्रैल- 2023
		एमबी-19	3751/06.02.2023	फरवरी- 2023
		एमएफ-58	3751/06.02.2023	फरवरी- 2023 से मई- 2023

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	श्रेणी दवा की संख्या	जारी की गई दवाओं का वाउचर नंबर/तारीख	उपभोग की अवधि
	एससी, लक्ष्मीपुरा	एमएफ-58	3546/02.10.2022	नवंबर 2022 से दिसंबर 2023
			3594/31.10.2022	
		एमबी-19	3546/02.10.2022	नवंबर 2022 से दिसंबर 2023
			3594/31.10.2022	
		एमएन-14-1	22/30.01.2021	जनवरी 2021 से फरवरी-2021
सवाई माधोपुर	एससी, पावटा	एमएफ-21	1716/10.06.2020	अगस्त-2021
		एमएच-8	2874/21.06.2022	जुलाई-2022
		एमडी-2-1	1098/25.01.2019	फरवरी- 2019 से मार्च- 2019
	एससी, रामपुरा	एमएच-8	2763/11.04.2022	अप्रैल 2022 से जून 2022
		एमएफ-21	2763/11.04.2022	सितंबर-2022
		एमएफ-56	2855/16.06.2022	अगस्त-2022
	एससी, रवांजना	एमएफ-28	2/04.08.2018	जनवरी- 2019
		एमएफ-35	2/04.08.2018	जून 2019 से जुलाई 2019
		एमएल-2-3	2/04.08.2018	दिसंबर-2019

स्रोतः संबंधित इकाई का स्टॉक लेजर रजिस्टर।

परिशिष्ट-18

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.3 (i); पृष्ठ 42 एवं 43)

अमानक दवा के उपभोग का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	दवा श्रेणी संख्या	बैच संख्या और समाप्ति तिथि	नमूना संग्रह की तिथि	रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि	डीडीओ और संस्थान का नाम	डीडीडी[15] द्वारा जारी मात्रा और जारी करने की तिथि	उपभोग की मात्रा और उपभोग की तारीख
1	एमजे-5	आरजे-106 (30.06.2018)	13.06.2018	26.06.2018	अजमेर, एफजीवीएच[16] उंट्रा	20/12.04.2017	5/ (01.05.2017 से 15.12.2017)
2	एमजे-5	आरजे-106 (30.06.2018)	13.06.2018	26.06.2018	अजमेर, वीएच[17] देवास	10/19.04.2017	10/ (05.05.2017 से 15.08.2017)
3	एमजे-5	आरजे-106 (30.06.2018)	13.06.2018	26.06.2018	चित्तौड़गढ़, एफजीवीएच गंगरार	50/23.05.2017	50/ (15.06.2017 से 15.11.2017)
4	एमके-5	47 (31.03.2022)	25.01.2021	09.03.2022	भीलवाड़ा, एससी[18] धोड	5/06.10.2020	5/ (04.06.2021)
5	एमके-5	47 (31.03.2022)	25.01.2021	09.03.2022	भीलवाड़ा, एफजीवीएच फुलियाकलां	40/06.10.2020	40/ (31.10.2020 से 15.11.2021)
6	एमके-5	47 (31.03.2022)	25.01.2021	09.03.2022	भीलवाड़ा, एससी रामपुरा	1/04.10.2020	1/ (26.11.2021)
7	वीएसी-2	49060 (30.11.2020)	--	27.01.2020	भीलवाड़ा, एससी परसोली	25/23.01.2019	25/ (24.01.2019 से 15.02.2019)
8	एमबी-1	एसवी180 (31.08.2021)	25.11.2019	03.12.2020	भीलवाड़ा, एफजीवीएच फुलियाकलां	20/29.01.2020	20/ (01.03.2020 से 15.11.2020)
9	एमबी-1	एसवी180 (31.08.2021)	25.11.2019	03.12.2020	चित्तौड़गढ़, एफजीवीएच गंगरार	40/ 31.01.2020	40/ (31.03.2020 से 31.08.2020)
10	एमबी-1	एसवी180 (31.08.2021)	25.11.2019	03.12.2020	भीलवाड़ा, एससी रामपुरा	40/ 28.02.2020	35/ (01.01.2021 से 30.05.2021)
11	एमबी-1	एसवी180 (31.08.2021)	25.11.2019	03.12.2020	चित्तौड़गढ़, वीएच जावदा	20/ 20.04.2020	17/ (01.04.2021 से 15.08.2021)

15 डीडीडी: औषधि प्रेषण डिपो
16 एफजीवीएच: प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय
17 वीएच: पशु चिकित्सालय
18 एससी: उप केंद्र

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi